



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28102021-230802
CG-DL-E-28102021-230802

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 323]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 28, 2021/कार्तिक 6, 1943

No. 323]

NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 28, 2021/KARTIKA 6, 1943

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)
(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

अधिसूचना

अंतिम जांच परिणाम

नई दिल्ली, 28 अक्तूबर, 2021

मामला सं. एडी (एसएसआर)- 04/2021

विषय: चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां निर्यात किए गए पीवीसी फ्लेक्स फिल्म के आयातों के संबंध में निर्णायक समीक्षा पाटनरोधी जांच।

फा.सं. 7/04/2021-डीजीटीआर.— समय समय पर यथा-संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे “अधिनियम” कहा गया है) और उसके समय समय पर यथा-संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण तथा क्षति के निर्धारण हेतु) नियमावली 1995 (जिसे आगे “नियमावली” कहा गया है) के संबंध में।

क. मामले की पृष्ठभूमि

- निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे आगे “प्राधिकारी” कहा गया है) ने 1 फरवरी, 2010 को चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यात किए गए पीवीसी फ्लेक्स फिल्म (जिसे आगे “संबद्ध वस्तु” अथवा “विचाराधीन उत्पाद” कहा गया है) के संबंध में मूल पाटनरोधी जांच शुरू की थी। अनंतिम पाटनरोधी शुल्क दिनांक 22 जून, 2010 की

अधिसूचना सं. 14/04/2010-डीजीएडी के माध्यम से सिफारिश की गई थी और दिनांक 30 जुलाई, 2010 को अधिसूचना सं. 79/2010-सीमा शुल्क के माध्यम से लगाया गया था। उसके बाद, निर्दिष्ट प्राधिकारी ने दिनांक 29 जुलाई, 2011 के अंतिम जांच परिणाम सं. 14/04/2010-डीजीएडी के माध्यम से निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश की थी और उसे दिनांक 25 अगस्त, 2011 की अधिसूचना सं. 82/2011-सीमा शुल्क के माध्यम से लगाया गया था। एक नई शिपर समीक्षा की शुरुआत 12 अप्रैल, 2021 को की गई थी, जिसके अनुसरण में दिनांक 29 जून, 2016 की अंतिम जांच परिणाम सं. 15/23/2011-डीजीएडी जारी की गई थी। एक निर्णायक समीक्षा जांच की शुरुआत दिनांक 27 जुलाई, 2015 की अधिसूचना सं. 15/13/2015-डीजीएडी के माध्यम से शुरू की गई थी। प्राधिकारी ने दिनांक 30 जून, 2016 के अंतिम जांच परिणाम के माध्यम से पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने की सिफारिश की और उसे दिनांक 8 अगस्त, 2016 की अधिसूचना सं. 42/2016-सीमा शुल्क (एडीडी) के माध्यम से केन्द्र सरकार द्वारा लगाया गया था।

2. जबकि इस अधिनियम और नियमावली के संदर्भ में, लगाया गया पाटनरोधी शुल्क, यदि उसे पूर्व में समाप्त नहीं किया गया हो, इस प्रकार के अधिरोपण की तिथि से पांच वर्षों के समाप्त होने पर लागू नहीं रहेगा।
3. उपर्युक्त प्रावधान के बावजूद प्राधिकारी से यह अपेक्षित है कि वे इस शुल्क के समाप्त होने की तिथि से पूर्व उचित समय अवधि के भीतर घरेलू उद्योग द्वारा अथवा उसकी ओर से किए गए एक विधिवत् प्रमाणित अनुरोध के आधार पर इस तथ्य की समीक्षा करें कि क्या शुल्क के समाप्त होने के कारण संभवतः पाटन और क्षति जारी रहने वाली है अथवा फिर से होने वाली है।
4. जबकि उपर्युक्त प्रावधानों के संदर्भ में, ऑल इंडिया लेमिनेटेड फैब्रिक मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (एआईएलएफएमए), पायनीर पोलीलैटर्स लिमिटेड, क्यूरेक्स फ्लेक्स प्राइवेट लिमिटेड और एसआरएफ लिमिटेड (जिसे आगे “आवेदक” अथवा “घरेलू उद्योग” कहा गया है) ने चीन जन.गण. (जिसे आगे “संबद्ध देश” भी कहा गया है) से पीवीसी फ्लेक्स फिल्म के आयातों के संबंध में निर्णायक समीक्षा जांच की शुरुआत के लिए इस अधिनियम और नियमावली के अनुसार प्राधिकारी के समक्ष आवेदन दायर किया और पाटनरोधी शुल्क के विस्तार का अनुरोध किया। यह अनुरोध इस आधार पर किया गया है कि संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बावजूद पाटन जारी रहा है। इसके अलावा, आवेदकों ने यह तर्क दिया है कि पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति के फलस्वरूप घरेलू उद्योग को पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उसके फिर से होने की संभावना है।
5. और जबकि प्राधिकारी ने आवेदकों द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रथमदृष्टया साक्ष्य के आधार पर इस तथ्य की जांच करने के लिए कि क्या पाटनरोधी शुल्क के समाप्त होने के फलस्वरूप, घरेलू उद्योग को पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उसके फिर से होने की संभावना है, इस नियमावली के नियम 6(1) के अनुसार निर्णायक समीक्षा जांच की शुरुआत करते हुए भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित दिनांक 24 मार्च, 2021 की अधिसूचना सं. 7/04/2021-डीजीटीआर के माध्यम से एक आम सूचना जारी की।
6. जांच की शुरुआत के बाद, केन्द्र सरकार ने दिनांक 30 जून, 2021 की अधिसूचना सं. 38/2021-सीमा शुल्क (एडीडी) के माध्यम से संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यात किए गए संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर लागू पाटनरोधी शुल्क को 31 जनवरी 2022 तक बढ़ाया।
7. वर्तमान समीक्षा के क्षेत्र में संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यात किए गए संबद्ध वस्तुओं के आयातों के संबंध में पिछली जांच के सभी पहलू शामिल हैं।

ख. प्रक्रिया

8. संबद्ध जांच के संबंध में यहां नीचे वर्णित प्रक्रिया का अनुसरण किया गया है:-

- क. प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध देश के दूतावास को पाटनरोधी नियमावली के नियम 5 (5) के अनुसार इस जांच की शुरुआत करने की कार्रवाई करने से पूर्व वर्तमान आवेदन के प्राप्त होने के बारे में अधिसूचित किया।
- ख. प्राधिकारी ने संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयातों के संबंध में जांच की शुरुआत करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, में प्रकाशित दिनांक 24 मार्च, 2021 को एक आम सूचना जारी की।
- ग. प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध देश के दूतावास, संबद्ध देश से ज्ञात उत्पादकों और निर्यातकों, ज्ञात

आयातकों/प्रयोक्ताओं और घरेलू उद्योग तथा अन्य घरेलू उत्पादकों को आवेदकों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार जांच की शुरुआत संबंधी अधिसूचना एक प्रति भेजी और उनसे अनुरोध किया कि वे निर्धारित समय-सीमा के भीतर लिखित रूप में अपने विचारों से अवगत कराएं।

- घ. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार भारत में संबद्ध देश के दूतावास और ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को इस आवेदन का अगोपनीय रूपांतर की एक प्रति उपलब्ध कराई। इस आवेदन के अगोपनीय रूपांतर की एक प्रति अन्य हितबद्ध पक्षकारों को परिचालित की गई थी।
- ड. भारत में संबद्ध देश के दूतावास से निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने के लिए उनके देश से निर्यातकों/उत्पादकों को सलाह देने का भी अनुरोध किया गया था। संबद्ध देश से ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों के नामों और पतों सहित उत्पादकों/निर्यातकों को भेजे गए पत्र और प्रश्नावली की एक प्रति भी उन्हें भेजी गई थी।
- च. प्राधिकारी ने इस नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार संबद्ध देश में निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को निर्णायक समीक्षा जांच की शुरुआत करते हुए आम सूचना की एक प्रति अग्रेषित की तथा उन्हें अपने अनुरोधों से अवगत कराने का एक अवसर दिया :-
- i. गुआंगझोऊ टोम एडवरटाइजमेंट मैटिरियल कंपनी लिमिटेड
 - ii. हईनिंग फेंगताई कम्पाउंड न्यू मैटिरियल कंपनी लिमिटेड
 - iii. हेनिंग फेंगताई फ्लेक्स कंपनी
 - iv. हेनिंग होंगलियांग न्यू मैटिरियल कंपनी लिमिटेड
 - v. हांगझोऊ एचडीएल न्यू मैटिरियल कंपनी लिमिटेड
 - vi. हेबेई होंगडिंग प्लास्टिक मैन्यूफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड
 - vii. हेवटेक्स टेक्निकल टेक्सटाइल्स (झांगजियांग)कंपनी लिमिटेड
 - viii. जियांगइन नानवेई प्लास्टिक कंपनी लिमिटेड
 - ix. जियांगइन युयुआन ट्रेड कंपनी लिमिटेड
 - x. निनजिक्सिया यिपांग ट्रेड कंपनी लिमिटेड
 - xi. क्यूझोयु काइसियांग बायोलोजिकल टेक कंपनी लिमिटेड
 - xii. शानघई डेर न्यू मैटिरियल कंपनी लिमिटेड
 - xiii. शांघई ग्लोबल साइन डिस्प्ले ऐंड साइन सिस्टम कंपनी लिमिटेड
 - xiv. शांघई यूनिसाइन इंडस्ट्रियल मैटिरियल कंपनी लिमिटेड
 - xv. ताया केनवास (संघाई) कंपनी लिमिटेड
 - xvi. झेजियान एमएसडी वार्प निटिंग ऐंड कोटिंग कंपनी लिमिटेड
 - xvii. झेजियांग डेजिया न्यू मैटिरियल कंपनी लिमिटेड
 - xviii. झेजियांग गैंगलॉंग न्यू मैटिरियल कंपनी लिमिटेड
 - xix. झेजियांग हैलियाड न्यू मैटिरियल कंपनी लिमिटेड
 - xx. झेजियांग हुईफेंग न्यू मैटिरियल्स कारपोरेशन लिमिटेड
 - xxi. झेजियांग लोंगटेंग न्यू मैटिरियल कंपनी लिमिटेड
 - xxii. झेजियांग मिंगलॉंग प्लास्टिक सिमेंट कंपनी लिमिटेड
 - xxiii. झेजियांग तियांगवांग न्यू मैटिरियल टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड
- छ. संबद्ध जांच की शुरुआत संबंधी अधिसूचना के उत्तर में, संबद्ध देश के निम्नलिखित उत्पादक ने प्रश्नावली

का उत्तर प्रस्तुत कर जवाब दिया है:

i. हेटेक्स टेक्नीकल टेक्सटाइल्स (झांगजियागांग) कंपनी लिमिटेड

- ज. इसके अलावा, निर्यातकों में से एक निर्यातक, हैनिंग हेंगचुआंग कोटेड फैब्रिक कंपनी लिमिटेड ने जांच की प्रक्रिया के दौरान अनुरोध प्रस्तुत किए हैं।
- झ. प्राधिकारी ने इस नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक सूचना मंगाते हुए भारत में संबद्ध वस्तुओं के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं को प्रश्नावलियां भेजी:
- i. अबुजार इंटरनेशनल एसोसिएट
 - ii. एडी ऐज मीडिया प्रिंटर्स
 - iii. एडी आन पब्लिसिटी
 - iv. एडी साइन
 - v. एडी स्टेशन
 - vi. एडी वेव क्रिएशन
 - vii. एडकोम डिस्प्ले प्राइवेट लिमिटेड
 - viii. एडलेक प्रिंट एंड मीडिया प्राइवेट लिमिटेड
 - ix. एडवांड फ्लेक्स
 - x. एडवांटेज आउटडोर
 - xi. अग्रवाल एंटरप्राइज
 - xii. एएचएम एडवरटाइजर
 - xiii. एआईडीएस
 - xiv. एमास डिजिटल प्रिंटिंग
 - xv. अजय प्लास्टिक साइन
 - xvi. एक्रीति प्रिंट वर्ल्ड
 - xvii. अक्षरा डिजिटल
 - xviii. अम्बिका ट्रेडर्स
 - xix. एमिटो लेबल क्राफ्ट
 - xx. अनुभव एडवरटाइजर
 - xxi. अनुपम ग्राफिक्स
 - xxii. एओन ग्राफिक्स
 - xxiii. आर्ट वे एडवरटाइजिंग
 - xxiv. अरविंग एडवरटाइजिंग
 - xxv. अस्मृति एडवरटाइजिंग
 - xxvi. आजाद आर्ट
 - xxvii. बी बी इंटरप्राइज
 - xxviii. बलजीत इन्क.
 - xxix. बंधु साइन वर्ल्ड

- xxx. बंसल ग्राफिक्स ऐंड एडवजटाइजर
 xxxi. बसंत आर्ट्स
 xxxii. भारत आर्ट
 xxxiii. बिग एड्स
 xxxiv. बिग आई एडवरटाइजमेंट प्राइवेट लिमिटेड
 xxxv. बिहार ग्राफिक सप्लायर
 xxxvi. बीपी डिजाइन
 xxxvii. ब्राइट डिजिटल
 xxxviii. केटरपिल्लर साइन प्राइवेट लिमिटेड
 xxxix. चक्षु प्रिंटर्स
 xl. चावला कंप्यूटर्स
 xli. चिकागो फ्लेक्स प्रिंटिंग
 xlii. चितरा ग्राफिक्स
 xliii. चोपड़ा साइनेज
 xliv. क्लियर ग्राफिक्स साल्युशन
 xlv. कोडेक्स मीडिया
 xlvi. कलर क्रियएशंस
 xlvii. कलर साल्युशन
 xlviii. क्रिएटिव क्रिएशन
 xlix. क्रिएटर्स
 l. दास मल्टी सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
 li. दीप फ्लेक्स प्रिंटिंग
 lii. दीपा एडवरटाइजिंग
 liii. दीपा पब्लिसिटी सिटी
 liv. देव प्रिंटर्स
 lv. धवन ग्लोबल वेंचर
 lvi. डिजिटल लोजिकोम प्राइवेट लिमिटेड
 lvii. डायरेक्शन रिटेल
 lviii. द्वारका डिजिटल
 lix. एंग्रोवो ग्राफिक्स
 lx. यूरोका इंटरनेशनल
 lxi. फेयर इंटरप्राइजेज
 lxii. फाइन डिजिटल सिस्टम
 lxiii. फ्लेक्स जोन

- lxiv. फोर्स एडवरटाइजर्स
- lxv. गणपति डिजिटल
- lxvi. गनेश एंटरप्राइजेज
- lxvii. गौरव एंटरप्राइजेज
- lxviii. गौरी एंटरप्राइजेज
- lxix. गीता ऐंड कंपनी
- lxx. ग्लोबल एंटरप्राइजेज
- lxxi. ग्लोबल आर्ट
- lxxii. ग्लोबल फ्लेक्स मीडिया
- lxxiii. गोल्डन साइन
- lxxiv. गोपी राजू आर्ट्स
- lxxv. ग्राफिक वर्ल्ड
- lxxvi. ग्रे मिन्ड्ज
- lxxvii. एच.एम् ग्राफिक्स
- lxxviii. हनु मार्केटिंग
- lxxix. हंस एडवरटाइजर
- lxxx. हरि साइन सिस्टम
- lxxxi. हरीश फोटो लेमिनेशन
- lxxxii. हरियाणा ऑफसेट प्रिंटर्स
- lxxxiii. हाई-टेक डिजिटल
- lxxxiv. हिंदुस्तान ग्लो साइन
- lxxxv. हिंदुस्तान पब्लिसिटी
- lxxxvi. आईकॉन डिजिटल (मीडिया प्रिंट)
- lxxxvii. आइडिया जीरोक्स
- lxxxviii. इलुसीयन आर्ट
- lxxxix. इम्पैक्ट इम्पैक्ट
- xc. इन ऐंड आउट
- xci. इंडियन डिजिटल
- xcii. इन्द्रासागर ट्रेडर्स
- xciii. इंकलाइन प्रिंटर
- xciv. इनोवेटिव मीडिया सॉल्युशन
- xcv. ईश्वर ग्लो साइन
- xcvi. जे.डी.फोम
- xcvii. जैन मीडिया

xcviii.	जेसीडब्ल्यू फ्लेक्स
xcix.	जेजे प्लापस्टिक
c.	जेएमडी
ci.	जम्बो डिजिटल
cii.	ज्योति मीडिया
ciii.	ज्योति प्रिंटर
civ.	कल्याण डिजिटल
cv.	कोलार कैटेलिस्ट
cvi.	कृपा
cvii.	कृष्णा एंटरप्राइजेज
cviii.	कृष्णा पब्लिसिटी
cix.	कृष्णा साइनेज प्राइवेट लिमिटेड
cx.	कुलदीप एंटरप्राइजेज
cxī.	कुनाल फ्लेक्स प्रिंटिंग
cxii.	कुशलम उडिया संस्थान
cxiii.	ललित एडवरटाइजिंग
cxiv.	लेटेक्स फेक्स
cxv.	लिमरा आर्ट
cxvi.	एमएंडके क्रिएटिव्स
cxvii.	मैक्रो मीडिया
cxviii.	महिमा डिजिटल
cxix.	मारुति डिजाइन साइन
cxx.	मास्टर प्लास्ट इंडिया
cxxi.	माटाकलिजिक मीडिया
cxxii.	मीडिया सॉल्युशन
cxxiii.	मैट्रो प्रिंटिंग
cxxiv.	माइक्रो ग्राफिक्स
cxxv.	मिस्टी राज फूड्स प्राइवेट लिमिटेड
cxxvi.	मिथिला एडवरटाइजिंग
cxxvii.	मोहित एंटरप्राइजेज
cxxviii.	मुक्ता एंटरप्राइजेज
cxxix.	एन ए ग्राफिक्स साइन प्राइवेट लिमिटेड
cxxx.	नर्वदा मार्केटिंग
cxxxī.	न्यू भाटिया एडवरटाइजर्स

- cxxxii. न्यू ज्योति आर्ट
 cxxxiii. निशांत एडवरटाइजर्स
 cxxxiv. ओम गणपति ट्रेडर्स
 cxxxv. ओम ग्राफिक्स
 cxxxvi. ओम साई डिजिटल
 cxxxvii. ओम साई गुरु डिजिटल
 cxxxviii. ओरिएंट ग्राफिक्स
 cxxxix. पंजुरी डिजिटल साइन
 cxi. पीकोक आर्ट
 cxli. पाइनीयर पब्लिसिटी
 cxlii. प्लास्टिक हाउस
 cxliii. पूजा एडवरटाइजिंग एजेंसी
 cxliv. प्रकाश आर्ट स्टुडिया
 cxlv. प्राइन एडवरटाइजिंग
 cxlvi. प्रिंट जर्नी
 cxlvii. प्रिंट मित्रा
 cxlviii. प्रिया क्रिएटिव डिजाइन
 cxlix. पुष्प इंडिया लिमिटेड
 cli. आर.के. मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड
 clii. आर.के. प्रिंट आर्ट
 clii. रचनाकर एडवरटाइजिंग
 cliii. राधे एडवरटाइजिंग ऐंड मार्केटिंग कंपनी
 cliv. राघव सिस्टम ऐंड टेक्नोलोजी
 clv. राज फ्लेक्स बैनर
 clvi. रैंपियन एडवरटाइजिंग
 clvii. राना एडवरटाइजिंग
 clviii. रंजीत साइनेज सॉल्युशन
 clix. रैप ग्राफिक्स
 clx. रैडएरोज
 clxi. रिटेल इमपैक्ट
 clxii. रिटेज जंक्शन
 clxiii. आरके डिजिटल
 clxiv. आरएनवी ग्राफिक्स
 clxv. रोहट साइन एड्स

clxvi.	रूप साइन ग्राफिक्स
clxvii.	एसके यूनिप्रिंट प्राइवेट लिमिटेड
clxviii.	एस-टेक ग्राफिक्स
clxix.	एस-टेक ग्राफिक्स
clxx.	एस.एल.एन. डिजिटल
clxxi.	साई एंड एजेंसी
clxxii.	संजय फ्लेक्स प्रिंटिंग
clxxiii.	सैफियार मीटिया सर्विसेज
clxxiv.	सत्यम एक्रिलिक प्लास्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड
clxxv.	एसबी डिजाइन
clxxvi.	स्क्रीन डिजिटल
clxxvii.	सेठी डिग्मीग्राफ
clxxviii.	शालीमार एडवरटाइजिंग
clxxix.	शारदा फ्लेक्स
clxxx.	शार्पलाइन पब्लिसिटी सर्विस
clxxxi.	सार्थक पब्लिसिटी
clxxxii.	शीतल साइन
clxxxiii.	शिखर एडवरटाइजिंग
clxxxiv.	शिव एडवरटाइजर
clxxxv.	शिवा एंटरप्राइजेज
clxxxvi.	शिवम एडवरटाइजर
clxxxvii.	श्री एडवरटाइजर
clxxxviii.	श्री एंटरप्राइजेज
clxxxix.	श्रीराम शाइन वर्ल्ड
cxc.	श्रीधर आर्ट्स
cxc.	श्याम एंड संस
cxcii.	सिबको ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड
cxciii.	साइन ऐज मीडिया
cxciv.	साइन सॉल्युशन
cxcv.	सिल्वर साइन प्राइवेट लिमिटेड
cxcvi.	सिंह एडवरटाइजर्स
cxcvii.	सिप्पली एडवरटाइजर
cxcviii.	स्मार्ट साइन
cxcix.	श्री ऐडस साइन डिजिटल

cc.	श्री बालाजी डिजिटल्स
cci.	श्रीजन डिजिटल
ccii.	श्रीनिवास डिजिटल
cciii.	एसएस डिजिटल प्वाइंट प्राइवेट लिमिटेड
cciv.	स्टार एडवरटाइजिंग
ccv.	स्टर डिजिटल प्रिंटर्स
ccvi.	स्टेट्स ग्राफिक्स
ccvii.	स्टाइलो मैक्सिमाइज
ccviii.	सुखमन एडवरटाइजर
ccix.	सन प्रिंट
ccx.	सन साइन ऐंड टेक्नोलौजिस
ccxi.	सुनील डिजिटल
ccxii.	सनराइज मीडिया
ccxiii.	सुपर ट्रेडर्स
ccxiv.	सूर्या एड्स
ccxv.	स्वास्तकक एंटरप्राइजेज
ccxvi.	स्वास्तकक एंटरप्राइजेज
ccxvii.	सिंबल डिजिटल
ccxviii.	टेल अस साल्युशन प्राइवेट लिमिटेड
ccxix.	उज्जवल ग्राफिक्स
ccxx.	यूनिक एडवरटाइजिंग ऐंड मार्केटिंग सर्विसेज
ccxxi.	वर्धमान एडी ग्राफिक्स
ccxxii.	वर्षमान ग्राफिक्स
ccxxiii.	वार्षिक पेपर मार्ट
ccxxiv.	वसावी डिजिटल
ccxxv.	वत्सल ऑफसेट
ccxxvi.	वेद डिजिटल प्रिंटिंग
ccxxvii.	वेंकटरामन
ccxxviii.	विक्की आर्ट्स
ccxxix.	विमल आर्ट
ccxxx.	विशाल आर्ट्स
ccxxxi.	विशाल आर्ट
ccxxxii.	विष्णु डिजिटल्स
ccxxxiii.	विजुअल डिस्प्लेज

CCXXXIV. वीवीटी कम्युनिकेशन

CCXXXV. वाल ग्राफिक्स

CCXXXVI. वंडर इमेजिज

CCXXXVII. यागी साइन

CCXXXVIII. जारा इंटरप्राइजेज

- ज. प्राधिकारी ने निम्नलिखित संघों को जांच की शुरुआत संबंधी अधिसूचना भी भेजी, जिसमें उन्हें जांच की शुरुआत के संबंध में अपने सभी सदस्यों को सूचित करने और उत्तर अथवा टिप्पणियां, यदि कोई हो, प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था।
- i. तमिलनाडु फ्लेक्स प्रिंटर एसोसिएशन
 - ii. कर्नाटक स्टेट डिजिटल प्रिंटर्स ऐंड फ्लेक्स प्रिंटर्स एसोसिएशन
 - iii. केरल मास्टर प्रिंटर्स एसोसिएशन
- ट. संबद्ध वस्तुओं के किसी भी आयातकों और प्रयोक्ताओं ने प्रश्नावली के उत्तर का जवाब प्रस्तुत नहीं किया है।
- ठ. वर्तमान जांच के उद्देश्य से जांच की अवधि (पीओआई) 1 अक्टूबर 2019 से 30 सितंबर 2020 (12 माह) है। क्षति के विश्लेषण की अवधि में 1 अप्रैल 2017 – 31 मार्च 2018, 1 अप्रैल 2018 – 31 मार्च 2019, 1 अप्रैल 2019 – 31 मार्च 2020 और जांच की अवधि शामिल है।
- ड. जांच की अवधि और पिछले तीन वर्षों की अवधि के लिए लेन-देनवार आयात आंकड़े डीजीसीआईएंडएस से लिए गए थे। प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध वस्तुओं के आयातों की मात्रा और मूल्य की गणना करने के लिए डीजीसीआईएंडएस के आंकड़ों पर विश्वास किया है।
- ढ. आवेदकों से उस सीमा तक अतिरिक्त सूचना मांगी गई थी, जिस सीमा तक उसे आवश्यक माना गया। घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों का सत्यापन उस सीमा तक किया गया था, जिस सीमा तक उसे वर्तमान जांच के उद्देश्य से आवश्यक माना गया था।
- ण. प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों का अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराया। सभी हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची डीजीटीआर की वेबसाइट पर इस अनुरोध के साथ अपलोड की गई थी कि वे सभी अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों को अपने अनुरोध का अगोपनीय रूपांतर ई-मेल से भेजें क्योंकि सार्वजनिक फाइल को चल रही वैश्विक महामारी के कारण भौतिक रूप से प्राप्त नहीं किया जा सकता था।
- त. घरेलू उद्योग ने अपने सनदी/लागत लेखाकार के द्वारा विधिवत् प्रमाणित वित्तीय आंकड़े प्रस्तुत किए हैं। क्षति रहित कीमत (एनआईपी) का निर्धारण घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार और सामान्य रूप से स्वीकार की गई लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) और इस नियमावली के अनुबंध-III के अनुसार भारत में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन की ईष्टम लागत और उसका निर्माण करने एवं बिक्री करने की लागत के आधार पर किया गया है। इस प्रकार की क्षति रहित कीमत पर विचार यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया है कि क्या पाटन मार्जिन से कमतर पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा।
- थ. इस नियमावली के नियम 6(6) के अनुसार, प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों को दिनांक 14 जुलाई, 2021 को हुई आम सुनवाई में वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से मौखिक रूप से अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए अवसर उपलब्ध कराया। उन पक्षकारों जिन्होंने मौखिक सुनवाई में अपने विचार प्रस्तुत किए, से अनुरोध किया गया था कि वे मौखिक रूप से व्यक्त किए गए विचारों को लिखित अनुरोध और उसके बाद प्रति उत्तर अनुरोधों के रूप में प्रस्तुत करें।
- द. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों, दिए गए तर्कों और विभिन्न पक्षकारों द्वारा जांच की प्रक्रिया के दौरान उपलब्ध कराई गई सूचना को इन अंतिम जांच परिणामों में प्राधिकारी द्वारा उपयुक्त रूप से उस सीमा तक विचार किया गया है, जिस सीमा तक उनके समर्थन में साक्ष्य था और वे वर्तमान जांच के लिए संगत थे।
- ध. प्राधिकारी ने जांच की प्रक्रिया के दौरान अपने आप को संभव सीमा तक हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दी गई सूचना की सटीकता के संबंध में संतुष्ट किया जो इन अंतिम जांच परिणामों का आधार बनता है और घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत

किए गए आंकड़ों/दस्तावेजों का सत्यापन उस सीमा तक किया, जिस सीमा तक उन्हें संगत और संभव माना गया।

- न. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर दी गई सूचना की जांच गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध की गई थी। संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने जहां कहीं भी आवश्यक हुआ, गोपनीयता के दावे को स्वीकार किया है और इस प्रकार की सूचना को गोपनीय तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट ना की गई सूचना को माना गया है। जहां कहीं भी संभव हुआ, गोपनीय आधार पर सूचना देने वाले पक्षकारों को निदेश दिया गया था कि वे गोपनीय आधार पर दी गई सूचना का पर्याप्त अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराएं।
- प. जहां कहीं भी किसी हितबद्ध पक्षकार ने वर्तमान जांच की प्रक्रिया के दौरान, आवश्यक सूचना तक पहुंच से इंकार किया है अथवा अन्य प्रकार से उपलब्ध नहीं कराई है अथवा जांच में बहुत अधिक हद तक बाधा पहुंचाई है, प्राधिकारी ने इस प्रकार के पक्षकारों को असहयोगी के रूप में माना है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर इन अंतिम जांच परिणामों को रिकॉर्ड किया है।
- फ. इस नियमावली के अनुसार, प्राधिकारी ने मामले के आवश्यक तथ्यों को प्रकट किया जो दिनांक 20.10.2021 को प्रकटन विवरण के रूप में इसके जांच परिणामों का आधार बनेगा। हितबद्ध पक्षकारों की टिप्पणियों पर प्राधिकारी द्वारा विचार उस सीमा तक किया गया है, जिसे सीमा तक उसे संगत माना गया और उनका समाधान इन जांच परिणामों में किया गया है।
- ब. इन अंतिम जांच परिणामों में *** गोपनीय आधार पर किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना और इस नियमावली के अंतर्गत प्राधिकारी द्वारा वैसी मानी गई सूचना को दर्शाता है।
- भ. संबद्ध जांच के लिए प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई विनिमय दर 1 यूएसडॉलर=74.38 रुपए है।

ग. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

9. जांच की शुरुआत के चरण में विचाराधीन उत्पाद को निम्नानुसार परिभाषित किया गया था:

“5. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद का कार्य-क्षेत्र “पीवीसी फ्लेक्स फिल्म” है जिसे साइनेज, बिल बोर्ड्स और पीवीसी फ्लेक्स तारपोलिन्स आदि के लिए पीवीसी फ्लेक्स बैनर्स और पीसीसी फ्लेक्स शीट्स आदि के रूप में भी जाना जाता है। निम्नलिखित को विचाराधीन उत्पाद के कार्य-क्षेत्र से बाहर रखा गया है।

- i. पीवीसी फिल्म्स
- ii. पीवीसी रिगिड फिल्म्स
- iii. कॉटन/कैनवास तारपोलिन्स
- iv. सेल्फ-एडहेसिव विनाइल
- v. वन वे विज़न फिल्म/परफोरेटेड विंडो फिल्म
- vi. कलर्ड विनाइल
- vii. मेश बैनर/फैब्रिक”

ग.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध

10. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के कार्य-क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किये हैं:
- क. आवेदकों ने बिना किसी आधार के वर्तमान जांच में पीसीएन का प्रस्ताव किया है लेकिन ऐसी किसी पद्धति का उपयोग मूल अथवा प्रथम निर्णायक समीक्षा जांच में नहीं किया गया था।
- ख. वर्तमान जांच के लिए विचाराधीन उत्पाद का कार्य-क्षेत्र वही होना चाहिए जिसे अपार इंडस्ट्रीज बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी में निर्णय के अनुसार मूल जांच में परिभाषित किया गया है।
- ग. जबकि घरेलू उद्योग ने यह कहा है कि केवल एक उत्पाद प्रकार का आयात जांच की अवधि के दौरान किया गया था, उन्होंने स्वयं पाटन और क्षति मार्जिन की गणना करने के लिए छह उत्पाद प्रकारों पर विचार किया है।

- घ. चूंकि प्राधिकारी ने प्रस्तावित पीसीएन पर कोई टिप्पणियां आमंत्रित नहीं की हैं, इसका आशय यह है कि आवेदकों द्वारा प्रस्तावित पीसीएन को प्राधिकारी द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है। तदनुसार, आवेदकों से यह अपेक्षित है कि वे संशोधित आंकड़ा पीसीएन के आधार पर नहीं प्रस्तुत करें, जिसे वे करने में असफल रहे हैं।

ग.2 घरेलू उद्योग के अनुरोध

11. घरेलू उद्योग ने विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के कार्य-क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- क. हितबद्ध पक्षकारों के दावे के विपरीत, घरेलू उद्योग ने विचाराधीन उत्पाद के कार्य-क्षेत्र में रंजित विनाइल को शामिल नहीं किया है।
- ख. पीसीएन पद्धति पर विचार किए जाने की आवश्यकता है क्योंकि केवल कुछ उत्पादों का आयात संबद्ध देश से किया गया है जबकि घरेलू उद्योग का उत्पाद बास्केट अपेक्षाकृत बड़ा है।
- ग. मूल जांच में किसी भी पीसीएन का प्रस्ताव नहीं किया गया था क्योंकि उत्पादकों और घरेलू उद्योग का उत्पाद बास्केट तुलनीय नहीं था। हालांकि, इस स्थिति में वर्तमान मामले में परिवर्तन हुआ है।
- घ. पीसीएन पर विचार करने के लिए वैसा ही अनुरोध प्राधिकारी द्वारा चीन जन.गण., कोरिया गणराज्य, यूरोपीय यूनियन, दक्षिण अफ्रीका, ताइवान और यूएसए से स्टेनलेस स्टील के कोल्ड रोल्ड फ्लेट उत्पादों के संबंध में जांच में स्वीकार किया गया था, यद्यपि किसी भी पीसीएन पर मूल जांच में विचार नहीं किया गया था।
- ड. चूंकि प्राधिकारी ने पीसीएन को स्वीकार किए जाने अथवा अस्वीकार किए जाने के संबंध में कोई अधिकारिक सूचना नहीं दी है, अतः उसे अस्वीकार किया गया नहीं माना जा सकता है।
- च. घरेलू उद्योग ने आयात की गई वस्तुओं के समान वस्तु का उत्पादन किया है।

ग.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

12. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद "पीवीसी फ्लेक्स फिल्म" है। इसे साइनेज बिलबोर्ड्स, पीवीसी फ्लेक्स तारपोलिन्स विज्ञापन देने के लिए पीवीसी फ्लेक्स बैनर और पीवीसी फ्लेक्स शीट्स के रूप में भी जाना जाता है। हालांकि निम्नलिखित को विचाराधीन उत्पाद के कार्य-क्षेत्र से बाहर किया जाता है:

- क. पीवीसी फिल्म
- ख. पीवीसी रिगिड फिल्म
- ग. कॉटन/कैनवास तारपोलिन्स
- घ. सेल्फ-एडहेसिव विनाइल
- ड. वन वे विज़न फिल्म/परफोरेटेड विंडो फिल्म
- च. कलर्ड विनाइल
- छ. मेश बैनर/फैब्रिक

13. पीवीसी फ्लेक्स फिल्म रेनफोर्ड टेक्सटाइल के सैंडविच लेमिनेशन के साथ एक बहु-स्तरीय पीवीसी फिल्म है। उत्पादन के लिए अपेक्षित प्रमुख कच्चा माल पीवीसी रेसिन (सस्पेंशन ग्रेड) और डीओपी हैं। पीवीसी फ्लेक्स फिल्म का उत्पादन या तो लेमिनेशन की प्रक्रिया अथवा कोटिंग की प्रक्रिया का उपयोग करते हुए किया जा सकता है। लेमिनेशन की प्रक्रिया के अंतर्गत, ल्यूब्रिकेंट्स, स्टेबलाइजर्स, ब्राइटनिंग एजेंट, कैल्शियम कार्बोनेट और अन्य एडिटिव्स के साथ कच्चे माल को पीवीसी कंपाउंड बनाने के लिए मैनुअल/ऑटो मिक्सर के माध्यम से मिलाया जाता है। पीवीसी कंपाउंड को पीवीसी फिल्म का उत्पादन करने के लिए एक कैलेंडर तक अंतरित किया जाता है। अंत में, पीवीसी फिल्म के दो लेयर्स (टॉप और बॉटम फिल्म) को लैमिनेटर्स पर पॉलिएस्टर फैब्रिक के साथ फीड किया जाता है जिसमें फैब्रिक को पीवीसी फिल्मों के दो लेयर्स के बीच रखा जाता है और फैब्रिक को ताप के द्वारा लेमिनेटेड फ्लैक्स फिल्म बनाने के लिए लैमिनेट किया जाता है।

14. कोटिंग प्रक्रिया में, पीवीसी फ्लेक्स फिल्म का उत्पादन पीवीसी के साथ पोलिऐस्टर फैब्रिक की कोटिंग कर की जाती है। प्राधिकारी ने मूल जांच में यह निष्कर्ष निकाला था कि लेमिनेशन की प्रक्रिया अथवा कोटिंग की प्रक्रिया का उपयोग करते हुए उत्पादन किए गए उत्पाद तकनीकी रूप से और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं।
15. पीवीसी फ्लेक्स फिल्म का वर्गीकरण टैरिफ कोड 3920 4300, 3920 4900, 3921 1200 और 3921 9026 के अंतर्गत अध्याय 39 के अंतर्गत किया जाता है। विचाराधीन उत्पाद का भी आयात टैरिफ कोड 3920 9922, 3920 9929, 3920 9932, 3920 9939 और 3921 9029 के अंतर्गत किया जा रहा है। सीमा शुल्क वर्गीकरण संचूक मात्र है और यह विचाराधीन उत्पाद के कार्य-क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।
16. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के इस दावे के संबंध में कि घरेलू उद्योग ने विचाराधीन उत्पाद के कार्य-क्षेत्र को संशोधित किया है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने अपनी याचिका में पूर्व के निर्णायक समीक्षा में जांच परिणाम के आधार पर कुछ उत्पादों को अपवर्जित किया था। हालांकि, प्राधिकारी द्वारा पूर्व की जांच परिणामों में शुल्क तालिका के अनुसार रंजित विनाइल को भी अपवर्जित किया गया था जिसे उक्त जांच परिणामों में विचाराधीन उत्पाद के कार्य-क्षेत्र में अपवर्जित नहीं किया गया था। इस कारण से, घरेलू उद्योग ने केवल यह स्पष्ट किया कि रंजित विनाइल को भी विचाराधीन उत्पाद के कार्य-क्षेत्र से अपवर्जित किया जाना माना जाना चाहिए। इस कारण से, विचाराधीन उत्पाद के कार्य-क्षेत्र में कोई संशोधन नहीं किया गया है।
17. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि वर्तमान जांच एक निर्णायक समीक्षा जांच होने के कारण, वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद का कार्य-क्षेत्र वही है जो मूल जांच के कार्य-क्षेत्र में है।
18. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने यह दावा किया है कि इसने आयात की गई वस्तुओं की सदृश्य वस्तु का उत्पादन किया है और हितबद्ध पक्षकारों ने घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन की गई वस्तुओं और आयात किए गए उत्पाद में किसी अंतर का कोई दावा भी नहीं किया है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन की गई संबद्ध वस्तु और संबद्ध देश से आयात की गई संबद्ध वस्तु इन वस्तुओं के भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, निर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और उपयोग, उत्पाद विनिर्देश, कीमत निर्धारण, वितरण एवं वितरण और प्रशुल्क वर्गीकरण जैसी विशेषताओं के संदर्भ में तुलनीय हैं। ये दोनों तकनीकी रूप से और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। उपभोक्ता इन दोनों का उपयोग एक दूसरे के स्थान पर कर रहे हैं। इसको देखते हुए, प्राधिकारी यह मानते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु संबद्ध देश से आयात किए गए विचाराधीन उत्पाद की सदृश्य वस्तु है।

घ. घरेलू उद्योग का कार्य-क्षेत्र एवं आधार

घ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों का विचार

19. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने घरेलू उद्योग के कार्य-क्षेत्र और आधार के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किया है:
 - क. 12 उत्पादकों में से केवल 3 उत्पादकों ने आंकड़े उपलब्ध कराए हैं। पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के प्रभावों को देखने के लिए, घरेलू उद्योग से 27 प्रतिशत के बजाय कम से कम 60-70 प्रतिशत भागीदारी होनी चाहिए।
 - ख. घरेलू उद्योग के अनुरोध के विपरीत, देश में 19 घरेलू उत्पादक हैं जो यह संसुचित करते हैं कि शुल्क ने अपना उद्देश्य पूरा किया है।
 - ग. घरेलू उद्योग द्वारा सूचीबद्ध उत्पादकों के अलावा, भारत में संबद्ध वस्तुओं के अन्य उत्पादक अर्थात् सनलेक्स फैब्रिक्स प्रा. लि., वैष्णवी मीडिया ऑलफ्लेक्स प्लास्टिक एलएलपी, अपोलो पोलिविनायल प्रा. लि., वोरटेक्स फ्लेक्स प्रा. लि., आलोक पैकेजिंग प्रा. लि. और कैप्रिहंस इंडिया लि. हैं।
 - घ. ये आवेदक चुनिंदिये उत्पादकों जिनका क्षति की अवधि के दौरान कार्य-निष्पादन में कम से कम सुधार और अपेक्षाकृत अधिक क्षति-रहित कीमत है, के लिए लिए आंकड़े उपलब्ध करा रहे हैं।
 - ड. इन आवेदकों ने अन्य घरेलू उत्पादकों के उत्पादन आंकड़ों का स्रोत और साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया है।

घ.2 घरेलू उद्योग का अनुरोध

20. घरेलू उद्योग ने घरेलू उद्योग के कार्य-क्षेत्र और आधार के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:
 - क. यह आवेदन पाइनियर पोलिलैडर्स लिमिटेड, क्यूरेक्स फ्लेक्स प्राइवेट लिमिटेड और एसआरएफ लिमिटेड के साथ ऑल इंडिया लैमिनेटेड फैब्रिक मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन के माध्यम से दायर किया गया है।

- ख. आवेदक घरेलू उत्पादक भारत में कुल घरेलू उत्पादन का 27 प्रतिशत है।
- ग. इस आवेदन का समर्थन 4 उत्पादकों जो भारत में कुल घरेलू उत्पादन का 28 प्रतिशत है, द्वारा किया जा रहा है।
- घ. आवेदकों और समर्थकों के अलावा, भारत में संबद्ध वस्तुओं के 5 अन्य उत्पादक हैं जिनका भारत में कुल घरेलू उत्पादन का 44 प्रतिशत हिस्सा है।
- ड. आवेदकों ने क्षति की अवधि के दौरान संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं का आयात नहीं किया है और वे संबद्ध देश में किसी निर्यातक अथवा भारत में संबद्ध वस्तुओं के आयात से संबंधित नहीं हैं।
- च. जबकि समर्थकों का उत्पादन समर्थन-पत्रों में दी गई सूचना पर आधारित है, अन्य उत्पादकों का उत्पादन बाजार अनुमानों के आधार पर निर्धारित किया गया है।
- छ. इस दावे के उत्तर में कि उत्पादन का कम से कम 60-70 प्रतिशत हिस्सा वाले उत्पादकों को आंकड़ा उपलब्ध किया जाना चाहिए था, यह अनुरोध किया गया था कि आवेदकों का एक बड़ा अनुपात है। इसके अलावा, समर्थकों के साथ-साथ आवेदकों का घरेलू उत्पादन में 56 प्रतिशत हिस्सा है।
- ज. चूंकि घरेलू उद्योग ने संबद्ध आयातों के कारण क्षति का दावा नहीं किया है, यह दावा कि कम से कम सुधार दर्शाने वाले चुनिंदा उत्पादकों के आंकड़े उपलब्ध कराए गए हैं, संगत नहीं हैं।

घ.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

21. पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) में घरेलू उद्योग निम्नलिखित रूप में परिभाषित है:

“(ख) “घरेलू उद्योग” का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा ऐसे उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है सिवाए उस स्थिति के जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं अथवा वे स्वयं उसके आयातक होते हैं, तो ऐसे मामले में “घरेलू उद्योग” पद का अर्थ शेष उत्पादकों के संदर्भ में लगाया जा सकता है।”

22. यह आवेदन पाइनियर पोलिलैडर्स लिमिटेड, क्यूरेक्स फ्लेक्स प्राइवेट लिमिटेड और एसआरएफ लिमिटेड के साथ-साथ ऑल इंडिया लैमिनेटेड फैब्रिक मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन (एआईएलएफएमए) द्वारा दायर किया गया था। आवेदक उत्पादक संबद्ध देश में संबद्ध वस्तुओं के किसी आयातक अथवा निर्यातक से संबंधित नहीं हैं और न ही उन्होंने संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं का आयात किया है।
23. आवेदन का समर्थन निम्नलिखित चार घरेलू उत्पादकों द्वारा किया गया है जिन्होंने संगत सूचना के साथ समर्थन पत्र प्रस्तुत किए हैं:
- क. एडीका इंडस्ट्रीज एलएलपी
 - ख. नवरत्न स्पेशलिटी केमिकल्स एलएलपी
 - ग. सनफ्लेक्स फैब्रिक्स लिमिटेड
 - घ. सुपरसाइन इंडस्ट्रीज
24. भारत में संबद्ध वस्तुओं के 5 अन्य घरेलू उत्पादक हैं जिनका इन घरेलू उत्पादन का 44 प्रतिशत हिस्सा है जिन्होंने न तो आवेदन का समर्थन किया है और न ही इसका विरोध किया है।
25. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के इस दावे के संबंध में कि देश में 12 उत्पादकों में से केवल 3 उत्पादकों ने वर्तमान जांच में भाग लिया है, यह नोट किया जाता है कि नियम 5(3) के अंतर्गत आवेदकों के लिए यह आवश्यक है कि वे उन घरेलू उत्पादन का कम से कम 25 प्रतिशत उत्पादन करें। घरेलू आवेदकों की संख्या उस सीमा तक संगत नहीं है, जिस सीमा तक वे नियम 5(3) के अंतर्गत 25 प्रतिशत संरचना की आवश्यकता को पूरा करते हों। 3 आवेदक घरेलू उत्पादकों का कुल घरेलू उत्पादन में बड़ा हिस्सा है। इसके अलावा, 4 अन्य घरेलू उत्पादकों ने भी आवेदन का समर्थन किया है और आवेदक द्वारा अपेक्षित संगत ब्यौरा प्रस्तुत किए हैं। समर्थकों के साथ-साथ आवेदकों का कुल घरेलू उत्पादन में 56 प्रतिशत हिस्सा है। इस कारण से प्राधिकारी यह मानते हैं कि आवेदक पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के तात्पर्य से घरेलू उद्योग हैं।

ड. गोपनीयता**ड.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध**

26 अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने गोपनीयता के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- क. आवेदकों ने अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है और (i) क्षमता के उपयोग के लिए औसत उपयोग मानदंड (ii) वास्तविक बिक्री मूल्य, पीबीआईटी, कुल पीबीआईटी, वेतन, ब्याज और ह्रास (iii) उत्पादकता, मालसूची और निवेश पर प्रतिफल के लिए औसत उद्योग मानदंड और (iv) आरएंडडी खर्च को बताने में असफल रहे हैं। यह व्यापार सूचना 10/2018 के अंतर्गत निर्धारित दिशा-निर्देशों से मेल नहीं खाते हैं।
- ख. पीसीएन वार निर्यात कीमत उपलब्ध नहीं कराई गई है। इसके अलावा, कम कीमत पर बिक्री और क्षति मार्जिन के संबंध में कोई सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है।
- ग. घरेलू उद्योग एक्सोटिक डेकोन प्राइवेट लिमिटेड बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी में वास्तविक निर्णयक द्वारा यथा-अपेक्षित एक्सल फार्मेट में डीजीसीआईएंड आंकड़े उपलब्ध कराने की आवश्यकता है।
- घ. आवेदकों ने प्रत्येक कंपनी के अलग-अलग कार्य-निष्पादन पर टिप्पणी करने से प्रतिवादियों को रोकते हुए प्रत्येक कंपनी के फार्मेट-एच का अगोपनीय रूपांतर साझा नहीं किया है।
- ड. आवेदकों ने अनुक्रमित रूप में भी समर्थकों द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़े उपलब्ध नहीं कराए हैं जिससे इस पर टिप्पणी करना प्रतिवादियों के संभव नहीं है।
- च. समुद्री बीमा, कमीशन, पोर्ट खर्च और अन्तर्देशीय ढुलाई के लिए निर्यात कीमत के समायोजन के संबंध में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया है।
- छ. घरेलू उद्योग ने कीमत में कटौती का निर्धारण करने के लिए इसके लिए कारण उपलब्ध कराए बिना आयातों की मात्रा के संबंध में गोपनीयता का दावा किया है।
- ज. घरेलू उद्योग के इस दावे के विपरीत, हेटेक्स ने उस सूचना के संबंध में ही गोपनीयता का दावा किया है जिसे गोपनीय रखे जाने की अनुमति दी जाती है और सभी वास्तविक सूचना उत्तर के अगोपनीय रूपांतर में प्रस्तुत किया गया है।

ड.2. घरेलू उद्योग का अनुरोध

27. घरेलू उद्योग ने गोपनीयता के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- क. हेटेक्स ने बिक्री से प्राप्ति, बिक्री की लागत, लाभ, आरएंडडी खर्च, निवल निर्धारित परिसंपत्ति, ब्याज, ह्रास और निर्माण की प्रक्रिया के मोटे चरण-वार लेख के प्रकटन के संबंध में व्यापार सूचना 10/2018 की आवश्यकताओं का अनुपालन नहीं किया है। इसने सूचना को खाली छोड़ा है और उसके लिए अनुक्रमित आंकड़े भी उपलब्ध नहीं कराए थे।
- ख. वास्तविक बिक्री मूल्य, वेतन, ब्याज और लाभ पीबीआईटी का प्रकटन अन्य उत्पादकों के साथ परस्पर प्रतिस्पर्धा में आवेदकों और अपने ग्राहकों के साथ कीमतों के बारे में मोलभाव करने की उनकी क्षमता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगी। इसके अलावा, प्राधिकारी ने हाल के अपने जांच परिणामों में इस प्रकार की सूचना को गोपनीय के रूप में भी माना है।
- ग. आवेदकों ने यह प्रकट किया है कि उन्हें उत्पादकता, मालसूची और निवेश पर प्रतिफल के लिए औसत उद्योग मानदंड की जानकारी नहीं है।
- घ. आरएंडडी खर्च तथा कंपनी के लिए समग्र रूप में जुटाई जा रही निधियों और उस सूचना, जो विचाराधीन उत्पाद के लिए जिम्मेदार नहीं है, के संबंध में सूचना आवेदकों के वित्तीय विवरण के अनुसार है।
- ड. हितबद्ध पक्षकारों के दावे के विपरीत, पीसीएन वार निर्यात कीमत और क्षति मार्जिन घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराया गया है।

- च. प्रत्येक अलग-अलग कंपनी के आर्थिक मापदंड व्यापार प्रोपराइटी सूचना हैं, जिनका प्रकटन इन कंपनियों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगा। हालांकि, समेकित प्रपत्र एच उपलब्ध कराया गया है, जो हितबद्ध पक्षकारों के लिए क्षति के संबंध में अनुरोध करने के लिए पर्याप्त है।
- छ. समर्थकों द्वारा प्रस्तुत किया गया आंकड़ा, उनका व्यापार प्रोपराइटी सूचना है जो घरेलू उद्योग प्रकट करने के लिए अधिकृत नहीं है। इसके अलावा, इस प्रकार का आंकड़ा संगत नहीं है क्योंकि प्राधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह परिभाषित घरेलू उद्योग की क्षति की जांच करें।
- ज. लेनदेन-वार आयात आंकड़ा व्यापार सूचना 07/2018 के अनुसार पीडीएफ फार्म में दिया गया है।

ड.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

28. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर उपलब्ध कराई गई सूचना की जांच गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में की गई थी। संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने जहां कहीं भी आवश्यक हुआ, गोपनीयता के दावे को स्वीकार किया है और इस प्रकार की सूचना को गोपनीय तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट न की गई सूचना के रूप में माना गया है। जहां भी संभव हुआ, गोपनीय आधार पर सूचना उपलब्ध कराने वाले पक्षकारों को यह निदेश दिया गया था कि वे गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना का पर्याप्त अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराएं। प्राधिकारी ने सार्वजनिक फाइल के रूप में विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य का अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराया।
29. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के इस दावे के संबंध में कि घरेलू उद्योग ने अलग-अलग कंपनियों के प्रपत्र एच का अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध नहीं कराया है, यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग ने सभी आवेदकों के समेकित प्रपत्र एच को प्रस्तुत किया है जो हितबद्ध पक्षकारों को घरेलू उद्योग के क्षति संबंधी मापदंडों पर टिप्पणी करने की अनुमति देता है। चूंकि क्षति को परिभाषित घरेलू उद्योग के लिए देखे जाने की आवश्यकता है, अतः घरेलू उद्योग के अलग-अलग संघटकों का कार्य-निष्पादन संगत नहीं है।
30. डीजीसीआईएंडएस आंकड़ों के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह आंकड़ा निर्यातक देशों से भारत में आयातों की मात्रा और मूल्य से संबंधित हितबद्ध पक्षकारों के साथ साझा किया गया है। इसके अलावा, आवेदक ने लेनदेन-वार आयात आंकड़ा की भी सूची उपलब्ध कराई है। यह भी नोट किया जाता है कि कोई भी हितबद्ध पक्षकार डीजीसीआईएंडएस से स्वतंत्र रूप से आंकड़ा प्राप्त कर सकता है और इस प्रकार से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर अपना स्वयं का प्रति दावा दायर कर सकता है। प्राधिकारी यह मानते हैं कि आयात आंकड़े साझा करने और प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया का निर्धारण दिनांक 15 मार्च, 2018 की व्यापार सूचना 07/2018 में किया गया है। इसमें यह प्रावधान है कि (i) घरेलू उद्योग द्वारा विश्वास किए गए अलग-अलग आयात आंकड़ों को हार्ड कॉपी में साझा किया जा सकता है और (ii) हितबद्ध पक्षकार डीजीसीआईएंडएस से लेनदेन-वार आयात आंकड़ों के द्वारा अपरिष्कृत लेन-देन की मांग करने के लिए प्राधिकारी से अधिकरण की मांग कर सकते हैं। अलग-अलग किया गया आयात आंकड़ा निर्धारित प्रपत्र के अनुसार घोषणा/लिखित वचन के आधार पर हितबद्ध पक्षकारों को सुलभ बनाया गया था। इस प्रकार प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि अब अपनाई जा रही प्रक्रिया सभी पक्षकारों और जांचों से मेल खाते हैं तथा वे एक जैसे हैं एवं हितबद्ध पक्षकारों को उनके हितों का बचाव करने के लिए समुचित अवसर उपलब्ध कराते हैं।

च. विविध मुद्दे

च.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों का अनुरोध

31. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने निम्नलिखित विविध अनुरोध किए हैं:
- क. मूल जांच के दौरान, केवल एक उत्पादक था। परंतु, अब मूल जांच में, घरेलू बाजार में 12 से अधिक उत्पादक हैं। पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने का उद्देश्य प्राप्त कर लिया गया है।
- ख. घरेलू उद्योग को पिछले 11 वर्षों से लगाए जा रहे शुल्कों के साथ संबद्ध वस्तुओं के आयातों से पर्याप्त संरक्षण प्राप्त हुआ है जिसके फलस्वरूप बड़ी हुई क्षमताओं वाले पायोनियर पोलिलैडर्स लिमिटेड के साथ घरेलू उद्योग के वित्तीय कार्य-निष्पादन में उल्लेखनीय सुधार और आयातों की मात्रा मामूली रही है।
- ग. आवेदक बाजार हिस्से का 96 प्रतिशत रखने के बावजूद किसी प्रतिस्पर्धा को समाप्त करने के विद्वेषपूर्ण उद्देश्य से और न कि घरेलू उद्योग को संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से शुल्कों को जारी रखने की मांग कर रहे हैं।

- घ. देश में किसी मांग-आपूर्ति के अंतर तथा देश में समग्र मांग को पूरा करने के लिए घरेलू उद्योग की क्षमता न होने की स्थिति में, घरेलू उद्योग को मामूली संबद्ध आयातों से खतरा होने की आवश्यकता नहीं है।
- ड. प्रयोक्ताओं का भाग नहीं लेने का कारण अनेक हो सकता है और इसका आशय यह नहीं हो सकता है कि प्रयोक्ताओं पर शुल्कों के जारी रहने का कोई प्रभाव नहीं है।
- च. आयातों की वैकल्पिक स्रोतों की उपलब्धता शुल्कों को जारी रखने का आधार नहीं हो सकता।
- छ. घरेलू उद्योग की निर्यात संभाव्यता वर्तमान जांच के उद्देश्य से संगत नहीं है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग ने क्षति की अवधि के दौरान विशेष रूप से ब्राजील में बहुत अधिक मात्रा में अपने निर्यातों का पहले ही विस्तार किया है।

च.2. घरेलू उद्योग के अनुरोध

32. घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित विविध अनुरोध किए हैं:

- क. पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से घरेलू उद्योग के विकास में मदद मिली है। शुल्क लगाए जाने के आरंभ में केवल एक उत्पादक था और अब भारतीय उद्योग का आकार पिछले कुछ समय से बढ़ गया है और वर्तमान में देश में संबद्ध वस्तुओं के 12 उत्पादक हैं। घरेलू उद्योग के पास घरेलू मांग को पूरा करने की पर्याप्त क्षमताएं हैं।
- ख. विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क को जारी रखना जनहित में होगा। यह शुल्क घरेलू उद्योग को क्षति होने से रोकेगा और वैसा करने से यह सुनिश्चित होगा कि उपभोक्ता निर्यातकों की दया पर नहीं छोड़े जाएं।
- ग. इस देश में मांग और आपूर्ति में कोई अंतर नहीं है। घरेलू उद्योग के पास देश में समग्र मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त क्षमताएं हैं।
- घ. प्रयोक्ताओं पर प्रतिकूल प्रभाव का कोई साक्ष्य नहीं है क्योंकि इन्होंने निर्णायक समीक्षा में भाग नहीं लिया है।
- ड. घरेलू उद्योग एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था में उत्पादकों से प्रतिस्पर्धा कर रहा है जिसे सरकार से बहुत अधिक सहायता मिलती है। इस प्रकार के आयात का भारतीय बाजार में प्रतिस्पर्धा की स्थितियों पर क्षतिकारक प्रभाव पड़ता है क्योंकि यह निर्यातकों के उत्पादन की लागत को कम करता है।
- च. संबद्ध वस्तुओं का भी आयात उचित कीमतों पर अन्य देशों जैसे बेल्जियम, कोरिया गणराज्य, जापान, थाइलैंड, यूएसए, वियतनाम, आदि से किया जा सकता है।
- छ. घरेलू उद्योग ने क्षमताओं में निवेश किया है और वे घरेलू मांग को पूरा करने तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम हैं। घरेलू उद्योग की वैश्विक उपस्थिति के साथ, भारत संबद्ध वस्तुओं का एक बहुत बड़ा निर्यातक भी बन जाएगा। हालांकि, यदि पाटित आयातों की अनुमति घरेलू बाजार की स्थितियों को नष्ट करने के लिए दी जाती है तब घरेलू उद्योग को हानि होगी और यह अपनी निर्यात संभाव्यता को भी प्राप्त करने में सक्षम नहीं होगा।
- ज. क्या शुल्कों को क्षति अथवा पाटन के जारी रहने की संभावना और न कि वर्षों की संख्या, जिसके लिए शुल्क लागू नहीं है, के आधार पर निर्धारण करने के लिए निर्णायक समीक्षा जांच के अनुसरण में जारी रखे जाने की आवश्यकता है। प्राधिकारी ने शुल्कों की अवधि पर विचार किए बिना विभिन्न निर्णायक समीक्षा जांचों में शुल्कों की सिफारिश की है।
- झ. प्राधिकारी ने ड्राई सेल बैट्री और विस्कोस फिलामेंट यार्न के मामले में शुल्कों को जारी नहीं रखा है क्योंकि पाटन अथवा क्षति के जारी रहने की कोई संभावना नहीं थी जो कि वर्तमान मामले में वैसा नहीं है।
- ञ. शुल्कों को जारी नहीं रखने की सिफारिश करते हुए चीन जन.गण. से नोनील फिनोल के मामले में प्राधिकारी के जांच परिणामों को सेस्टेट द्वारा खारिज कर दिया गया था और रिमांड पर, प्राधिकारी ने शुल्कों को जारी रखने की सिफारिश की है।

च.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

33. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के लगाए गए शुल्क की लंबी अवधि और इन शुल्कों द्वारा अपना उद्देश्य प्राप्त कर लिए जाने के संबंध में तर्क के बारे में, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क का उद्देश्य केवल समान अवसर सृजित करना और घरेलू उद्योग को क्षतिकारक पाटन के विरुद्ध राहत प्रदान करना है। वर्तमान जांच की शुरुआत शुल्क के समाप्त होने की स्थिति में पाटन अथवा क्षति के जारी रहने अथवा उसके फिर से होने की जांच करने के लिए शुरु की गई है। यदि प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि पाटन और क्षति शुल्कों के अभाव में संभवतः जारी रहने वाली है अथवा फिर से होने वाली है, तब पाटनरोधी शुल्कों का विस्तार शुल्कों को लगाए जाने की अवधि और जांच की संख्या के बावजूद की जाएगी।
34. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के इस दावे के संबंध में कि वर्तमान शुल्क को अवश्य ही समाप्त होने दिया जाना चाहिए, जैसाकि ड्राई सेल बैटरी विस्कोस स्टेपल यार्न के मामले में था, यह नोट किया जाता है कि इस प्रकार की जांचों में, प्राधिकारी ने यह निष्कर्ष निकालने के बाद शुल्कों को जारी नहीं रखने की सिफारिश की कि शुल्कों के समाप्त होने की स्थिति में पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उसके फिर से होने की कोई संभावना नहीं थी।
35. जनहित के संबंध में, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि देश में मांग-आपूर्ति में कोई अंतर नहीं है और घरेलू उत्पादकों के बीच आपस में बहुत अधिक प्रतिस्पर्धा है जो प्रयोक्ताओं को प्रतिस्पर्धी कीमतों पर संबद्ध वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करता है। विचाराधीन उत्पाद का भी आयात अन्य देशों से किया जाता है जो अतिरिक्त रूप से देश में मांग को पूरा कर सकता है।
36. इसके अलावा, शुल्कों के प्रतिकूल प्रभाव का साक्ष्य उपलब्ध कराने के लिए इस जांच में किसी भी प्रयोक्ता ने भाग नहीं लिया है। दूसरी ओर, घरेलू उद्योग ने विशेष रूप से यह दर्शाया है कि शुल्कों को लगाया जाना घरेलू उत्पादकों की बहुत अधिक क्षमताओं, घरेलू उद्योग की निर्यात संभाव्यता और देश में प्रतिस्पर्धी बाजार स्थितियों पर विचार करते हुए जनहित में है।

छ. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का निर्धारण**छ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध**

37. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:
- क. विश्व व्यापार संगठन में चीन की जनतांत्रिक गणराज्य के आरोहन के नवाचार की धारा 15(क)(ii) सामान्य मूल्य का निर्धारण करते समय गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में चीन जन.गण. को मानने के लिए 11 दिसंबर, 2016 को समाप्त हो गया है। इस कारण से, वर्तमान जांच में सामान्य मूल्य का निर्धारण घरेलू कीमत और संबद्ध देश में संबद्ध वस्तुओं की लागत के आधार पर अवश्य किया जाना चाहिए। कोई अन्य पद्धति विश्व व्यापार संगठन के प्रति भारत के दायित्व का उल्लंघन करेगा।
- ख. तीसरे देश की आयात कीमत जो कोरिया गणराज्य है, के आधार पर सामान्य मूल्य तय किया जाना उपयुक्त नहीं है। कुईतुन जिनजियांग केमिकल इंडस्ट्री कं. लि. बनाम संघ सरकार में लिए गए निर्णय के अनुसार, आयात की मात्रा और क्या आयात अपाटित आयात हैं, पर विचार एक प्रतिनिधिक देश का चयन करने में किया जाना अपेक्षित है।
- ग. आवेदकों ने यह निर्धारण करने के लिए कोरिया में घरेलू कीमत उपलब्ध नहीं कराई थी कि आयात अपाटित आयात हैं और ऐसे आंकड़ों के बिना जांच पूरी नहीं की जा सकती है।
- घ. कोरिया गणराज्य को एक उपयुक्त प्रतिनिधिक देश के रूप में नहीं माना जा सकता है क्योंकि वे ब्राजील में संबद्ध वस्तुओं का पाटन कर रहे हैं और संभवतः भारत में भी पाटन कर रहे हैं।
- ड. यह दावा कर कि सामान्य मूल्य को केवल कम बताया गया है, यदि कोरिया की कीमत पाटित है तब घरेलू उद्योग पूर्व उदाहरण का पालन नहीं करने की कोशिश कर रहा है। इस तर्क के विपरीत, कोरिया गणराज्य से संबद्ध वस्तुओं के पाटन के फलस्वरूप न्यूनीकृत सामान्य मूल्य होगा और बल्कि चीन जन.गण. से सस्ते उत्पादों की कीमत के साथ कोरिया गणराज्य से महंगे उत्पादों की कीमत की तुलना के कारण सकारात्मक पाटन मार्जिन निश्चित रूप से होगा।

- च. कोरिया गणराज्य को निर्यातों की मात्रा के आधार पर ही वर्तमान जांच में एक उपयुक्त प्रतिनिधिक देश के रूप में नहीं माना जा सकता है क्योंकि कोरिया गणराज्य उच्च मानकों और रहने की लागत के साथ एक विकसित देश है, जबकि चीन जन.गण. एक विकासशील देश है। प्राधिकारी ने चीन जन.गण. से एसएवी के मामले में उसी आधारों पर चीन जन.गण. के लिए प्रतिनिधिक देश के रूप में ताइवान को अपनाना अस्वीकार किया है।
- छ. तीसरे देश के चयन के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों को कोई नोटिस नहीं दिया गया था और न ही हितबद्ध पक्षकारों से यह अनुरोध किया गया था कि वे इसमें परिवर्तन का सुझाव दें अथवा करें। यह शेनयांग मत्सुशिता 2005 (181) ईएलटी 320(एससी) के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय से मेल नहीं खाते हैं।
- ज. आवेदक यह सिद्ध कर पाने में सफल नहीं रहे हैं कि कोरिया गणराज्य में उत्पादन किए गए उत्पादों के प्रकार और ग्रेड वही हैं जो भारत अथवा चीन जन.गण. में उत्पादन की गई वस्तुओं का है। इस प्रकार की समानता संभवतः कोरियाई और चीन के उत्पादों के बीच कीमत और गुणवत्ता में अंतर के कारण नहीं है। इन दोनों से आयातों की मात्रा भी तुलनीय नहीं है।
- झ. कोरिया गणराज्य से आयातों की मात्रा संबद्ध देश से आयातों की मात्रा के तुलनीय नहीं है और इस कारण से, कोरिया गणराज्य से आयातों की मात्रा को सामान्य मूल्य के रूप में नहीं माना जा सकता है।
- ञ. आवेदकों ने चीन जन.गण. से वास्तव में निर्यात किए जा रहे केवल दो पीसीएन, जिसके फलस्वरूप विषम एपल टू एपल तुलना होती है, के बावजूद कोरिया गणराज्य से निर्यात कीमत का उपयोग करते हुए विभिन्न पीसीएन के लिए पाटन मार्जिन की गणना की है।
- ट. आवेदकों ने सामान्य मूल्य की गणना के लिए उपयोग की जाने वाली पीसीएन की तुलना में केवल सीमित संख्या में पीसीएन के लिए पाटन मार्जिन का निर्धारण किया है।
- ठ. आवेदकों द्वारा निर्धारित किया गया सामान्य मूल्य बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है क्योंकि कोरिया गणराज्य से आयात किए गए बैक लिट 520 जैसे कुछ उत्पादों की कीमतें चीन जन.गण. से आयात किए गए तमाम उत्पाद बैक लिट 510 से अधिक महंगा है।
- ड. संचरित सामान्य मूल्य के मामले में, उसका निर्धारण यह सुनिश्चित करने के लिए कि सामान्य मूल्य को अ-कार्यक्षमता के कारण कृत्रिम रूप से बढ़ाया नहीं गया है, सबसे अधिक कार्यक्षम घरेलू उत्पादक के उत्पादन की लागत के आधार पर भी किया जाना चाहिए।
- ढ. हेटेक्स जर्मन कंपनी हेटेक्स, जर्मनी का 100 प्रतिशत पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। कंपनी के प्रचालन में चीन की सरकार द्वारा कोई हस्तक्षेप नहीं है।
- ण. चूंकि हेटेक्स के लिए पाटन मार्जिन प्रथम निर्णायक समीक्षा में न्यूनतम से कम था, इसके संबंध में जांच को समाप्त किया जाना चाहिए था और इसे वर्तमान समीक्षा में शामिल नहीं किया जाना चाहिए था।
- त. हैनिंग हेंगचुआंग कोटेड फैब्रिक कं. लिमिटेड ने उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है क्योंकि इसने जांच की अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं का निर्यात नहीं किया था।

छ.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

38. घरेलू उद्योग ने सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:-

- क. हेटेक्स का बाजार अर्थव्यवस्था का दावा स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि उसने चीन के स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं से कच्ची सामग्री की खरीद की है। यह इसलिए है, क्योंकि कच्ची सामग्री की रियायती कीमत पर चीन के बाजार में आपूर्ति की जाती है और यह प्रायः चीन की सरकार द्वारा आपूर्ति की जाती है।
- ख. उत्पादकों के बाजार अर्थव्यवस्था के दावे को, मूल और प्रथम निर्णायक समीक्षा जांचों में उसी आधार पर अस्वीकार कर दिया गया था।
- ग. हेटेक्स के दावों के प्रतिकूल, चीन की सरकार द्वारा रियायती दरों पर यूटिलिटी प्रदान की जाती है, जैसा कि निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा चीन के खिलाफ सब्सिडी रोधी जांचों में नोट किया गया है।

- घ. चीन जन.गण. को चीन एक्सेसन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15(क)(i) के अनुसार एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में माना जाना चाहिए और नियमावली के नियम 7, अनुलग्नक-1 के अनुसार सामान्य मूल्य का निर्धारण करना चाहिए।
- ड. चीन जन.गण. को एक बाजार अर्थव्यवस्था नहीं माना जा सकता, क्योंकि अनुच्छेद 15(क)(i) के प्रावधान लागू हैं, जबकि अनुच्छेद 15(क)(ii) के प्रावधान दिनांक 11 दिसंबर, 2016 को समाप्त हो गए हैं। इसके अलावा, प्राधिकारी ने चीन जन.गण. को हाल की सभी जांचों में गैर-बाजार अर्थव्यवस्था माना है।
- च. ईसीफास्टनर्स के मामले में निर्भरता उपयुक्त नहीं है, क्योंकि अपील निकाय के समक्ष मामला निश्चित नहीं था कि क्या चाहे अनुच्छेद 15(क) के समग्र प्रावधान अथवा केवल अनुच्छेद 15(क)(ii) के प्रावधान 15 वर्षों की समाप्ति पर कालातीत हो जाएंगे।
- छ. कुइतुन जिनजियांग कैमिकल इंडस्ट्री कं. लि. बनाम भारत संघ मामले में विनिर्दिष्ट सिद्धांतों को लागू करके सामान्य मूल्य का निर्धारण, आयातों की मात्रा को देखते हुए और यह देखते हुए कि आयात पाटित हैं, कोरिया गणराज्य से भारत को आयातों के आधार पर किया जाना चाहिए।
- ज. प्रतिवादियों के तर्क के प्रतिकूल घरेलू उद्योग को यह दर्शाने की जरूरत नहीं है कि कुइतुन जिनजियांग कैमिकल इंडस्ट्री कं. लि. बनाम भारत संघ मामले में सेस्टेट के निर्णय पर विचार करते हुए कोरिया गणराज्य के विकास का स्तर चीन जन.गण. के स्तर के समान है।
- झ. घरेलू उद्योग ने, अन्य हितबद्ध पक्षकारों को टिप्पणी करने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुए याचिका में सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए एक प्रतिनिधि देश के रूप में कोरिया गणराज्य पर विचार करने के लिए अपने दावे को स्पष्ट रूप से बताया था।
- ञ. प्राधिकारी को एक प्रतिनिधिक देश के रूप में कोरिया गणराज्य के उपयुक्त होने के संबंध में एक जांच परिणाम दर्ज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि घरेलू उद्योग ने सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए कोरिया गणराज्य में लागत अथवा कीमत का सुझाव नहीं दिया है।
- ट. कोरिया गणराज्य से आयातित पीसीएन में चीन जन.गण. से आयात किए गए सभी पीसीएन शामिल हैं और इस प्रकार, उत्पाद के प्रकार तुलनात्मक हैं। घरेलू उद्योग ने केवल उन्हीं पीसीएन के लिए सामान्य मूल्य का हवाला दिया है, जो पाटन मार्जिन का निर्धारण करने के लिए चीन जन.गण. से आयात किए गए हैं।
- ठ. बैंक लिट 510 के लिए पाटन मार्जिन का दावा, उसी पीसीएन के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के आधार पर किया गया है न कि बैंक लिट 520 के लिए।
- ड. एक प्रतिनिधिक देश के रूप में चुने गए किसी देश से आयातों की मात्रा हमेशा ही संबद्ध देश से कीमतों की तुलना में अधिक या कम होगी और इस प्रकार से यह दावा कि कोरिया गणराज्य पर अधिक कीमतों और मात्रा के कारण प्रतिनिधिक देश के रूप में विचार नहीं किया जाना चाहिए, असंगत है।
- ढ. कोरिया गणराज्य से आयातों की अधिक मात्रा से यह तात्पर्य है कि मात्रा और कीमतें, संबद्ध वस्तुओं की कीमतों का अधिक प्रतिनिधित्व करती हैं।
- ण. जून, 2016 में कोरियाई उत्पादकों के खिलाफ ब्राजील द्वारा लगाए गए पाटनरोधी शुल्क पहले ही समाप्त हो चुके हैं और यह तथ्य कि समाप्त होने की कोई समीक्षा शुरू नहीं की गई है, उसका तात्पर्य यह है कि कोरियाई उत्पादक अब ब्राजील में पाटन नहीं कर रहे हैं।
- त. यहां तक कि यदि कोरिया गणराज्य से भारत को निर्यातों की पाटित कीमतें हैं, तब भी इसका केवल यही अर्थ है कि सामान्य मूल्य का ह्रास हो जाएगा। अतः इसके द्वारा निर्यातकों के साथ कोई पक्षपात नहीं किया जाता।
- थ. यहां तक कि यदि निर्मित सामान्य मूल्य पर विचार किया जाता है तो उत्पादन की वास्तविक लागत पर विचार किया जाना चाहिए न कि उत्पादन की ईष्टतम लागत पर विचार किया जाना चाहिए।

- द. प्रथम निर्णायक समीक्षा में न्यूनतम पाटन मार्जिन के परिणामस्वरूप एक विशिष्ट उत्पादक के खिलाफ जांच समाप्त नहीं होती, क्योंकि नियम 14 (ग) निर्णायक समीक्षाओं के लिए लागू नहीं हैं। इसके अलावा, प्राधिकारी ने हेटेक्स के खिलाफ जांच को समाप्त नहीं किया। प्राधिकारी ने, विगत की जांचों में शून्य शुल्क लगाए जाने के बावजूद, एक प्रक्रिया के रूप में समीक्षा में निर्यातकों को शामिल किया है। रोबिन रिसोर्सिज बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी मामले में सेस्टेट के निर्णय पर भरोसा किया गया है।
- ध. चूंकि हेनिंग हेंगचुआंग ने निर्यातक प्रश्नावली उत्तर दाखिल नहीं किया है, अतः उन पर अवशिष्ट शुल्क होना चाहिए।
- न. सीआईएफ कीमत के आधार पर निर्यात कीमत निर्धारित की गई है, जिसे समुद्री मालभाड़ा, समुद्री बीमा, बंदरगाह व्यय, स्वदेशी मालभाड़ा और कमीशन को समायोजित किया गया है, ताकि निवल निर्यात कीमत निकाली जा सके।
- प. संबद्ध देश के लिए पाटन मार्जिन सकारात्मक और महत्वपूर्ण है।

छ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

39. प्राधिकारी ने संबद्ध देश से ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को प्रश्नावलियां भेजी और उन्हें प्राधिकारी द्वारा निर्धारित रूप में और निर्धारित तरीके से सूचना प्रदान करने का परामर्श दिया। निम्नलिखित उत्पादक ने निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर दाखिल किया है:-

क. हेटेक्स टैक्रीकल टैक्सटाइल्स (झांगजियागेंग) कंपनी लिमिटेड

छ.3.1 सामान्य मूल्य का निर्धारण

हेटेक्स टैक्रीकल टैक्सटाइल्स (झांगजियागेंग) कंपनी लिमिटेड द्वारा बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार के दावे की जांच

40. प्राधिकारी ने हेटेक्स टैक्रीकल टैक्सटाइल्स (झांगजियागेंग) कंपनी लिमिटेड द्वारा किए गए बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार के दावे की जांच की है। प्रतिवादी उत्पादक ने यह कहा है कि वे एक जर्मन कंपनी की एक 100 प्रतिशत स्वामित्व वाली सहायक कंपनी हैं और चीन की किसी भी संस्था से संबद्ध नहीं हैं। इसके अलावा, उन्होंने यह भी कहा है कि उन्होंने विचाराधीन उत्पाद के निर्माण के लिए चीन के असंबद्ध आपूर्तिकर्ताओं से आर्म्स लेंथ कीमत पर कच्ची सामग्री की खरीद की है। तथापि, उत्पादक यह स्थापित करने में विफल रहा है कि प्रमुख इनपुट की लागत पर्याप्त रूप से बाजार की कीमतों को दर्शाती हैं। तदनुसार, वर्तमान दावों की जांच करने पर और विगत जांच परिणामों पर विचार करने के बाद, प्राधिकारी ने यह पाया है कि बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार के दावे के समर्थन में प्रस्तुत किसी पर्याप्त साक्ष्य और किसी नई सूचना के अभाव में, जिससे कि प्राधिकारी को विगत जांचों में अपने जांच परिणामों को बदलने की जरूरत पड़ेगी, प्राधिकारी ने हेटेक्स टैक्रीकल टैक्सटाइल्स (झांगजियागेंग) कंपनी लिमिटेड को बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा प्रदान करने का निर्णय लिया है।

चीन जन.गण. के लिए सामान्य मूल्य

41. चूंकि हेटेक्स टैक्रीकल टैक्सटाइल्स (झांगजियागेंग) कंपनी लिमिटेड को बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार का दर्जा प्रदान नहीं किया गया है, अतः चीन जन.गण. के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के अनुसार किए जाने की जरूरत है, जिसे इस प्रकार पढ़ा जाता है:

"गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों से आयात के मामले में, उचित लाभ मार्जिन को शामिल करने के लिए भारत में समान उत्पाद के लिए वास्तविक रूप से भुगतान किया गया अथवा भुगतान योग्य, आवश्यकतानुसार पूर्णतया समायोजित कीमत रहित, सामान्य मूल्य का निर्धारण तीसरे देश के बाजार अर्थव्यवस्था में कीमत अथवा परिकलित मूल्य के आधार पर अथवा भारत सहित ऐसे किसी तीसरे देश से अन्य देशों के लिए कीमत अथवा जहां यह संभव नहीं है, या किसी अन्य उचित आधार पर किया जाएगा। संबद्ध देश के विकास के स्तर तथा संबद्ध उत्पाद को देखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा यथोचित पद्धति द्वारा एक समुचित बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश का चयन किया जाएगा और चयन के समय पर उपलब्ध कराई गई किसी विश्वसनीय सूचना पर यथोचित रूप से विचार किया जाएगा। बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी अन्य तीसरे देश के संबंध में किसी समयानुरूपी मामले में की जाने वाली जांच के मामले में जहां उचित हों, समय-सीमा के भीतर कार्रवाई की जाएगी। जांच से संबंधित पक्षकारों को किसी अनुचित विलंब के बिना बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के चयन के विषय में सूचित किया जाएगा और अपनी टिप्पणियां देने के लिए एक समुचित समय अवधि प्रदान की जाएगी।"

42. आवेदन की अवस्था में, आवेदकों ने कोरिया गणराज्य के लिए उपयुक्त बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के रूप में दावा किया था। आवेदकों ने यह दावा किया है कि विचाराधीन उत्पाद को कोरिया गणराज्य, वियतनाम और थाइलैंड से निर्यात किया गया है। आवेदकों ने यह भी कहा है कि जबकि वियतनाम और थाइलैंड से आयात नगण्य हैं, लेकिन कोरिया गणराज्य से आयातों की मात्रा काफी है और इस प्रकार से उनकी तुलना करना उचित होगा।
43. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि अनुबंध-1 के पैरा (7) के प्रावधानों के तहत, सामान्य मूल्य का निर्धारण, किसी बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमत अथवा निर्मित मूल्य अथवा ऐसे किसी तीसरे देश से भारत सहित अन्य देशों को निर्यातों की कीमत के आधार पर किया जाना चाहिए। तथापि, जब ऐसा आधार संभव नहीं हो, तब केवल प्राधिकारी ही, भारत में भुगतान की गई कीमत अथवा भुगतान की जाने वाली कीमत सहित किसी अन्य तर्कसंगत आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण कर सकते हैं। इसे माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा भी शेनयांग मस्तसुशीता एस. बैटरी कं. लि. बनाम एक्साइड इंडस्ट्रीज लि. मामले में उल्लिखित किया गया है, जो इस प्रकार है:-

“7. इस अधिसूचना के द्वारा, गैर बाजार अर्थव्यवस्थाओं के सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए एक अलग प्रक्रिया निर्धारित की गई थी। अनुबंध-1 के पैरा 7 के तहत, अब किसी तीसरे देश द्वारा एक बाजार अर्थव्यवस्था के साथ भारत को एक समान उत्पाद के लिए भुगतान की गई कीमत के संदर्भ में सामान्य मूल्य का निर्धारण करने का प्रावधान है। यदि ऐसे किसी तीसरे देश का चयन किया जाता है, तो निर्दिष्ट प्राधिकारी को चयन के संबंध में निर्यातकों को सूचित करना होता है और उन्हें अपनी टिप्पणियां प्रदान करने के लिए एक तर्कसंगत अवधि प्रदान करनी होती है। यह केवल तभी है, जब यह प्रक्रिया संभव नहीं हो कि निर्दिष्ट प्राधिकारी किसी अन्य 'तर्कसंगत आधार' पर कार्रवाई कर सकते हैं। अन्य शब्दों में, निर्दिष्ट प्राधिकारी को वैकल्पिक प्रक्रिया की ओर जाने से पूर्व प्रथम पद्धति का उपयोग करना चाहिए।”

उच्चतम न्यायालय ने यह पाया है कि प्राधिकारी वैकल्पिक प्रक्रियाओं की ओर केवल तभी जा सकते हैं, जब पहली पद्धति का उपयोग कर लिया हो, जो कि बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमत अथवा निर्मित मूल्य अथवा ऐसे किसी तीसरे देश से भारत सहित अन्य देशों को निर्यातों की कीमत है।

44. वर्तमान मामले में, कोरिया गणराज्य में वस्तुओं की कीमत अथवा निर्मित मूल्य के संबंध में कोई सूचना नहीं है। आवेदकों ने तदनुसार कोरिया गणराज्य से भारत को निर्यातों की कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य का दावा किया है। इस संबंध में, प्राधिकारी कुडतुन जिनजियांग कैमिकल इंडस्ट्री कं. लि. बनाम भारत संघ मामले में माननीय सेस्टेट के जांच परिणामों को नोट करते हैं, जिनमें कि यह पाया गया था कि जब सामान्य मूल्य का निर्धारण, किसी बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश से निर्यातों के आधार पर किया जाता है, तो उपयुक्त तीसरे देश का निर्धारण करने के लिए संगत मापदंड के रूप में देश से निर्यातों की मात्रा है और वह देश जांच की अवधि के दौरान पाटन नहीं कर रहा हो।

“48. उत्पादक निर्यातक यह मानने के लिए स्पष्ट नहीं हैं कि कतर को एक प्रतिनिधिक देश के रूप में शामिल नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि विकास का स्तर चीन के स्तर के समान नहीं है। विकास का स्तर तभी संगत होगा, जबकि किसी बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के उत्पादन की लागत अथवा घरेलू बिक्री कीमत को अपनाया जाता है, क्योंकि विकास का स्तर कीमत और लागत पर प्रभाव डालता है। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में कीमत, अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में मांग और आपूर्ति का एक कार्य है और यह आपूर्तिकर्ता देश के विकास के स्तर से प्रभावित नहीं है। अतः भारत को कीमत, भारतीय बाजार में खपत के लिए निर्धारित कीमत है। जब सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए पैरा 7 के तहत दूसरा विकल्प प्रयोग में लाया जाता है, तो उसके लिए जो संगत है, वह निर्यातों की मात्रा है और संबंधित देश जांच की अवधि के दौरान पाटन नहीं कर रहा हो, क्योंकि इन मापदंडों से भारतीय बाजार में कीमत की तुलनात्मकता पर प्रभाव पड़ेगा।”

45. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के दावे के संबंध में कि एक उपयुक्त बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के रूप में कोरिया गणराज्य के चयन के संबंध में टिप्पणियां करने के लिए कोई भी अवसर प्रदान नहीं किया गया था, यह नोट किया जाता है कि प्राधिकारी द्वारा जारी की गई जांच शुरुआती अधिसूचना में, कोरिया गणराज्य का एक उपयुक्त तीसरे देश के रूप में चयन, सामान्य मूल्य के निर्धारण के प्रयोजन से किए जाने की जानकारी सभी हितबद्ध पक्षकारों को दे दी गई थी और प्राधिकारी द्वारा उन पर टिप्पणियां आमंत्रित की गई थी। इस प्रकार, अन्य हितबद्ध पक्षकारों के ऐसे दावे व्यर्थ हैं और बिना किसी आधार के हैं।

46. इस तर्क के संबंध में कि कोरिया गणराज्य संबद्ध आयातों की तुलना में कोरिया गणराज्य से आयातों की काफी किस्में होने के कारण एक उपयुक्त बाजार अर्थव्यवस्था वाला तीसरा देश नहीं है, अतः प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि जबकि आवेदकों ने एक पीसीएन प्रणाली का प्रस्ताव किया था, लेकिन निर्यातकों द्वारा इन आधारों पर उसका विरोध किया गया था कि इसकी जरूरत नहीं है। प्राधिकारी ने इस वर्तमान मामले में एक पीसीएन प्रणाली के रूप में विचार करना उपयुक्त नहीं पाया। इसी मामले के कारण, प्राधिकारी इस तर्क में कोई मेरिट नहीं पाते कि चीन जन.गण. के लिए उत्पाद की बास्केट कोरिया गणराज्य के लिए उत्पाद की बास्केट से भिन्न है।
47. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि कोरिया गणराज्य से काफी आयात किए गए हैं और कोरिया गणराज्य से आयातों को पाटित आयातों के रूप में नहीं माना जा सकता। इसके अलावा, चूंकि अन्य उत्पादों को भी उसी कोड के तहत माना जा रहा है, और कोरिया गणराज्य से तीसरे देशों को विचाराधीन उत्पाद के निर्यातों की मात्रा और मूल्य की सही सही पहचान करना संभव नहीं है, अतः सामान्य मूल्य का निर्धारण, कोरिया गणराज्य से अन्य देशों को निर्यातों की कीमत के आधार पर नहीं किया जा सकता। इस प्रयोजन के लिए, प्राधिकारी ने सीआईएफ कीमत पर विचार किया है, जैसा कि कोरिया गणराज्य से आयातों के लिए डीजीसीआईएंड एस से प्राप्त डेटा में सूचित किया गया है। समुद्री मालभाड़ा, समुद्री बीमा, कमीशन, बैंक प्रभारों, बंदरगाह प्रभारों और स्वदेशी मालभाड़ा के लिए, उपलब्ध तथ्यों के आधार पर कीमत का समायोजन किया गया है ताकि कारखाना बाह्य निर्यात कीमत निकाली जा सके। इस प्रकार से निर्धारित सामान्य मूल्य नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

छ.3.2 निर्यात कीमत का निर्धारण

हेटेक्स टेक्नीकल टेक्सटाइल्स (झांगजियागांग) कंपनी लिमिटेड के लिए निर्यात कीमत

48. हेटेक्स टेक्नीकल टेक्सटाइल्स (झांगजियागांग) कंपनी लिमिटेड ने ***मी.टन संबद्ध वस्तुओं का जांच की अवधि के दौरान भारत में असंबद्ध ग्राहक को सीधे निर्यात किया है। निर्यातक ने स्वदेशी यातायात, बंदरगाह व्ययों, क्रेडिट लागत, बैंक प्रभारों, समुद्री मालभाड़ा तथा बीमा के संबंध में यथा लागू समायोजन करने का दावा किया है, जिसे प्राधिकारी द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। तदनुसार, निर्धारित की गई निवल निर्यात कीमत नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाई गई है।

चीन जन.गण. से असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों की निर्यात कीमत

49. सभी अन्य उत्पादकों और निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत का निर्धारण जिन्होंने वर्तमान जांच में भाग नहीं लिया था, उपलब्ध तथ्यों के आधार पर किया गया है।

छ.3.3 पाटन मार्जिन का निर्धारण

50. संबद्ध वस्तुओं के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत पर विचार करते हुए, संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के लिए पाटन मार्जिन का निर्धारण इस प्रकार से करने का प्रस्ताव है:

क्र.सं.	उत्पादक का नाम	सामान्य मूल्य	निर्यात कीमत	पाटन मार्जिन	पाटन मार्जिन	पाटन मार्जिन
		(यूएसडॉ./मी.टन)	(यूएसडॉ./मी.टन)	(यूएसडॉ./मी.टन)	(%)	(रेंज)
चीन जन.गण.						
1	हेटेक्स टेक्नीकल टेक्सटाइल्स (झांगजियागांग) कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	5-15
3	असहयोगी/ शेष निर्यातक	***	***	***	***	20-30

ज. क्षति और कारणात्मक संबंध की जांच

ज.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

51. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में यह अनुरोध किया गया है:-

- क. वर्तमान जांच में घरेलू उद्योग पर्याप्त क्षति का सामना नहीं कर रहा है।
- ख. कीमत कटौती निर्धारण करने के लिए सभी आयात सौदों पर विचार करने की प्राधिकारी की सतत प्रक्रिया रही है न कि नकारात्मक मार्जिन वाले सौदों को बाहर करने की प्रक्रिया रही है, जैसा कि चीन जन.गण. से विस्कोस फिलामेंट यार्न के मामले में है।
- ग. आवेदकों ने यह स्वीकार किया है कि घरेलू उद्योग को क्षति होने का मुख्य कारण कोविड-19 है न कि नगण्य आयात। महामारी के कारण जिस मांग में गिरावट आई है, वह महामारी समाप्त होने पर पुनः आने की संभावना है।
- घ. संबद्ध आयातों में पूर्ण और सापेक्ष रूप से गिरावट आई है और जांच की अवधि के दौरान, चीन के उत्पादकों के निर्यात उन्मुखी न होने के कारण देश में मांग होने के बावजूद नगण्य रहे। अन्य आयातों का बाजार अंश, संबद्ध देश के बाजार अंश से अधिक है। तथापि, सभी आयातों की मात्रा आवेदकों पर प्रभाव डालने में काफी कम रही है।
- ङ. कोविड-19 महामारी के प्रभावों को बाहर करने पर, घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में वृद्धि हुई है जैसा कि आवेदकों के आंकड़ों से और पायनियर के लिए वर्ष 2018-19 और 2019-20 में आईसीआरए रिपोर्ट से देखा गया है।
- च. घरेलू उद्योग की व्याज/वित्त लागत में वृद्धि का कारण, वर्ष 2019-20 में पायनियर द्वारा क्षमता और पूंजीगत व्यय में वृद्धि करना था।
- छ. कारणात्मक संबंध की स्थापना, यहां तक कि एक निर्णायक समीक्षा में भी अपेक्षित है, क्योंकि नियम 11 एक निर्णायक समीक्षा जांच में आवश्यक परिवर्तनों के साथ लागू है और प्राधिकारी की कोरिया गणराज्य से एनबीआर के मामले की, तरह के लिंक की जांच करने की प्रक्रिया रही है।
- ज. वर्तमान मामले में कोई कारणात्मक संबंध नहीं है क्योंकि आयातों की मात्रा नगण्य है, आयातों का बाजार अंश 0 प्रतिशत है और कीमत कटौती नकारात्मक है तथा घरेलू उद्योग को कोई भी क्षति कोविड-19 महामारी के कारण से है।
- झ. आवेदक ऐसा कोई भी पर्याप्त कारण प्रदान करने में विफल रहे हैं, जिनसे कि शुल्कों के समाप्त होने की स्थिति में आयातों की मात्रा में वृद्धि होने की संभावना की बाधा को न्यायोचित ठहराया जाए।
- ञ. हेटेक्स पर नगण्य शुल्कों के लगाए जाने के बावजूद, वह घरेलू उत्पादकों द्वारा प्रस्तुत काफी कम कीमतों के कारण भारत में संबद्ध वस्तुओं की बिक्री करने में असमर्थ रहा है।
- ट. आवेदक अधिक क्षमता के निर्धारण और वस्तुसूचियों पर भरोसा करने के स्रोत को प्रकट करने में विफल रहे हैं, जिनसे इसकी विश्वसनीयता पर प्रश्न खड़े होते हैं।
- ठ. चीन जन.गण. में उत्पादकों के पास महत्वपूर्ण वस्तुसूचियां नहीं हैं और इसकी बजाय वे समस्त उत्पादों की बिक्री घरेलू बाजार में अथवा तीसरे देश के बाजारों में करते हैं और इस प्रकार पाटन की कोई संभावना नहीं है।
- ड. भारत की कीमत आकर्षकता के संबंध में कोई साक्ष्य प्रदान नहीं किए गए हैं।
- ढ. घरेलू उद्योग ने चीन जन.गण. से निर्यातकों की कीमतों का गोपनीय ब्यौरा प्राप्त करने के लिए गुप्त पद्धति का उपयोग किया है और इसे अस्वीकार किया जाना चाहिए।
- ण. प्राधिकारी द्वारा क्षति के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना के निर्धारण के लिए अपनाया गया तीसरे देश के पाटन का मापदंड नहीं है।
- त. घरेलू उद्योग ने ग्राहकों के साथ किए गए पत्राचार का ब्यौरा प्रदान नहीं किया है, जिसके आधार पर तीसरे देशों में संबद्ध वस्तुओं का पाटन निर्धारित किया गया है और ऐसी सूचना के अभाव में अनुरोध को अस्वीकार किया जाना चाहिए। इसके अलावा, कुछेक पत्राचार के आधार पर ऐसा कोई तर्कसंगत निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता, जो कि वास्तविक सौदे भी नहीं हैं।
- थ. भारतीय उद्योग के पास देश में मांग की करीब 65 प्रतिशत तक की महत्वपूर्ण अत्यधिक क्षमता है और इस प्रकार से, शुल्कों को समाप्त किए जाने के मामले में, क्षति की कोई भी संभावना नहीं है।

- द. विचाराधीन उत्पाद पर पर्यावरणीय प्रतिबंधों के कारण भारत और चीन जन.गण., दोनों में मांग पर प्रभाव पड़ा है और यह अर्थ नहीं निकाला जा सकता है कि चीन जन.गण. में मांग में गिरावट होने से भारत को निर्यातों में वृद्धि होगी।
- ध. 11 वर्षों से भी अधिक समय से शुल्कलागू रहने के कारण, चीन के उत्पादकों/निर्यातकों ने बाजार अंश और भारत को निर्यात के सभी प्रोत्साहन, भारतीय बाजार की किसी कीमत संबंधी आकर्षकता के चलते खो दिए हैं।
- न. कोविड-19 महामारी के कारण निष्पादन में गिरावट आना शुल्कों को जारी रखने की मांग के आधार के रूप में नहीं हो सकता, क्योंकि महामारी का प्रभाव समय के साथ कम होने की संभावना है।

ज.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

52. घरेलू उद्योग ने क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:-

- क. पाटनरोधी शुल्क लागू रहने के कारण, संबद्ध आयातों से घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हुई है। विचाराधीन उत्पाद के लिए मांगमें, कोविड-19 के कारण गिरावट आई है और इसके कारण, घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में जांच की अवधि में गिरावट आई है।
- ख. आयातों की मात्रा में उत्पादन और खपत के निरपेक्ष और सापेक्ष संदर्भ में, अवधि के दौरान गिरावट आई है। जांच की अवधि के दौरान क्षमता, उत्पादन और विक्रियों में वृद्धि हुई है लेकिन जांच की अवधि में गिरावट आई है।
- ग. कीमत कटौती सकारात्मक है, लेकिन लागू शुल्कों के कारण, और आयातों की नगण्य मात्रा के कारण, कोई कीमत ह्रास या न्यूनीकरण नहीं है।
- घ. घरेलू उद्योग के लाभों, नकदी लाभों और निवेशों पर प्रतिफल में काफी विकास दर्शाया गया है और इसमें केवल जांच की अवधि के दौरान ही गिरावट आई है।
- ड. वर्तमान मामले में सौदा-वार कीमत कटौती का मूल्यांकन किए जाने की जरूरत है क्योंकि उसी पीसीएन का, जांच की अवधि के दौरान काफी भिन्न कीमतों पर आयात किया गया है।
- च. यह तर्क कि अपील निकाय की रिपोर्ट पर इस सौदा-वार कीमत कटौती के संबंध में भरोसा नहीं किया जा सकता, उचित नहीं है। भारत में पाटनरोधी जांच, पाटनरोधी करार के प्रावधानों और डब्ल्यूटीओ के निष्कर्षों से अलग ढंग से नहीं की जा सकती है, जैसा कि सीमा शुल्क आयुक्त, बंगलौर बनाम जी.एम. एक्सपोर्ट्स मामले में और सेंट गोबेन इंडिया प्रा. लि. बनाम भारत संघ मामले में पाया गया है।
- छ. जहां पर कीमत कटौती सकारात्मक है, वहां सौदों की मात्रा और घरेलू उद्योग पर उनके प्रभाव की जांच करने की जरूरत नहीं है। यद्यपि कम कीमत के सौदों की नगण्य मात्रा के कारण कीमत कटौती के संदर्भ में कोई क्षति न होने का निष्कर्ष हो सकता है, औसत कीमत कटौती नकारात्मक होने के कारण इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता कि कीमत कटौती के संदर्भ में कोई क्षति नहीं है।
- ज. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के दावों के प्रतिकूल, क्षति मार्जिन का निर्धारण कोठारी शूगर्स एंड कैमिकल्स लि. बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी तथा ऑनेस्ट इंटरप्राइजेज लि. बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी मामले में सेस्टेट के निर्णय के अनुसार केवल क्षतिकारी सौदों के आधार पर ही किया जा सकता है।
- झ. संयुक्त राज्य – ओसीटीजी (मैक्सिको) मामले में अपील निकाय के निर्णय के अनुसार, पाटन की संभावना और क्षति की संभावना के बीच कोई कारणात्मक संबंध स्थापित करने की कोई जरूरत नहीं है।
- ञ. क्षमता में वृद्धि होने के बावजूद, मूल्यह्रास सहित लागत यह मानते हुए स्थिर रही हैं कि ऐसा विस्तार होने से घरेलू उद्योग के निष्पादन पर प्रभाव नहीं पड़ा है।
- ट. कोविड-19 के कारण क्षति को बाहर करने के लिए, घरेलू उद्योग ने लॉकडाउन के प्रभावों को अलग करने के लिए समायोजित आंकड़े प्रस्तुत किए हैं। ऐसे समायोजनों के लिए, प्रति यूनिट निर्धारित लागतकी गणना यह मानकर की गई है कि कोई भी शटडाउन नहीं हुआ था और कमतर निर्धारित लागत का उपयोग, इस अवधि की उत्पादन की कुल लागत और लाभप्रदता का निर्धारण करने के लिए किया गया है।

- ठ. यद्यपि घरेलू उद्योग ने निर्यात बाजारों में विस्तार किया है, लेकिन घरेलू बाजार पर उनकी निर्भरता में कमी नहीं आई है।
- ड. चूंकि वर्तमान मामले में घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हुई है। अतः कारणात्मक संबंध की जांच करने की कोई जरूरत नहीं है। विगत मामलों में भी, जैसे चीन जन.गण. से फुली ड्रान यार्न और चीन जन.गण. तथा कोरिया गणराज्य से कास्टिक सोडा के मामले में, प्राधिकारी ने केवल एक गैर-आरोपण विश्लेषण किया है।
- ढ. यद्यपि घरेलू उद्योग को वर्तमान क्षति अन्य कारकों के कारण हो सकती है, लेकिन प्रमुख चिन्ता क्षति जैसे कारणों के संबंध में नहीं है, बल्कि संभावित क्षति, शुल्कों के समाप्त होने की स्थिति में होने की संभावना है। इसके अलावा, किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने ऐसा अनुरोध नहीं किया है, जिससे कि तीव्र कीमत वृद्धि और पर्याप्त मात्रा में निर्यात होते।
- ण. शुल्कों के अभाव में, यदि घरेलू उद्योग आयातों की कीमत के साथ मुकाबला करने के लिए बाध्य होता है, तो हानि होने की संभावना है। नकारात्मक प्रतिफल का सामना करना पड़ सकता है।
- त. संबद्ध देश में उत्पादकों की व्यर्थ क्षमताओं पर विचार करते हुए, शुल्कों के अभाव में, आयातों से देश में मांग पर कब्जा होने की संभावना है। यदि घरेलू उद्योग मुकाबला करने के लिए अपनी कीमतों को कम नहीं करता, तो उसे अपने प्रचालनों को बंद करना पड़ेगा।
- थ. शुल्कों के कारण से आयातों में गिरावट यह दर्शाती है कि निर्यातक संबद्ध वस्तुओं का पाटन करने तक भारत में बाजार तलाशने में असमर्थ हैं।
- द. संबद्ध देश में निर्यातकों की पाटन करने की प्रवृत्ति रही है, क्योंकि भारत में पाटन करने का उनका इतिहास रहा है और वर्तमान अवधि में भी पाटन जारी है।
- ध. चीन जन.गण. में उत्पादक भी संबद्ध वस्तुओं का तीसरे देशों में भी पाटन कर रहे हैं। तीसरे देशों को निर्यातों के लिए पाटन मार्जिन, कीमत कटौती और क्षति मार्जिन महत्वपूर्ण है।
- न. चीन जन.गण. में उत्पादकों के पास सरप्लस क्षमताएं हैं, जो कि देश में मांग से अधिक है। मांग से अधिक क्षमता 5.4 लाख मी.टन की है, जबकि भारत में मांग केवल 1 लाख मी.टन की है।
- प. चीन जन.गण. में उत्पादक अधिकतर निर्यात उन्मुखी हैं।
- फ. विभिन्न प्रान्तों में प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध के कारण संबद्ध देश में मांग में गिरावट आ रही है। डाउनस्ट्रीम मांग में आगे कोविड-19 के कारण और भी प्रभाव डाला।
- ब. संबद्ध देश में उत्पादकों के पास काफी फालतू क्षमताएं हैं, जो कि 24 प्रतिशत तक है, जिनका उपयोग शुल्क समाप्त होने की स्थिति में भारत में किए जाने की संभावना है। सामान्य कारोबार का तरीका यह बताता है कि उत्पादक हमेशा ही अधिकाधिक आउटपुट का प्रयास करेंगे। यह इस कारण से है कि अतिरिक्त बिक्रियां निर्धारित लागतों की वसूली और लाभों में सुधार के लिए होंगी।
- भ. यहां तक कि यदि संबद्ध देश में उत्पादक अपनी क्षमता का अतिरिक्त 5 प्रतिशत उपयोग करते हैं, तो उसके परिणामस्वरूप मात्रा भारत में मांग से भी अधिक होगी।
- म. यह तर्क कि चीन जन.गण. में उत्पादकों के पास मात्र 24 प्रतिशत फालतू क्षमताएं हैं, यह भ्रामक है क्योंकि भारतीय मांग एक लाख मी.टन की तुलना में 5.4 लाख मी.टन की क्षमताएं घरेलू बाजार को क्षति पहुंचाएगी।
- य. हेनिंग हेंगचुंग कोटेड फ्रेबिक कं. लि. का यह दावा कि वे 76 प्रतिशत क्षमता उपयोग पर संचालन कर रहे हैं, विधिवत दाखिल प्रश्नावली उत्तर के अभाव में स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसके अलावा, केवल एक निर्यातक के दावे, कोई भी क्षति न होने की संभावना को स्थापित करने के लिए पर्याप्त नहीं है।
- कक. संबद्ध देश में उत्पादकों के पास 40,000 मी.टन की अत्यधिक वस्तुसूचियां हैं।
- खख. प्रतिवादी निर्यातकों द्वारा प्रश्नावली उत्तर में प्रस्तुत की गई सूचना स्पष्ट रूप से वस्तुसूचियों में वृद्धि को दर्शाती है।

- गग. संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के निर्यातों में कोविड-19 के चलते गिरावट आई है। कोविड-19 के प्रभाव कम होने पर, ऐसे आयातों में वृद्धि होने और पूर्व स्तर पर लौटने की संभावना है। शुल्कों के समाप्त होने की स्थिति में, यह संभावना है कि ऐसे आयातों में वृद्धि का अधिकांश हिस्सा भारत को किया गया है।
- घघ. हेटेक्स का उत्तर यह दर्शाता है कि यद्यपि उसकी क्षमता में वृद्धि हुई है, लेकिन उत्पादन और क्षमता उपयोग, जांच की अवधि में सबसे कम रहा है। इसके अलावा, निर्यातक की वस्तुसूचियों में वृद्धि हुई है, जबकि तीसरे देशों को निर्यातों में गिरावट आई है।
- ड.ड. घरेलू उद्योग पहले ही कमजोर स्थिति में है और इसके निष्पादन में, कोविड-19 महामारी के प्रभाव के कारण गिरावट आई है। शुल्कों के समाप्त हो जाने की स्थिति में, ऐसी संभावना है कि पाटित आयातों से उद्योग पर बुरी तरह से प्रभाव पड़ने की संभावना है और सीमित बाजार दूर हो सकता है, जो कि वर्तमान में घरेलू उद्योग को उपलब्ध है।
- चच. कई राज्यों ने भारत में संबद्ध वस्तुओं के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिससे कि संबद्ध वस्तुओं के लिए मांग पर प्रभाव पड़ने की संभावना है और शुल्कों के समाप्त हो जाने की स्थिति में ऐसे सीमित बाजार को निर्यातकों द्वारा दूर ले जाने की संभावना है।

ज.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

53. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग की क्षति के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों के तर्कों और प्रतितर्कों की जांच की है। प्राधिकारी द्वारा यहां किया गया क्षति विश्लेषण, हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों का समाधान करता है।

I मांग /स्पष्ट खपत का आकलन

54. वर्तमान जांच के प्रयोजन से, प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध उत्पाद की मांग अथवा स्पष्ट खपत को घरेलू उद्योग और अन्य भारतीय उत्पादकों की घरेलू बिक्रियों तथा सभी स्रोतों से आयातों के जोड़ के रूप में परिभाषित किया है। इस प्रकार से आकलित की गई मांग नीचे तालिका में दी गई है:-

विवरण	इकाई	2017-18	2018-19	2019-20	जांच की अवधि
घरेलू उद्योग की बिक्रियां	मी.टन	42,816	44,468	37,461	23,824
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	104	87	56
समर्थकों और अन्य घरेलू उत्पादकों की बिक्रियां	मी.टन	87,008	99,352	1,09,189	75,167
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	114	125	86
संबद्ध आयात	मी.टन	2,329	836	341	202
अन्य आयात	मी.टन	7,846	5,758	7,185	4,444
मांग	मी.टन	1,40,000	1,50,415	1,54,176	1,03,637

55. यह देखा गया है कि संबद्ध वस्तुओं की मांग में 2019-20 तक वृद्धि हुई है और उसके बाद जांच की अवधि में गिरावट आई है।

II पाटित आयातों का मात्रात्मक प्रभाव

56. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में, प्राधिकारी को यह विचार करना अपेक्षित है कि क्या पाटित आयातों के संबंध में पूर्ण रूप से अथवा भारत में उत्पादन या खपत के सापेक्ष संदर्भ में पाटित आयातों में एक महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। क्षति विश्लेषण के प्रयोजन के लिए, प्राधिकारी ने डीजीसीआई एंड एस से प्राप्त आयात संबंधी डेटा पर भरोसा किया है। संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयातों की मात्रा और क्षति जांच की अवधि के दौरान पाटित आयातों का अंश इस प्रकार है:-

विवरण	इकाई	2017-18	2018-19	2019-20	जांच की अवधि
संबद्ध आयात	मी.टन	2,329	836	341	202
आयात	मी.टन	7,846	5,758	7,185	4,444
कुल	मी.टन	10,175	6,594	7,527	4,647
निम्नलिखित के संदर्भ में आयात					
घरेलू उत्पादन	%	1.50%	0.54%	0.21%	0.19%
खपत	%	1.66%	0.56%	0.22%	0.20%
कुल आयात	%	23%	13%	5%	4%

57. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद के आयातों की मात्रा में, आधार वर्ष से जांच की अवधि तक निरपेक्ष और सापेक्ष, दोनों संदर्भ में गिरावट आई है। भारत में खपत और उत्पादन के संबंध में, संबद्ध आयातों में, आधार वर्ष से जांच की अवधि तक इसी प्रकार की प्रवृत्ति दर्ज की गई है।

III. पाटित आयातों का कीमत संबंधी प्रभाव

58. कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में, नियमावली के अनुबंध-II (ii) के अनुसार, प्राधिकारी को यह विचार करना अपेक्षित है कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में पाटित आयातों से एक महत्वपूर्ण कीमत कटौती हो रही है अथवा क्या ऐसे आयातों का प्रभाव एक महत्वपूर्ण मात्रा में कीमतों का अन्यथा न्यूनीकरण करने अथवा कीमतों में वृद्धि को रोकने के लिए है, जो अन्यथा एक महत्वपूर्ण मात्रा में होती। इस संबंध में, संबद्ध देश से आयातों की पहुंच कीमत और संबद्ध वस्तुओं के लिए घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति के बीच तुलना की गई है।

क. कीमत कटौती

59. कीमत कटौती का निर्धारण करने के लिए, उत्पाद के पहुंच मूल्य और घरेलू उद्योग की औसत बिक्री कीमत, समान स्तर के व्यापार में सभी निवल छूटों और करों के बीच एक तुलना की गई है।

विवरण	कीमत कटौती (%)
पहुंच मूल्य	1,26,601
निवल बिक्री वसूली	***
कीमत कटौती	***
कीमत कटौती का %	नकारात्मक

60. यह नोट किया गया है कि कीमत कटौती जांच की अवधि में संबद्ध देश के लिए नकारात्मक है।

ख. कीमत ह्रास/न्यूनीकरण

61. यह निर्धारण करने के लिए कि आयातों का प्रभाव एक महत्वपूर्ण मात्रा में कीमतों का न्यूनीकरण करने अथवा कीमतों में वृद्धि को रोकने के लिए है, जो अन्यथा हो गई होती, क्षति अवधि के दौरान लागतों और कीमतों में परिवर्तनों के लिए घरेलू उद्योग द्वारा दी गई सूचना की पहुंच मूल्य के साथ तुलना की गई है।

विवरण	इकाई	2017-18	2018-19	2019-20	जांच की अवधि
बिक्रियों की लागत	रु./मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	101	101	105

विक्री कीमत	र./मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	96	95
पहुंच कीमत	र./मी.टन	1,01,689	1,11,756	1,26,394	1,26,601
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	110	124	124

62. यह देखा गया है कि वर्ष 2018-19 में विक्रियों की लागत में वृद्धि हुई है, वर्ष 2019-20 में लगभग स्थिर रही हैं और जांच की अवधि में वृद्धि हुई है। यद्यपि घरेलू उद्योग की विक्री कीमत में क्षति अवधि के दौरान गिरावट आई है, आयातों की पहुंच कीमत में वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग ने स्वयं ही यह स्वीकार किया है कि जांच की अवधि के दौरान, कोविड-19 के कारण संयंत्र का शटडाउन होने के चलते उसकी लागतें अधिक थी।

IV. घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंड

63. नियमावली के अनुबंध-II के तहत यह प्रावधान है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में ऐसे सभी संगत आर्थिक कारकों और संकेतकों का एक उद्देश्यपरक और निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होना चाहिए, जिनका कि विक्रियों, लाभों, आउटपुट, बाजार अंश, उत्पादकता, निवेशों पर प्रतिफल, अथवा क्षमता के उपयोग सहित उद्योग की स्थिति, घरेलू कीमतों, पाटन मार्जिन की मात्रा को प्रभावित करने वाले कारकों, नकदी प्रवाह, इन्वेन्ट्री, रोजगार, मजदूरी, विकास, पूंजीगत निवेश जुटाने की योग्यता पर संभावित नकारात्मक प्रभाव के संबंध में उद्योग की स्थिति से संबंध है। घरेलू उद्योग के संबंध में विभिन्न क्षति मापदंड नीचे दिए गए हैं।

क. क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और विक्रियां

64. क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और विक्रियों के संबंध में घरेलू उद्योग का निष्पादन इस प्रकार है:-

विवरण	इकाई	2017-18	2018-19	2019-20	जांच की अवधि
क्षमता	मी.टन	93,600	1,23,600	1,23,600	1,23,600
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	132	132	132
उत्पादन	मी.टन	49,355	51,856	46,587	29,136
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	105	94	59
क्षमता उपयोग	%	53	50	46	40
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	94	88	76
घरेलू विक्रियां	मी.टन	42,816	44,468	37,461	23,824
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	104	87	56

65. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि:

- घरेलू उद्योग की क्षमता में इस अवधि के दौरान वृद्धि हुई है।
- उत्पादन और विक्रियों में वर्ष 2018-19 में वृद्धि हुई है, वर्ष 2019-20 में गिरावट आई है। आवेदकों ने यह दावा किया है कि ऐसी गिरावट कोविड-19 महामारी के प्रभावों के कारण हो सकती है।
- क्षमता उपयोग में क्षति अवधि के दौरान गिरावट आई है।

ख. बाजार अंश

66. घरेलू उद्योग और अन्य भारतीय उत्पादकों का बाजार अंश इस प्रकार है:-

विवरण	इकाई	2017-18	2018-19	2019-20	जांच की अवधि
घरेलू उद्योग	%	31%	30%	24%	23%
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	97	79	75

अन्य उत्पादक	%	62%	66%	71%	73%
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	106	114	117
संबद्ध आयात	%	2%	1%	0.22%	0.20%
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	97	79	75
अन्य आयात	%	6%	4%	5%	4%
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	68	83	77

67. यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग के बाजार अंश में पूरी क्षति अवधि के दौरान कमी आई है। तथापि, अन्य भारतीय उत्पादों के समग्र बाजार अंश में वृद्धि हुई है जबकि संबद्ध आयातों के बाजार अंश में गिरावट आई है।

ग. वस्तुसूचियां

68. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की वस्तुसूचियां इस प्रकार हैं:

विवरण	इकाई	2017-18	2018-19	2019-20	जांच की अवधि
प्रारंभिक वस्तुसूची	मी.टन	1,316	2,445	2,694	4,074
अंतिम वस्तुसूची	मी.टन	2,445	2,694	3,956	3,564
औसत वस्तुसूची	मी.टन	1,881	2,570	3,325	3,819
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	137	177	203

69. यह देखा गया है कि क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की वस्तुसूचियों में वृद्धि हुई है, जिसमें वस्तुसूचियों का संग्रहण दर्शाया गया है।

घ. लाभप्रदता, नकदी लाभ और नियोजित पूंजी पर प्रतिफल

70. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की लाभप्रदता, नकदी लाभ और नियोजित पूंजी पर प्रतिफल इस प्रकार है:-

विवरण	इकाई	2017-18	2018-19	2019-20	जांच की अवधि
बिक्रियों की लागत	रु./मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	101	101	105
बिक्री कीमत	रु./मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	96	95
लाभ/(हानि)	रु./मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	88	54	5
नकदी लाभ	रु./मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	91	56	19
नियोजित पूंजी पर प्रतिफल	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	52	38	15

71. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि पूरी क्षति अवधि के दौरान प्रति इकाई लाभ, नकदी लाभों और नियोजित पूंजी पर प्रतिफल में गिरावट आई है। तथापि, आयातों की मात्रा ने भी घरेलू उद्योग को कम लाभों पर बिक्री करने के लिए मजबूर किया है। घरेलू उद्योग ने यह स्वीकार किया है कि यह कोविड-19 के कारण से है।

ड. रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता

72. प्राधिकारी ने रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता के संबंध में सूचना की जांच की है, जो इस प्रकार है:-

विवरण	इकाई	2017-18	2018-19	2019-20	जांच की अवधि
कर्मचारियों की संख्या	संख्या	298	464	455	402
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	156	153	135
प्रति दिन उत्पादकता	मी.टन/दिन	137	144	129	81
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	105	94	59
प्रति कर्मचारी उत्पादकता	मी.टन/संख्या	166	112	102	72
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	67	62	44
वेतन	लाख रु.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	112	109	88
प्रति इकाई वेतन	रु./मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	107	115	149

73. यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग के कर्मचारियों की संख्या में वर्ष 2018-19 तक वृद्धि हुई है लेकिन उसके बाद गिरावट आई है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग की उत्पादकता में क्षति अवधि के दौरान गिरावट आई है। क्षति अवधि के दौरान वेतन में वृद्धि हुई है।

च. विकास

74. घरेलू उद्योग के मात्रा और लाभ संबंधी मापदंडों की प्रवृत्ति इस प्रकार है:

विवरण	इकाई	2017-18	2018-19	2019-20	जांच की अवधि
क्षमता	%	-	32%	0	0
उत्पादन	%	-	5%	(10)%	(37)%
घरेलू बिक्रियां	%	-	4%	(16)%	(36)%
लाभ/(हानि) प्रति इकाई	%	-	(9)%	(48)%	(94)%
नकदी लाभ	%	-	(9)%	(38)%	(66)%
नियोजित पूंजी पर प्रतिफल	%	-	(48)%	(26)%	(60)%

75. यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग के मात्रा और लाभप्रदता संबंधी मापदंडों में जांच की अवधि के दौरान नकारात्मक विकास देखा गया है। आवेदकों ने यह दावा किया है कि जांच की अवधि में ऐसी गिरावट कोविड-19 महामारी के प्रभाव के कारण से है।

छ. पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता

76. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि पूंजी निवेश जुटाने के लिए घरेलू उद्योग की क्षमता पर संबद्ध आयातों के कारण प्रभाव पड़ा है।

ज. कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक

77. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि जांच की अवधि के दौरान आयातों की मात्रा महत्वपूर्ण थी और इसीलिए घरेलू उद्योग की कीमतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। घरेलू उद्योग की बिक्रियों पर संबद्ध आयातों के कारण प्रभाव पड़ा है।

झ. पाटन की मात्रा

78. यह नोट किया जाता है कि यद्यपि पाटनरोधी शुल्क और पाटन का मार्जिन सकारात्मक और पर्याप्त है, लेकिन भारत में संबद्ध वस्तुओं का पाटन हो रहा है।

V. क्षति के संबंध में निष्कर्ष

79. उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि यद्यपि घरेलू उद्योग ने निष्पादन में गिरावट का सामना किया है, लेकिन ऐसी गिरावट संबद्ध आयातों के कारण से नहीं है, जो कि मात्रा में नगण्य है।

ज. पाटन और क्षति की पुनरावृत्ति की संभावना

80. चूंकि वर्तमान जांच एक निर्णायक समीक्षा जांच है, अतः यह तथ्य कि क्या घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हो रही है अथवा यह निर्धारण करने के लिए संगत नहीं है कि क्या शुल्कों को जारी रखा जाए अथवा नहीं। एक निर्णायक समीक्षा जांच में, प्राधिकारी को यह विश्लेषण करने की जरूरत है कि क्या ऐसा उपाय हटाने से एक मूल जांच में क्षति के निर्धारण के विपरीत घरेलू उद्योग को क्षति जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।
81. आवेदकों ने यह दावा किया है कि निम्नलिखित कारक यह दर्शाते हैं कि शुल्क समाप्त होने से पाटन और क्षति की पुनरावृत्ति होने की संभावना है।

क. वर्तमान शुल्कों के कारण आयातों में गिरावट

82. यह नोट किया जाता है कि पाटनरोधी शुल्क लगाने पर आयातों की मात्रा में क्षति अवधि के दौरान काफी गिरावट आई है, जो यह दर्शाता है कि निर्यातक पाटित कीमतों पर भारतीय बाजारों में वस्तुओं की बिक्री करने में असमर्थ रहे हैं। शुल्कों के समाप्त होने की स्थिति में, पाटन से संबद्ध आयातों को अधिक आकर्षक बनाया जाएगा और पाटित आयातों की मात्रा में वृद्धि होने की संभावना है तथा घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना है।

ख. काफी कम कीमत पर आयात

83. यह नोट किया जाता है कि संबद्ध देश से आयातों की मात्रा में, पाटनरोधी शुल्कों की मौजूदगी के कारण क्षति अवधि के दौरान काफी गिरावट आई है। तथापि, ऐसे आयातों के सौदा-वार विश्लेषण से, यह देखा जा सकता है कि काफी भिन्न कीमतों पर आयात किए गए हैं, जिनमें कुछेक आयात तो घरेलू उद्योग के उत्पादन की लागत और बिक्री कीमत से भी कम कीमतों पर किए गए हैं।

ग. निरंतर पाटन और क्षति मार्जिन

84. संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं का निरंतर और महत्वपूर्ण पाटन हो रहा है।

घ. तृतीय देश पाटन

85. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि भारत में पाटन के अलावा, संबद्ध देश में उत्पादक/निर्यातक भी तीसरे देशों में संबद्ध वस्तुओं का पाटन कर रहे हैं। आवेदकों ने, जिस कीमत पर संबद्ध वस्तुएं तृतीय देशों में उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत की जा रही हैं, उस कीमत के संबंध में सूचना प्रदान की है। रिकॉर्ड पर उपलब्ध सूचना के आधार पर, यह देखा जा सकता है कि चीन के उत्पादकों द्वारा तीसरे देशों में ग्राहकों को पेश की जा रही कीमतें घरेलू उद्योग की बिक्री कीमतों से काफी कम हैं।

निर्यात का देश	चीन की कीमत	सामान्य मूल्य	पाटन मार्जिन	पहुंच मूल्य	क्षति रहित कीमत	क्षति मार्जिन
यूओएम	डॉलर/मी.टन	डॉलर/मी.टन	%	रु./मी.टन	रु./मी.टन	%
औसत	***	***	25-35%	1,00,241	***	25-35%

ड. संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण अधिक्य क्षमताएं

86. संबद्ध देश में निर्यातकों के पास चीन जन.गण. में मांग की तुलना में महत्वपूर्ण सरप्लस क्षमताएं हैं। अप्रयुक्त क्षमताओं में क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हुई है। इसके अलावा, संबद्ध देश में एक तिहाई क्षमता निर्यातों के लिए रखी गई है, जो यह दर्शाती है कि शुल्क समाप्त होने की स्थिति में, आयातों में वृद्धि होने की संभावना है।

मात्रा लाख मी.टन में

विवरण	2020
क्षमता	22.4
घरेलू मांग	14.9
निर्यात योग्य क्षमता	7.5
निर्यात योग्य क्षमता प्रतिशत	33%
आउटपुट	17.0
अप्रयुक्त क्षमता	5.4
अप्रयुक्त क्षमता प्रतिशत	24%
भारतीय मांग के संदर्भ में अप्रयुक्त क्षमता	521%

च. संबद्ध देश में निर्यातकों का अत्यधिक मात्रा में निर्यात अभिमुखी होना

87. यह नोट किया जाता है कि संबद्ध देश में उत्पादक अत्यधिक निर्यात उन्मुखी हैं, जैसा कि नीचे दी गई तालिका से देखा जा सकता है। शुल्कों के समाप्त होने की स्थिति में चीन जन.गण. में उत्पादकों द्वारा काफी अधिक मात्रा में संबद्ध वस्तुओं का निर्यात किए जाने की संभावना है।

उत्पादक/निर्यातक	कथित निर्यात उन्मुखीकरण
गुआंगझोऊ टोम एडवरटाइजमेंट मैटेरियल कं. लि.	91%-100%
हेनिंग फेंगतई कम्पाउंड न्यू मैटेरियल्स कं. लि.	71%-80%
हेनिंग होंगलियांग न्यू मैटेरियल कं., लि.	61%-70%
हेवेई होंगडिंग प्लास्टिक मैनुफैक्चरिंग कं. लि.	31%-40%
जियांगइन ननवेई प्लास्टिक कं., लिमिटेड	51%-60%
संघाई ग्लोबल साइन डिस्प्ले ऐंड साइन सिस्टम कं. लि.	91%-100%
संघाई यूनिसाइन इंडस्ट्रियल मैटेरियल कं. लिमिटेड	91%-100%
झेजियांग डेजिया न्यू मैटेरियल कं., लिमिटेड	61%-70%
झेजियांग हुईफेंग न्यू मैटेरियल्स कार्पो. लि.	72%
झेजियांग एमएसडी वार्प निटिंग ऐंड कोटिंग कं. लि.	90%

छ. डाउनस्ट्रीम उद्योगों से मांग में गिरावट

88. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि उपरोक्त के अलावा, संबद्ध देश में मांग में भी गिरावट आई है, जैसा कि संबद्ध देश में उत्पादकों की बिक्रियों में गिरावट से स्पष्ट है। शुल्कों के समाप्त होने की स्थिति में, संबद्ध देश में उत्पादकों द्वारा, उनके अपने घरेलू बाजार में मांग में गिरावट को देखते हुए भारत में पाटन का सहारा लिए जाने की संभावना है।

मात्रा लाख मी.टन में

विवरण	2017	2018	2019	2020
घरेलू बिक्री की मात्रा	15.5	16.3	17.4	16.6

ज. चीन जन.गण. में उत्पादकों के पास महत्वपूर्ण वस्तुसूचियां

89. यह नोट किया जाता है कि संबद्ध देश में उत्पादकों के पास महत्वपूर्ण क्षमताएं हैं, क्योंकि संबद्ध देश में 17 लाख मी.टन उत्पादन, देश में 16.6 लाख मी.टन घरेलू बिक्रियों से अधिक हो गया है। ऐसी वस्तुसूचियां देश में कुल मांग का 40 प्रतिशत होती हैं, जिसे इस प्रकार देखा जा सकता है:

मात्रा लाख मी.टन में

विवरण	2020
आउटपुट	17.0
बिक्रियां	16.6
वस्तुसूचियां	0.4
भारत में मांग	1.0
मांग के संदर्भ में वस्तुसूचियां	40%

झ. कोविड-19 के कारण संबद्ध देश से निर्यातों में गिरावट

90. चीन जन.गण. संबद्ध वस्तुओं के सबसे बड़े निर्यातकों में से है, जिसका सर्वाधिक निर्यात वर्ष 2019 में रहा है। तथापि, चीन जन.गण. से निर्यातों की मात्रा में वर्ष 2020 में, कोविड-19 महामारी के प्रभाव के कारण गिरावट आई है। यहां यह नोट किया जाता है कि ऐसी निर्यात मात्रा में, कोविड महामारी के प्रभावों में कमी आने पर और वर्तमान शुल्कों को समाप्त किए जाने की स्थिति में वृद्धि होने की संभावना है, ऐसे आयातों को भारत की ओर भी अन्तरित किया जा सकता है।

विवरण	2017	2018	2019	2020
चीन जन.गण. से निर्यात (लाख मी.टन)	17.97	18.52	20.24	18.62

ञ. प्रतिवादी उत्पादक द्वारा दाखिल आकड़े

91. उपरोक्त के अलावा, प्राधिकारी प्रतिवादी उत्पादक मैसर्स हेटेक्स टेक्सटाइल (झोंगजियांग) कं. लि. द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर यह भी नोट करते हैं कि:

विवरण	इकाई	2017	2018	2019	जांच की अवधि (अक्तूबर, 19 से सितंबर 20)
संस्थापित क्षमता	सूचीबद्ध	100	100	140	140
उत्पादन गुणवत्ता *	सूचीबद्ध	100	81	109	80
क्षमता उपयोग प्रतिशतता	सूचीबद्ध	100	81	78	57
वस्तुसूची	सूचीबद्ध	100	584	680	876
तीसरे देशों को निर्यात	सूचीबद्ध	100	70	76	41

92. यह नोट किया जाता है कि उत्पादकों के पास क्षमताओं में वृद्धि हुई है, लेकिन इनके उत्पादन और क्षमता उपयोग में गिरावट आई है। दूसरी ओर, उत्पादकों के पास वस्तुसूचियों में तथा उत्पादक की वस्तुसूची रखने की अवधि में भी पर्याप्त रूप से वृद्धि हुई है। उत्पादक द्वारा दाखिल आंकड़े विशेष से यह दर्शाते हैं कि उत्पादक का क्षमता उपयोग काफी कम है, जिसे काफी अप्रयुक्त क्षमताओं के साथ छोड़ दिया गया है। उत्पादकों द्वारा तीसरे देशों को उत्पादनों में भी गिरावट आई है।

च. क्षति मार्जिन की मात्रा

93. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुओं की क्षति रहित कीमत, जो प्राधिकारी द्वारा नियमावली के अनुबंध-III के अनुसार निर्धारित की गई है, की तुलना जांच की अवधि के दौरान क्षति मार्जिन के निर्धारण के लिए संबद्ध देश से निर्यातों के पहुंच मूल्य के साथ की गई है और इस प्रकार से गणना किया गया क्षति मार्जिन इस प्रकार है:-

क्र.सं.	उत्पादक का नाम	क्षति रहित कीमत	पहुंच कीमत	क्षति मार्जिन	क्षति मार्जिन	क्षति मार्जिन
		(रु./मी.टन)	(रु./मी.टन)	(रु./मी.टन)	(%)	(रेंज)
चीन जन. गण.						
1	हेटेक्स टेक्नीकल टेक्सटाइल्स (झांगजियागेंग) कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	नकारात्मक
2	असहयोगी/शेष निर्यातक	***	***	***	***	नकारात्मक

ट. क्षति संबंधी निष्कर्ष तथा पाटन और क्षति के जारी रहने या उनकी पुनरावृत्ति होने की संभावना

94. घरेलू उद्योग को कोविड-19 महामारी के प्रभाव के कारण कार्य निष्पादन में गिरावट झेलनी पड़ी है। पाटन की संभावना और क्षति की पुनरावृत्ति के संबंध में प्राधिकारी निम्नानुसार नोट करते हैं :-

- चीन जन.गण. से संबद्ध वस्तु के आयातों की मात्रा में समग्र और सापेक्ष दोनों तरह से भारी गिरावट आई है। चीन जन.गण. से 2018-19 के बाद से संबद्ध वस्तु के आयात भारतीय मांग और भारतीय उत्पादन का 1% से कम रहे हैं।
- क्षति के जारी रहने/इसके फिर से होने की संभावना को सिद्ध करने के लिए, घरेलू उद्योग ने 'चीन की पोलीविनायल क्लोराइड फ्लैक्सीबल फिल्म/ शीट मार्केट 2021-2025 पर विशेष अनुसंधान और निवेश की व्यवहार्यता का आकलन संबंधी रिपोर्ट' प्रस्तुत की है। हालांकि लेखक/एजेंसी जिसने इस रिपोर्ट को तैयार किया है, के नाम का उल्लेख रिपोर्ट में नहीं किया गया है। रिपोर्ट के लिए डाटा स्रोत को "परियोजना दल सांख्यिकीय मिलान" के रूप में दर्शाया गया है लेकिन डाटा के मूल स्रोत का कोई संदर्भ नहीं है। इस कारण से इस रिपोर्ट की विश्वसनीयता और प्रामाणिकता संदिग्ध है और इस प्रकार से संभावना के विश्लेषण के संबंध में किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता है।
- यद्यपि चीन जन.गण. से संबद्ध वस्तु का पाटन जारी है, तथापि, शुल्क की समाप्ति की स्थिति में घरेलू उद्योग को क्षति के जारी रहने/पुनरावृत्ति होने की संभावना को सिद्ध करने वाले पर्याप्त स्वतंत्र साक्ष्य उपलब्ध नहीं हैं।

ठ. प्रकटन पश्चात विवरण**अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध**

95. सामान्य मूल्य, क्षति और कारणात्मक संबंध तथा पाटन और क्षति के जारी रहने या उनकी पुनरावृत्ति की संभावना के निर्धारण के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अपने अनुरोधों को दोहराया है। इसके अलावा, निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं :

- देश में 19 उत्पादक हैं और ऐसे उत्पादकों के उत्पादन पर विचार करते हुए कुल घरेलू उत्पादन में याचिकाकर्ता उत्पादकों का हिस्सा "प्रमुख हिस्सा नहीं बनता है"।
- निर्दिष्ट प्राधिकारी की यह परिपाटी रही है कि ऐसे मामलों में शुल्क समाप्त किया जाए जहां ऐसे शुल्क ने अपना उद्देश्य पूरा कर लिया है, जैसा कि बेरियम कार्बोनेट मामले में निर्णय हुआ था।
- यह स्वीकार किया जाता है कि देश में मांग-आपूर्ति में कोई अंतर नहीं है क्योंकि कुल भारतीय उत्पादन देश में कुल मांग से अधिक है।

- घ. कोरिया गणराज्य और चीन जन.गण. से कीमतों के बीच समानता की संभावना उत्पादों के बीच भारी कीमत अंतर को देखते हुए बिल्कुल नगण्य है जिनसे कोरिया गणराज्य से उत्पादित और निर्यातित पीवीसी फ्लैक्स की गुणवत्ता और प्रीमियम ग्रेड में स्पष्ट अंतर प्रदर्शित होता है।
- ड. कारणात्मक संबंध का अभाव है क्योंकि सर्वप्रथम कोई वास्तविक क्षति नहीं हुई है। संबद्ध आयात नगण्य हैं और भारत में मांग में इनका बाजार हिस्सा 0% है। कीमत कटौती नकारात्मक है। कीमत ह्रास या न्यूनीकरण का अभाव है। सभी आर्थिक कारकों का कार्य निष्पादन अच्छा रहा है।
- च. प्राधिकारी को स्वयं घरेलू उद्योग द्वारा उठाई गई कथित क्षति और संबद्ध आयातों के बीच कोई कारणात्मक संबंध नहीं मिला है।
- छ. चीन जन.गण. से आयातों में गिरावट घरेलू मांग में गिरावट और भारतीय बाजार में बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा के कारण आई है। यह बात अन्य देशों से भी आयातों की मांग में गिरावट से स्पष्ट है।
- ज. चीन के उत्पादक पहले ही तीसरे देशों में उपभोक्ताओं को आपूर्ति कर रहे हैं जहां संबद्ध वस्तु के लिए मांग स्थिर रही है।
- झ. वर्तमान जांच अवधि में संबद्ध वस्तु का पाटन जारी नहीं है क्योंकि कोरिया गणराज्य से निर्यातों की कीमत पर आधारित निर्धारित किए गए सामान्य मूल्य से त्रुटिपूर्ण पाटन मार्जिन निर्धारित हुआ है। इसके अलावा, कोई निरंतर क्षति नहीं हुई जो प्राधिकारी द्वारा निर्धारित नकारात्मक क्षति मार्जिन से स्पष्ट है।
- ञ. तीसरे देश से पाटन पर संभावना विश्लेषण के लिए प्राधिकारी द्वारा कभी भी विचार नहीं किया गया है और यह बात वर्तमान मामले में असंगत है।
- ट. भारी मालसूची या निर्यातोन्मुख होने का आवश्यक रूप से यह अर्थ नहीं है कि शुल्क हटाए जाने पर उत्पाद का भारत को निर्यात किया जाएगा। चीन जन.गण. में निर्यातकों के पास उसे घरेलू बाजार में बेचने और/या तीसरे देशों से निर्यात बाजारों को निर्यातित करने का विकल्प हो सकता है।
- ठ. कोविड-19 के कारण निर्यातों में गिरावट जैसे कारक क्षति की संभावना का आधार हो सकते हैं।
- ड. यदि वर्तमान क्षति विश्लेषण से महामारी के प्रभाव को निकाल दिया जाए तो यह देखा जाएगा कि घरेलू उद्योग की मात्रा और लाभप्रदता संबंधी मापदंडों में वृद्धि हुई है और कोई क्षति नहीं हुई थी।
- ढ. प्राधिकारी ने निर्णायक समीक्षा जांचों में प्राधिकारी की संगत प्रक्रिया के अनुसार पी ओ आई के बाद के आंकड़ों को मांगा या उनका विश्लेषण नहीं किया है।
- ण. विचाराधीन उत्पाद के दायरे को "पीवीसी फ्लैक्स फिल्म" जिसे पीवीसी फ्लैक्स बैनर, विज्ञापन संकेतों, बिल बोर्डों के लिए पीवीसी फ्लैक्स शीटों और पीवीसी फ्लैक्स तारकोलिंग के रूप में भी जाना जाता है, के रूप में परिभाषित किया जाना चाहिए जो मूल जांच के समान है।
- त. समर्थकों द्वारा प्रदत्त सूचना, क्षमता, उत्पादन और बिक्री के आंकड़ों तक सीमित है जिनकी प्राधिकारी द्वारा जांच नहीं की गई है।
- थ. पैरा-7 के अधीन सामान्य मूल्य तीसरे देश से अन्य देशों को निर्यातों की कीमत के आधार पर निर्धारित किया जा सकता है और न कि केवल एक देश के आधार पर, जैसा कि वर्तमान जांच में विचार किया गया है।
- द. कोविड-19, परस्पर प्रतिस्पर्धा, अति-आपूर्ति, प्लास्टिक की बिक्री पर प्रतिबंध और बढ़ी हुई स्थिर लागतों के संबंधित कारकों के प्रभाव को क्षति विश्लेषण से अलग रखा जाना चाहिए।
- ध. प्राधिकारी ने शून्य शुल्कों के बावजूद विगत 11-12 वर्षों में हेटैक्स द्वारा निर्यातों में गिरावट की जांच नहीं की है।
- न. कीमत अंतरों की जांच के लिए आयातों का सौदावार विश्लेषण संबद्ध आयातों के नगण्य होने के आलोक में वर्तमान मामले में महत्वपूर्ण नहीं है, जिससे घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता है।

- प. अन्य देशों को निर्यातों में गिरावट और हेटेक्स की बढ़ी हुई मालसूची, घरेलू क्षमता, उत्पादन, बिक्री और मालसूची की तुलना में काफी कम है।

घरेलू उद्योग के अनुरोध

96. घरेलू उद्योग ने क्षति और जनहित की पुनरावृत्ति की संभावना के संबंध में अपने पूर्ववर्ती अनुरोधों पर जोर दिया है और उसके अलावा, प्रकटन विवरण पर निम्नानुसार अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत की हैं :-
- क. यद्यपि, संबद्ध वस्तु की मांग आगामी वर्षों में स्थिर रहने की संभावना है, तथापि, आगामी भविष्य में इसमें गिरावट की आशंका है और इसलिए, घरेलू उद्योग को संरक्षण में वृद्धि की आवश्यकता है।
- ख. संबद्ध वस्तु की मांग में शुल्क की अवधि के दौरान वृद्धि हुई है और कोविड-19 महामारी के प्रभाव के कारण केवल जांच अवधि में गिरावट आई है।
- ग. शुल्क लागू होने से घरेलू उद्योग को अपनी वृद्धि जारी रखने, अच्छा लाभ कमाने और रोजगार सृजित करने में मदद मिलेगी।
- घ. प्रयोक्ताओं द्वारा भागीदारी के अभाव में प्रयोक्ताओं पर प्रतिकूल प्रभाव का कोई साक्ष्य नहीं है। इसके अलावा, अंतिम प्रयोक्ताओं पर शुल्कों का प्रभाव नगण्य अर्थात् 0.40% से 0.84% रहेगा।
- ड. चूंकि संबद्ध वस्तु की सेल्फ लाइफ के केवल 90 दिन की होती है और चूंकि चीन जन.गण. से आयात उपभोक्ताओं तक 45-50 दिनों में पहुंचते हैं, इसलिए घरेलू उद्योग से वस्तुएं खरीदना उपभोक्ताओं के हित में होगा क्योंकि इससे मालसूची धारिता में कमी आएगी और ऐसी मालसूची रखने की लागत कम होगी।
- च. भारतीय उद्योग ने 2000 करोड़ रूपए का भारी निवेश किया है, जो देश के विकास में योगदान देने की उनकी इच्छा को दर्शाता है।
- छ. घरेलू उद्योग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 10,000 लोगों को रोजगार देता है और यदि शुल्क समाप्त हो जाते हैं तो भारतीय उद्योग को प्रचालन बंद करने पर बाध्य होना पड़ेगा जिससे कर्मचारियों की आजीविका पर संकट आ जाएगा।
- ज. संबद्ध वस्तु के आयातों पर निर्भरता वर्तमान शुल्कों के कारण 90 प्रतिशत से घटकर 10 प्रतिशत रह गई है। यह माननीय प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत मिशन के अनुरूप है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

97. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए कुछ अनुरोध दोहराई गई प्रवृत्ति के हैं। इन अनुरोधों की अंतिम जांच परिणामों में उचित स्थानों पर पहले ही जांच की गई है। इसके अलावा, प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों के अतिरिक्त अनुरोधों की निम्नानुसार जांच की है।
98. विचाराधीन उत्पाद के दायरे संबंधी तर्कों का प्राधिकारी ने समाधान कर दिया है। इस बात की पुष्टि की जाती है कि विचाराधीन उत्पाद का दायरा पूर्ववर्ती जांच में उसके दायरे के समान है।
99. हितबद्ध पक्षकारों ने यह दलील दी है कि समर्थकों के उत्पादन, बिक्री और क्षमताओं संबंधी सूचना की प्राधिकारी ने जांच नहीं की है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी नियमावली के साथ पठित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के प्रावधानों के अनुसार प्राधिकारी के लिए केवल याचिकाकर्ताओं के संबंध में क्षति की जांच करना अपेक्षित है। इसके अलावा, जब याचिकाकर्ताओं ने स्वयं क्षति का दावा नहीं किया है, तो यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि चाहे अन्य गैर-याचिकाकर्ता उत्पादकों के कार्य निष्पादन में गिरावट आई भी हो, तो भी घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है।
100. कोरिया गणराज्य से आयातों के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित करने से संबंधित तर्कों के बारे में, इन पर पहले ही जांच की गई है, हितबद्ध पक्षकारों ने यह सिद्ध करने के लिए कोई नई सूचना प्रस्तुत नहीं की है कि निर्धारित सामान्य मूल्य अनुपयुक्त है। इस तर्क के संबंध में कि चीन जन.गण. और कोरिया गणराज्य से आयातों की कीमतों में अंतर यह संकेत करता है कि इन दोनों की गुणवत्ता में भिन्नता है, यह नोट किया जाता है कि हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गुणवत्ता में भिन्नता दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। केवल इसलिए कि कीमतें अलग-अलग हैं, गुणवत्ता को अलग-अलग नहीं माना जा सकता।

101. इस दावे के संबंध में कि सामान्य मूल्य को किसी एक देश को बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश से निर्यातों की कीमत के आधार पर निर्धारित नहीं किया जा सकता है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि पैरा-7 के प्रावधान बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश से भारत समेत अन्य देशों को निर्यातों के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित करने की अनुमति देते हैं। वर्तमान मामले में सभी देशों को निर्यातों के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित करना संभव नहीं था क्योंकि उत्पाद के लिए कोई समर्पित कोड नहीं है। प्राधिकारी ने पूर्व में भी बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश से भारत को निर्यातों की कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित किया है। कुइटून जिनजियांग कैमिकल इंडस्ट्री कं. लि. बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी मामले में भी न्यायाधिकरण द्वारा इस नीति की पुष्टि की गई है।
102. हितबद्ध पक्षकारों ने दलील दी है कि कोविड-19 महामारी, परस्पर प्रतिस्पर्धा, प्लास्टिक की बिक्री पर प्रतिबंध और बढ़ी हुई स्थिर लागत जैसे अन्य कारकों की वजह से हुई क्षति को अलग किया जाना चाहिए। इस संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने स्वयं स्वीकार किया है कि संबद्ध आयातों के कारण कोई क्षति नहीं हुई है और इसलिए अन्य कारकों से हुई क्षति को अलग करने की आवश्यकता नहीं है।
103. पीओआई के बाद के आंकड़ों पर विचार करने के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने यह दर्शाने के लिए कोई सूचना प्रस्तुत नहीं की है कि पीओआई के बाद के दौरान की स्थिति जांच अवधि के दौरान मौजूद स्थिति से अलग है। अतः प्राधिकारी पी ओ आई के बाद के आंकड़ों पर विचार करने की आवश्यकता नहीं समझते।

ड निष्कर्ष

104. प्राधिकारी के समक्ष दी गई दलीलों, प्रदत्त सूचना, किए गए अनुरोध और इन जांच परिणामों में दर्ज उपलब्ध तथ्यों को ध्यान में रखते हुए और पाटन तथा घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति के ऊपरयुक्त निर्धारण के आधार पर प्राधिकारी का निष्कर्ष है कि ;
- क. चीन जन.गण. से संबद्ध वस्तु के आयातों की मात्रा में समग्र और सापेक्ष दोनों तरफ से भारी गिरावट आई है। चीन जन.गण. से संबद्ध वस्तु के आयात 2018-19 के बाद से भारतीय मांग और भारतीय उत्पादन के 1% से कम रहे हैं।
- ख. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन में गिरावट पाटित आयातों के कारण नहीं हुई है, जैसा घरेलू उद्योग ने स्वयं स्वीकार किया है।
- ग. 'चीन पॉलीविनाइल क्लोराइड फ्लेक्सिबल फिल्म/शीट मार्केट 2021-2025 पर विशेष अनुसंधान और निवेश व्यवहार्यता आकलन की रिपोर्ट' की विश्वसनीयता और प्रामाणिकता क्षति की निरंतरता/पुनरावृत्ति की संभावना को स्थापित करने के लिए घरेलू उद्योग पर निर्भर है क्योंकि न तो इस रिपोर्ट को तैयार करने वाले लेखक/प्रकाशन एजेंसी के नाम का उल्लेख किया गया है और न ही रिपोर्ट में उद्धृत डेटा के मूल स्रोत का कोई संदर्भ है। इसलिए, इस रिपोर्ट के आधार पर पाटन और क्षति के जारी रहने/पुनरावृत्ति की संभावना के संबंध में कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है।
- घ. यद्यपि, चीन जन.गण. से संबद्ध वस्तु का पाटन जारी है, तथापि, पर्याप्त स्वतंत्र समर्थक सक्षम के अभाव के कारण शुल्क हटाए जाने की स्थिति में घरेलू उद्योग को क्षति के जारी रहने/पुनरावृत्ति होने की संभावना अंतिम रूप से सिद्ध नहीं हो सकी है।
- ड. अतः रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना की जांच के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि वर्तमान जांच में पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने की सिफारिश करने का कोई औचित्य नहीं है।

ढ. सिफारिश

105. उपर्युक्त के मद्देनजर प्राधिकारी दिनांक 30 जून, 2016 की अधिसूचना सं. 15/13/2015-डीजीएडी द्वारा अनुशंसित और दिनांक 8 अगस्त, 2016 की सीमाशुल्क अधिसूचना सं. 42/2016-सीमाशुल्क (एडीडी) द्वारा लागू किए गए और दिनांक 30 जून, 2021 की सीमाशुल्क अधिसूचना सं. 38/2021-सीमाशुल्क (एडीडी) द्वारा 31 जनवरी, 2022 तक की अवधि के लिए बढ़ाए गए संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयातों पर लागू पाटनरोधी शुल्क को हटाए जाने की सिफारिश करना उचित समझते हैं।

ण. आगे की प्रक्रिया

106. इन जांच परिणामों पर आधारित केन्द्र सरकार के आदेश के विरुद्ध कोई अपील अधिनियम के संगत प्रावधानों के अनुसार, सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष की जाएगी।

अनंत स्वरूप, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)
(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

NOTIFICATION

FINAL FINDINGS

New Delhi, the 28th October, 2021

Case No. AD (SSR) - 04/2021

Subject: Sunset review anti-dumping investigation concerning imports of PVC Flex Films originating in or exported from China PR.

F. No. 7/04/2021-DGTR.—Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter referred as the “Act”) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter referred as the “Rules”) thereof.

A. BACKGROUND OF THE CASE

1. The Designated Authority (hereinafter referred to as the “Authority”) had initiated the original anti-dumping investigation in respect of PVC Flex Films (hereinafter referred to as the “subject goods” or the “product under consideration”) originating in or exported from China PR on 1st February 2010. Provisional anti-dumping duty was recommended vide Notification No.14/04/2010-DGAD dated 22nd June 2010 and was imposed vide Notification No. 79/2010-Customs dated 30th July 2010. Thereafter, the Designated Authority recommended definitive anti-dumping duty vide Final Findings No.14/04/2010-DGAD dated 29th July 2011 and the same was imposed vide Notification No. 82/2011-Customs dated 25th August 2011. A new shipper review was initiated on 12th April 2012, pursuant to which final findings No. 15/23/2011-DGAD dated 29th June 2016 were issued. A sunset review investigation was initiated vide Notification No. 15/13/2015-DGAD dated 27th July 2015. The Authority recommended continuation of anti-dumping duty vide final findings dated 30th June 2016 and the same was imposed by the Central Government vide Notification No. 42/2016-Customs (ADD) dated 8th August 2016.
2. Whereas, in terms of the Act and the Rules, the anti-dumping duty imposed shall, unless revoked earlier, cease to have effect on expiry of five years from the date of such imposition.
3. Notwithstanding the above provision the Authority is required to review, on the basis of a duly substantial request made by or on behalf of the domestic industry within reasonable period of time prior to the date of the expiry of the measure, as to whether the expiry of duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury.
4. Whereas, in terms of the above provisions, All India Laminated Fabric Manufacturers Association (AILFMA), Pioneer Polyleathers Limited, Qrex Flex Private Limited and SRF Limited (hereinafter referred to as the “applicants” or the “domestic industry”) filed an application, before the Authority in accordance with the Act and the Rules for initiation of sunset review investigation concerning imports of the PVC Flex Films from China PR (hereinafter also referred to as the “subject country”) and requested for extension of anti-dumping duty. The request is based on the ground that the dumping has continued in spite of imposition of anti-dumping duty on imports of the subject goods

from the subject country. The applicants have further argued that the expiry of anti-dumping duty is likely to result in continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry.

5. And whereas, the Authority, on the basis of prima facie evidence submitted by the applicants issued a public notice vide Notification No. 7/04/2021-DGTR dated 24th March 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating sunset review investigation in accordance with Rule 6(1) of the Rules to examine as to whether the expiry of anti-dumping duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry.
6. After initiation of the investigation, the Central Government extended the anti-dumping duty in force on the imports of the subject goods originating in or exported from the subject country up to 31st January 2022 vide Notification No. 38/2021-Customs (ADD) dated 30th June 2021.
7. The scope of the present review covers all aspects of the previous investigation concerning imports of the subject goods originating in or exported from the subject country.

B. PROCEDURE

8. The procedure described hereinbelow has been followed with regard to the investigation:
 - a. The Authority notified the Embassy of the subject country in India about the receipt of the present application before proceeding to initiate the investigation in accordance with Rule 5(5) of the Anti-Dumping Rules.
 - b. The Authority issued a public notice dated 24th March 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating an investigation concerning imports of the subject goods from the subject country.
 - c. The Authority sent a copy of the initiation notification to the Embassy of the subject country in India, known producers and exporters from the subject country, known importers / users and the domestic industry as well as other domestic producers as per the information made available by the applicants and requested them to make their views known in writing within the prescribed time limit.
 - d. The Authority provided a copy of the non-confidential version of the application to the known producers/exporters and to the Embassy of the subject country in India, in accordance with Rule 6(3) of the Anti-Dumping Rules. A copy of the non-confidential version of the application was circulated to other interested parties.
 - e. The Embassy of the subject country in India was also requested to advise the producers / exporters in the country to respond to the questionnaire within the prescribed time limit. A copy of the letter and questionnaire sent to the producers / exporters was also sent to them along with the names and addresses of the known producers/exporters from the subject country.
 - f. The Authority forwarded a copy of the public notice initiating sunset review investigation to the following known producers/exporters in the subject country and offered an opportunity to make their submissions known in accordance with Rule 6(4) of the Rules:
 - i. Guangzhou Tome Advertisement Material Company Limited
 - ii. HaiNing FengTai Compound New Material Company Limited
 - iii. Haining Fengtai Flex Company
 - iv. Haining Hongliang New Material Company Limited
 - v. Hangzhou HDL New Material Company Limited
 - vi. Hebei Hongding Plastic Manufacturing Company Limited
 - vii. Heytex Technical Textiles (Zhangjiahang) Company Limited
 - viii. Jiangyin Nanwei Plastics Company Limited
 - ix. Jiangyin Yuyuan Plasticizing Company Limited

- x. Ningxia Yipang Trade Company Limited
- xi. Quzhou Kaiciang Biological Tech Company Limited
- xii. Shanghai Der New Material Company Limited
- xiii. Shanghai Global Sign Display & Sign System Company Limited
- xiv. Shanghai Unisign Industrial Material Company Limited
- xv. Taya Canvas (Shanghai) Company Limited
- xvi. Zhejian MSD Warp Knitting & Coating Company Limited
- xvii. Zhejiang Dejia New Material Company Limited
- xviii. Zhejiang Ganglong New Material Company Limited
- xix. Zhejiang Hailide New Material Company Limited
- xx. Zhejiang Huifeng New Materials Corporation Limited
- xxi. Zhejiang Longteng New Material Company Limited
- xxii. Zhejiang Minglong Plastic Cement Company Limited
- xxiii. Zhejiang Tianyang New Material Technology Company Limited
- g. In response to the initiation notification of the subject investigation, following producer from the subject country has responded by filing questionnaire response:
 - i. Heytex Technical Textiles (Zhangjiagang) Company Limited
- h. Further, one of the exporters, Haining Hengchuang Coated Fabric Co., Ltd. has filed submissions during the course of the investigation.
- i. The Authority sent Questionnaires to the following known importers / users of the subject goods in India calling for necessary information in accordance with Rule 6(4) of the Rules.
 - i. Abuzar International Associate
 - ii. Ad Edge Media Printers
 - iii. Ad on Publicity
 - iv. Ad Sign
 - v. Ad Station
 - vi. Ad Wave Creation
 - vii. Adcom Display Private Limited
 - viii. Adtek Print & Media Private Limited
 - ix. Advance Flex
 - x. Advantage Outdoor
 - xi. Aggarwal Enterprise
 - xii. Ahm Advertiser
 - xiii. AIDAS
 - xiv. Aimass Digital Printing
 - xv. Ajay Plastic Sign
 - xvi. Akriti Print World
 - xvii. Akshra Digital

-
- | | |
|----------|---------------------------------------|
| xviii. | Ambica Traders |
| xix. | Amito Label Craft |
| xx. | Anubhav Advertiser |
| xxi. | Anupam Graphics |
| xxii. | Aone Graphics |
| xxiii. | Art Way Advertising |
| xxiv. | Arvind Advertising |
| xxv. | Asmirti Advertising |
| xxvi. | Azaad Art |
| xxvii. | B K Enterprise |
| xxviii. | Balaji Inc. |
| xxix. | Bandhu Sign World |
| xxx. | Bansal Graphics & Advertiser |
| xxxi. | Basant Arts |
| xxxii. | Bharat Art |
| xxxiii. | Big Ads |
| xxxiv. | Big Eye Advertisement Private Limited |
| xxxv. | Bihar Graphic Supplier |
| xxxvi. | BP Design |
| xxxvii. | Bright Digital |
| xxxviii. | Caterpillar Signs Private Limited |
| xxxix. | Chakshu Printers |
| xl. | Chawla Computer |
| xli. | Chicago Flex Printing |
| xlII. | Chitra Graphics |
| xlIII. | Chopra Signage |
| xlIV. | Clear Graphics Solutions |
| xlV. | Codex Media |
| xlVI. | Colour Creations |
| xlVII. | Colour Solution |
| xlVIII. | Creative Creation |
| xlIX. | Creators |
| I. | Dass Milti Services Private Limited |
| II. | Deep Flex Printing |
| III. | Deepa Advertising |
| IIII. | Deepa Public City |
| liv. | Dev Painter |

-
- | | |
|-----------|---------------------------------|
| lv. | Dhawan Global Venture |
| lvi. | Digital Logicom Private Limited |
| lvii. | Direction Retail |
| lviii. | Dwarka Digital |
| lix. | Engravo Graphics |
| lx. | Eureka International |
| lxi. | Fair Enterprises |
| lxii. | Fine Digital System |
| lxiii. | Flex Zone |
| lxiv. | Force Advertisers |
| lxv. | Ganapati Digital |
| lxvi. | Ganesh Enterprises |
| lxvii. | Gaurav Enterprises |
| lxviii. | Gauri Enterprises |
| lix. | Gita & Company |
| lxx. | Global Advertiser |
| lxxi. | Global Art |
| lxxii. | Global Flex Media |
| lxxiii. | Golden Sign |
| lxxiv. | Gopi Raju Arts |
| lxxv. | Graphic World |
| lxxvi. | Grey Mindz |
| lxxvii. | H.M. Graphics |
| lxxviii. | Hannu Marketing |
| lxxix. | Hans Advertiser |
| lxxx. | Hari Sign System |
| lxxxi. | Harsh Photo Lamination |
| lxxxii. | Haryana Offset Printers |
| lxxxiii. | Hi-tech Digital |
| lxxxiv. | Hindustan Glow Sign |
| lxxxv. | Hindustan Publicity |
| lxxxvi. | Icon Digital (Media Print) |
| lxxxvii. | Idea Xerox |
| lxxxviii. | Illusion Art |
| lxxxix. | Impact Ad Vision |
| xc. | Impect |
| xc. | In & Out |

xcii.	Indian Digital
xciii.	Indrasagar Traders
xciv.	Inkline Printer
xcv.	Innovative Media Solutions
xcvi.	Ishwar Glow Sign
xcvii.	J.D. Foam
xcviii.	Jain Media
xcix.	JCW Flex
c.	JJ Plastic
ci.	JMD
cii.	Jumbo Digital
ciii.	Jyoti Media
civ.	Jyoti Printer
cv.	Kalyan Digital
cvi.	Kolor Catalyst
cvii.	Kripa
cviii.	Krishna Enterprises
cix.	Krishna Publicity
cx.	Krishna Signage Private Limited
cxii.	Kuldeep Enterprises
cxiii.	Kunal Flex Printing
cxiv.	Kushlam Uria Sansthan
cxv.	Lalit Advertising
cxvi.	Latest Fex
cxvii.	Limra Art
cxviii.	M&K Creatives
cxix.	Macro Media
cxx.	Mahima Digital
cxxi.	Maruti Digi Sign
cxxii.	Master Plast India
cxxiii.	Matallicz Media
cxxiv.	Media Solution
cxxv.	Metro Printing
cxxvi.	Micro Graphics
cxxvii.	Mishti Raj Foods Private Limited
cxxviii.	Mithila Advertising
cxxviii.	Mohit Enterprises

cxxix.	Mukta Enterprises
cxxx.	N A Graphics Sign Private Limited
cxix.	Narvada Marketing
cxixii.	New Bhatia Advertisers
cxixiii.	New Jyoti Art
cxixiv.	Nishant Advertisers
cxixv.	Om Ganpati Traders
cxixvi.	Om Graphics
cxixvii.	Om Sai Digital
cxixviii.	Om Sai Guru Digital
cxixix.	Orient Graphics
cxl.	Panjuri Digi Sign
cxli.	Peacock Art
cxlii.	Pioneer Publicity
cxliii.	Plastic House
cxliv.	Pooja Advertising Agency
cxlv.	Prakash Art Studio
cxlvi.	Prime Advertising
cxlvii.	Print Journey
cxlviii.	Print Mitra
cxlix.	Priya Creative Design
cl.	Pushp India Limited
cli.	R.K. Multimedia Private Limited
clii.	R.K. Print Art
cliii.	Rachnakar Advertising
cliv.	Radhey Advertising & Marketing Company
clv.	Raghav Systems & Technology
clvi.	Raj Flex Banner
clvii.	Rampion Advertising
clviii.	Rana Advertising
clix.	Ranjeet Signage Solutions
clx.	Rap Graphics
clxi.	Redarrows
clxii.	Retail Impact
clxiii.	Retail Junction
clxiv.	RK Digital
clxv.	RNV Graphics

clxvi.	Rohot Sign Ads
clxvii.	Roop Sign & Graphics
clxviii.	S K Uniprint Private Limited
clxix.	S-Tech Graphics
clxx.	S-tech Graphics
clxxi.	S.L.N. Digital
clxxii.	Sai Aid Agency
clxxiii.	Sanjay Flex Printing
clxxiv.	Sapphire Media Services
clxxv.	Satyam Acrylic Plastics Private Limited
clxxvi.	Satyam Process
clxxvii.	SB Design
clxxviii.	Screen Digital
clxxix.	Sethi Digigraph
clxxx.	Shalimar Advertising
clxxxi.	Sharda Flex
clxxxii.	Sharpline Publicity Service
clxxxiii.	Sharthak Publicity
clxxxiv.	Sheetal Sign
clxxxv.	Shikhar Advertising
clxxxvi.	Shiv Advertiser
clxxxvii.	Shiva Enterprises
clxxxviii.	Shivam Advertiser
clxxxix.	Shree Advertising
cxc.	Shree Enterprises
cxc.	Shree Ram Shine World
cxci.	Shridhar Arts
cxcii.	Shyam & Sons
cxciii.	Sibco Overseas Private Limited
cxciv.	Sign Age Media
cxcv.	Sign Solution
cxcvi.	Silver Sign Private Limited
cxcvii.	Singh Advertisers
cxcviii.	Sippy Advertiser
cxcix.	Smart Sign
cc.	Sree Ads Sign Digital
cci.	Sri Balaji Digitals
ccii.	

cciii.	Srijan Digital
cciv.	Srinivasa Digital
ccv.	SS Digital Point Private Limited
ccvi.	Star Advertising
ccvii.	Star Digital Printers
ccviii.	Status Graphics
ccix.	Stylo Maximaze
ccx.	Sukhman Advertiser
ccxi.	Sun Print
ccxii.	Sun Sign and Technologies
ccxiii.	Sunil Digital
ccxiv.	Sunrise Media
ccxv.	Super Traders
ccxvi.	Surya Adds
ccxvii.	Swastic Enterprise
ccxviii.	Swastik Enterprise
ccxix.	Symbol Digital
ccxx.	Tell Us Solutions Private Limited
ccxxi.	Ujjwal Graphic
ccxxii.	Unique Advertising & Marketing Services
ccxxiii.	Vardhmana Ad Graphics
ccxxiv.	Varshman Graphics
ccxxv.	Varshney Paper Mart
ccxxvi.	Vasavi Digital
ccxxvii.	Vatsal Offset
ccxxviii.	Veda Digital Printing
ccxxix.	Venkatramana
ccxxx.	Vicky Arts
ccxxxi.	Vimal Art
ccxxxii.	Vishal Arts
ccxxxiii.	Vishnu Digitals
ccxxxiv.	Visual Displays
ccxxxv.	VVT Communication
ccxxxvi.	Wall Graphics
ccxxxvii.	Wonder Images
ccxxxviii.	Yaagi Sign
ccxxxix.	Zara Enterprise

- j. The Authority also sent initiation notification to the following Associations asking them to intimate all their members regarding the initiation of investigation and submit response or comments, if any.
 - i. Tamil Nadu Flex Printer Association
 - ii. Karnataka State Digital Printers and Flex Printers Association
 - iii. Kerala Master Printers Association
- k. None of the importers and users of the subject goods have filed a response to the questionnaire response.
- l. The period of investigation (POI) for the purpose of present investigation is 1st October 2019 to 30th September 2020 (12 months). The injury analysis period covers 1st April 2017 – 31st March 2018, 1st April 2018 – 31st March 2019, 1st April 2019 – 31st March 2020 and the period of investigation.
- m. Transaction-wise imports data for the period of investigation and the preceding three years was procured from the DGCI&S. The Authority has relied upon the data of DGCI&S for calculating the volume and value of imports of the subject goods in India.
- n. Further information was sought from the applicants to the extent deemed necessary. Verification of the data provided by the domestic industry was conducted to the extent considered necessary for the purpose of present investigation.
- o. The Authority made available the non-confidential version of the submissions made by various interested parties. A list of all interested parties was uploaded on the DGTR website along with the request therein to all of them to email the non-confidential version of their submissions to all other interested parties since the public file was not accessible physically due to ongoing global pandemic.
- p. The domestic industry has submitted financial data duly certified by their Chartered/Cost Accountant. The non-injurious price (NIP) has been determined based on the optimum cost of production and cost to make & sell the subject goods in India as per the information furnished by the domestic industry and in accordance with Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and Annexure III to the Rules. Such non-injurious price has been considered to ascertain whether anti-dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the domestic industry.
- q. In accordance with Rule 6(6) of the Rules, the Authority provided opportunity to the interested parties to present their views orally in a public hearing held on 14th July 2021 through video conferencing. The parties, which presented their views in the oral hearing, were requested to file written submissions of the views expressed orally, followed by rejoinder submissions.
- r. The submissions made by the interested parties, arguments raised and information provided by various interested parties during the course of investigation, to the extent the same are supported with evidence and considered relevant to the present investigation, have been appropriately considered by the Authority in these final findings.
- s. The Authority, during the course of investigation, satisfied itself as to the accuracy of the information supplied by the interested parties, which forms the basis of these final findings, to the extent possible and verified the data / documents submitted by the domestic industry to the extent considered relevant and possible.
- t. Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims wherever warranted and such information has been considered as confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis.

- u. Wherever an interested party has refused access to, or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority has considered such parties as non-cooperative and recorded these final findings on the basis of the facts available.
- v. In accordance with the Rules, the Authority disclosed the essential facts of the case that would form the basis of its findings in the form of a disclosure statement on 20.10.2021. The comments of the interested parties, to the extent relevant, have been considered by the Authority and have been addressed in these findings.
- w. *** in these final findings represents information furnished by an interested party on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.
- x. The exchange rate adopted by the Authority for the subject investigation is 1 US\$ = Rs. 74.38.

C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

9. At the stage of initiation, the product under consideration was defined as follows:

“5. The scope of the product under consideration in the present investigation is ‘PVC Flex Film’ also known as PVC Flex Banners and PVC Flex Sheets for advertising signage, billboards and PVC Flex Tarpaulins, etc.. The following are excluded from the scope of product under consideration.

- i. PVC Films*
- ii. PVC Rigid Films*
- iii. Cotton/Canvas Tarpaulins*
- iv. Self-adhesive Vinyl*
- v. One way vision film/Perforated window film*
- vi. Coloured vinyl*
- vii. Mesh Banner/Fabric”*

C.1. Submissions of the other interested parties

10. The other interested parties have submitted as follows with regard to the scope of the product under consideration and like article:
- a. The applicants have proposed PCN in the present investigation without any basis but no such methodology was used in the original or first sunset review investigation.
 - b. The scope of the product under consideration for the present investigation should be the same as defined in the original investigation as per the decision in Apar Industries vs. Designated Authority.
 - c. While the domestic industry has stated that only one product type was imported during the period of investigation, they have themselves considered six product types for calculating dumping and injury margins.
 - d. Since the Authority has not invited any comments on the proposed PCN, it implies that PCN proposed by the applicants has been rejected by the Authority. Accordingly, the applicants were required to submit revised data not based on the PCN, which they have failed to do.

C.2. Submissions of the domestic industry

11. The domestic industry has submitted as follows with regard to the scope of the product under consideration and like article.
- a. Contrary to the claims of the interested parties, the domestic industry has not included coloured vinyl in the scope of the product under consideration.

- b. There is a need for consideration of PCN methodology as only a few products have been imported from the subject country, while the product basket of the domestic industry is wider.
- c. No PCN was proposed in the original investigation as the product basket of exporters and the domestic industry was comparable. However, the situation has changed in the present case.
- d. Similar request for consideration of PCN was accepted by the Authority in the investigation concerning Cold-rolled flat products of stainless steel from China PR, Korea RP, EU, South Africa, Taiwan, Thailand and USA, even though no PCN was considered in the original investigation.
- e. Since the Authority has not made any official communication regarding acceptance or rejection of PCN, the same cannot be assumed to be rejected.
- f. The domestic industry has produced like article to the imported goods.

C.3. Examination by the Authority

12. The product under consideration in the present investigation is “PVC Flex Films”. It is also known as PVC flex banner and PVC flex sheets for advertising signage billboards, PVC flex tarpaulins. However, the following are excluded from the scope of the product under consideration –
 - a. PVC films
 - b. PVC rigid films
 - c. Cotton / canvas tarpaulins
 - d. Self-adhesive vinyl
 - e. One way vision film / perforated window film
 - f. Coloured vinyl
 - g. Mesh banner / fabric
13. PVC flex film is a multi-layered PVC film with sandwich lamination of reinforced textile. The major raw materials required for production are PVC Resin (suspension grade) and DOP. PVC flex film can be produced either using lamination process or coating process. Under the lamination process, the raw materials along with lubricants, stabilizers, brightening agent, calcium carbonate and other additives are mixed through manual/auto mixers to make PVC compound. The PVC compound is transferred onto a calendar to produce PVC Film. Finally, two layers of PVC film (top and bottom film) are fed along with polyester fabric at the laminators wherein the fabric is sandwiched between two layers of PVC films and fabric is laminated by heat to make a laminated flex film.
14. In the coating process PVC flex film is produced by coating the polyester fabric with PVC. The Authority in the original investigation had concluded that products produced using lamination process or coating process are technically and commercially substitutable.
15. PVC flex films are classified under the Chapter 39 under the tariff codes 3920 4300, 3920 4900, 3921 1200 and 3921 9026. The product under consideration is also being imported under tariff codes 3920 9922, 3920 9929, 3920 9932, 3920 9939 and 3921 9029. The customs classification is only indicative and is not binding on the scope of the product under consideration.
16. With regards to the claim of the other interested parties that the domestic industry has modified the scope of the product under consideration, the Authority notes the domestic industry in its petition had excluded certain products, based on the findings in the earlier sunset review. However, coloured vinyl, was also excluded by the Authority as per the duty table in earlier findings, which was not excluded in the scope of the product under consideration in the said findings. Therefore, the domestic industry only clarified that coloured vinyl should also be treated as excluded from the scope of the product under consideration. Therefore, no modification has been made to the scope of the product under consideration.

17. The Authority notes that the present investigation being a sunset review investigation, the scope of the product under consideration in the present investigation remains the same as that of the original investigation.
18. The Authority notes that the domestic industry has claimed that it has produced like article to the imported goods and the interested parties have also not claimed any difference in the goods produced by the domestic industry and the imported product. The Authority notes that the subject goods produced by the domestic industry and that imported from the subject country are comparable in terms of characteristics such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable. The consumers are using the two interchangeably. In view of the same, the Authority holds that the subject goods produced by the domestic industry are like article to the product under consideration imported from the subject country.

D. SCOPE OF THE DOMESTIC INDUSTRY & STANDING

D.1. Views of the other interested parties

19. The other interested parties have submitted as follows with regard to the scope of the domestic industry and standing.
 - a. Out of 12 producers only 3 producers have provided the data. To view the effects of imposition of anti-dumping duty, there should be at least 60-70% participation from the domestic industry rather than 27%.
 - b. Contrary to the submissions of the domestic industry, there are 19 domestic producers in the country which indicates that duty has served its purpose.
 - c. Apart from the producers listed by the domestic industry, there are other producers of the subject goods in India, namely Sunlex Fabrics Pvt. Ltd, Vaishnavi Media, Allflex Plastic LLP, Apollo Polyvinyl Pvt. Ltd, Vortex Flex Pvt. Ltd., Alok Packaging Pvt. Ltd and Caprihans India Ltd.
 - d. The applicants are providing data for selective producers which have the least improvement in performance and higher non-injurious price during injury period.
 - e. The applicants did not provide the source and evidence of production data of other domestic producers.

D.2. Submissions of the domestic industry

20. The domestic industry has submitted as follows with regards to the scope of the domestic industry and standing.
 - a. The application is filed through All India Laminated Fabric Manufactures Association, with Pioneer Polyleathers Limited, Qrex Flex Private Limited and SRF Limited.
 - b. The applicant domestic producers constitute 27% of the total domestic production in India.
 - c. The application is being supported by 4 producers who contribute 28% of the total domestic production in India.
 - d. Other than the applicants and supporters, there are 5 other producers of the subject goods in India which constitutes 44% of total domestic production in India.
 - e. The applicants have not imported the subject goods from the subject country during the injury period and are not related to any exporter in the subject country or importer of the subject goods in India.
 - f. While the production of supporters is based on information supplied in the support letters, the production of other producers has been determined based on market estimates.

- g. In response to the claim that producers accounting for at least 60-70% of the production should have provided data, it was submitted that the applicants account for a major proportion. Further, the applicants along with supporters account for 56% of the domestic production.
- h. Since the domestic industry has not claimed injury on account of subject imports, the claim that data of selective producers showing least improvement has been provided, is irrelevant.

D.3. Examination by the Authority

21. Rule 2(b) of the Anti-Dumping Rules defines domestic industry as under:

“(b) “domestic industry” means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term ‘domestic industry’ may be construed as referring to the rest of the producers”.

- 22. The application was filed by All India Laminated Fabric Manufacturers Association (AILFMA) along with Pioneer Polyleather Limited, Qrex Flex Private Limited and SRF Limited. The applicant producers are not related to any importer or exporter of the subject goods in the subject country, nor have they imported the subject goods from the subject country.
- 23. The application has been supported by following four domestic producers who have filed support letters along with relevant information.
 - a. Addica Industries LLP
 - b. Navarantan Specialty Chemicals LLP
 - c. Sunflex Fabrics Limited
 - d. Supersign Industries
- 24. There are five other domestic producers of the subject goods in India which constitute 44% of the total domestic production, which have neither supported nor opposed the application.
- 25. With regards to the claims of the other interested parties that only three producers out of twelve producers in the country have participated in the present investigation, it is noted that the requirement under Rule 5(3) is for the applicants to constitute at least 25% of the total domestic production. The number of domestic applicants is irrelevant as long as they satisfy the requirement of 25% composition under Rule 5(3). The three applicant domestic producers account for a major proportion of the total domestic production. Further, four other domestic producers have also supported the present application and have submitted the relevant details required by the Authority. The applicants along with the supporters account for 56% of the total domestic production. The Authority, therefore, holds that the applicants constitute the domestic industry within the meaning of Rule 2 (b) of the Anti-dumping Rules.

E. CONFIDENTIALITY

E.1. Submissions of the other interested parties

- 26. The other interested parties have submitted as follows with regards to confidentiality.
 - a. The applicants have claimed excessive confidentiality and failed to disclose (i) average industry norms for capacity utilization, (ii) actual sales value, PBIT, total PBIT, wages, interest and depreciation (iii) Average industry norms for productivity, inventory and return on investment and (iv) R&D expenses. This is inconsistent with the guidelines laid down under Trade Notice 10/2018.
 - b. PCN-wise export price has not been provided. Further, no information has been provided regarding price underselling and injury margin.

- c. The domestic industry needs to provide DGCI&S data in Excel format, as required by virtue decision in Exotic Décor Pvt Ltd vs Designated Authority.
- d. The applicants have not shared non-confidential version of Format H of each company precluding the respondents from commenting on individual performance of each company.
- e. The applicants have not provided the data filed by the supporters even in an indexed form making it impossible for the respondents to comment on the same.
- f. No evidence has been provided regarding adjustment of export price for marine insurance, commission, port expense and inland transportation.
- g. The domestic industry has claimed confidentiality regarding the volume of imports for determining price undercutting without providing reasons for it.
- h. Contrary to the claim of the domestic industry, Heytex has claimed confidentiality only with regards to information that is allowed to be kept confidential and all actual information has been submitted in the confidential version of response.

E.2. Submissions of the domestic industry

27. The domestic industry has submitted as follows with regards to confidentiality.
- a. Heytex has not complied with the requirements of Trade Notice 10/2018, with regard to disclosure of sales realization, cost of sales, profit, R&D expenses, net fixed assets, interest, depreciation and broad stage-wise write-up of manufacturing process. It has left information as blank and did not even provide indexed figures for the same.
 - b. Disclosure of actual sales value, wages, interest and profits PBIT would adversely impact the applicants in inter-se competition with other producers, and their ability to negotiate prices with their customers. Further, the Authority has also considered such information as confidential, in its recent findings.
 - c. The applicants have disclosed that they are unaware of the average industry norms for productivity, inventory and return on investment.
 - d. Information regarding R&D expenses and funds raised being for the company as whole and not attributable to the product under consideration, is as per the financial statements of the applicants.
 - e. Contrary to the claims of the interested parties, PCN-wise export price and injury margin have been provided by the domestic industry.
 - f. Economic parameters of each individual company constitute business proprietary information, disclosure of which would adversely impact the companies. However, consolidated Format H has been provided, which is sufficient for the interested parties to make submissions with regard to injury.
 - g. The data submitted by the supporters is their business proprietary information which the domestic industry is not authorized to disclose. Further, such data is irrelevant as the Authority is only required to examine injury to the defined domestic industry
 - h. Transaction-wise import data has been provided in PDF form as per Trade Notice 07/2018.

E.3. Examination by the Authority

28. Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claims. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis. The Authority made available the non-confidential versions of the evidence submitted by various interested parties in the form of public file.

29. With regards to the claim of the other interested parties that the domestic industry has not provided non-confidential version of Format H of individual companies, it is noted that the domestic industry has submitted consolidated Format H of all the applicants which allow interested parties to comment upon the injury parameters of the domestic industry. Since injury is required to be seen for the defined domestic industry, the performance of individual constituents of the domestic industry is not relevant.
30. With regards to the DGCIS data, the Authority notes that the data has been shared with interested parties relating to volume & value of imports from exporting countries into India. Further, the applicant has provided a complete list of transaction wise import data. It is also noted that any interested party can obtain data independently from the DGCIS and lodge its own counter claim based on the data so received. The Authority holds that procedure for sharing and procuring import data has been laid down in the Trade Notice 07/2018 dated 15th March 2018. It provides that (i) the sorted import data relied upon by the domestic industry can be shared in hard copy & (ii) interested parties can seek authorization from the Authority for seeking raw transaction by transaction import data from DGCIS. Sorted import data was made accessible to the interested parties based upon declaration/undertaking as per prescribed format. The Authority, thus, notes that the procedure now being applied is consistent, uniform across parties and investigations and provides adequate opportunity to the interested parties to defend their interests.

F. MISCELLANEOUS ISSUES

F.1. Submissions of the other interested parties

31. The other interested parties have made the following miscellaneous submissions.
 - a. During the original investigation, there was only one producer. But, now in the current investigation, there are more than 12 producers in the domestic market. The purpose of imposition of anti-dumping duty has been achieved.
 - b. The domestic industry has received sufficient protection from imports of the subject goods with duties being imposed for the last 11 years resulting in negligible volume of imports and remarkable improvement in the financial performance of the domestic industry with Pioneer Polyleathers Limited having enhanced capacities.
 - c. The applicants are seeking continuation of duties with malicious intent of weeding out any competition despite holding 96% of the market share and not with the intent to protect the domestic industry.
 - d. In absence of any demand-supply gap in the country and the ability of the domestic industry to cater to the entire demand in the country, the domestic industry does not need to be threatened by the negligible subject imports.
 - e. Non-participation of users could be due to variety of reasons and cannot imply that there is no impact of continuation of duties on the users.
 - f. Availability of alternate sources of imports cannot be a ground for continuation of duties.
 - g. Export potential of the domestic industry is irrelevant for the purpose of the present investigation. Further, the domestic industry has already expanded their exports significantly over the injury period, particularly in Brazil.

F.2. Submissions of the domestic industry

32. The domestic industry has made the following miscellaneous submissions.
 - a. The imposition of anti-dumping duties has helped in the growth of the domestic industry. At the beginning of the duty there was only one producer and now the size of the Indian industry has grown over time and currently there are 12 producers of the subject goods in the country. The domestic industry has sufficient capacities to fulfil the domestic demand.

- b. The continuation of anti-dumping duty on imports of the product under consideration would be in public interest. The duty would prevent injury to the domestic producers, and by doing so, would ensure that the consumers are not left to the mercy of exporters.
- c. There is no demand and supply gap in the country. The domestic industry has sufficient capacities to fulfil the entire demand in the country.
- d. There is no evidence of adverse impact on users, as they have not participated in the sunset review.
- e. The domestic industry is competing with producers in a non-market economy, which receive significant support from the Government. Such support has a detrimental effect on the conditions of competition in Indian market, as it reduces the cost of production of the exporters.
- f. The subject goods can also be imported from other countries such as Belgium, Korea RP, Japan, Thailand, USA, Vietnam, etc. at fair prices.
- g. The domestic industry has invested in capacities, and are capable to meet the domestic demand as well as compete in the international market. With the global presence of the domestic industry, India would also become a significant exporter of the subject goods. However, if dumped imports are allowed to destroy the domestic market conditions, the domestic industry would suffer and would not be able to achieve its export potential as well.
- h. Whether duties are required to be continued pursuant to a sunset review investigation is to determine based on likelihood of continuation of injury or dumping, and not the number of years for which the duty has been in place. The Authority has recommended duties in various sunset review investigation irrespective of duration of duties.
- i. The Authority discontinued duties in the case of dry cell batteries and viscose filament yarn as there was no likelihood of continuation of dumping or injury, which is the not so in the present case.
- j. The findings of the Authority in the case of Nonyl phenol from China PR recommending discontinuation of duties was set aside by the CESTAT, and on remand, the Authority has recommended continuation of duties

F.3. Examination by the Authority

- 33. With regards to the contention of the other interested parties regarding the long duration of duties imposed and the duties having achieved their purpose, the Authority notes that the purpose of anti-dumping duty is only to create a level playing field and to provide relief to the domestic industry against injurious dumping. The present investigation has been initiated to examine the likelihood of continuation or recurrence of dumping or injury, in the event of expiry of duty. Should the Authority find that dumping and injury are likely to continue or recur in the absence of duties, the anti-dumping duties shall be extended, notwithstanding the period of imposition of duties or the number of investigations.
- 34. With regards to the claims of the other interested parties that the present duties must be allowed to expire as was the case in dry-cell batteries and viscose staple yarn, it is noted that in such investigations, the Authority recommended discontinuation of duties after concluding that their existed no likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury in the event of expiry of duties.
- 35. With regard to the public interest, the Authority notes that there is no demand-supply gap in the country, and significant inter-se competition between domestic producers, which ensures availability of the subject goods to users at competitive prices. The product under consideration is also imported from other countries, which can additionally cater to the demand in the country.
- 36. Additionally, no users have participated in the investigation to provide evidence of adverse impact of the duties. On the other hand, the domestic industry has highlighted that the imposition of duties is in

public interest, considering the significant capacities of the domestic producers, export potential of the domestic industry and competitive market conditions in the country.

G. DETERMINATION OF NORMAL VALUE, EXPORT PRICE AND DUMPING MARGIN

G.1. Submissions of the other interested parties

37. The other interested parties have submitted as follows with regards to normal value, export price and dumping margin.
 - a. The Section 15(a)(ii) of the protocol of Accession of the People's Republic of China to WTO has expired on 11th December, 2016 for considering China PR as non-market economy while determining the normal value. Therefore, normal value in the current investigation must be determined based on domestic price and cost of the subject goods in the subject country. Any other method will violate the India's obligation towards WTO.
 - b. Construction of normal value based on third country import price which is Korea RP is not appropriate. As per the decision in Kuitun Jinjiang Chemical Industry Co. Ltd. vs. UOI, volume of import and whether the import are non-dumped imports are required to be considered in selecting a surrogate country.
 - c. The applicants did not provide the domestic price in Korea to determine that the imports are un-dumped imports and without such data, examination cannot be fulfilled.
 - d. Korea RP cannot be considered as an appropriate surrogate country since they are dumping the subject goods in Brazil and are likely to be dumping in India as well.
 - e. By claiming that the normal value is only understated if the price of Korea is dumped, the domestic industry is trying to not follow precedent. Contrary to the argument, dumping of the subject goods from Korea RP would not result in a suppressed normal value and rather would definitely result in a positive dumping margin due to the comparison of price of expensive products from Korea RP with the price of cheaper products from China PR.
 - f. Korea RP cannot be considered as an appropriate surrogate country in the present investigation only on the basis of volume of exports as Korea RP is a developed country with high standards and cost of living while China PR is a developing country. The Authority has rejected the adoption of Taiwan as surrogate country for China PR on the same grounds in the case of SAV from China PR.
 - g. There was no notice to the interested parties regarding selection of the third country, nor were interested parties requested to suggest or change the same. This is inconsistent with the Supreme Court judgment in the case of Shenyang Matsushita 2005 (181) ELT 320 (SC).
 - h. The applicants have failed to prove that types and grades of products produced in Korea RP is the same as goods produced in India or China PR. Such similarity is not likely due to the price and quality difference between Korean and Chinese products. The volume of imports from the two is also not comparable.
 - i. The volume of imports from Korea RP is not comparable to the volume of imports from the subject country, and therefore, the price of former cannot be considered as normal value.
 - j. The applicants have calculated the dumping margin for various PCNs using the export price from Korea RP despite only 2 PCNs actually being exported from China PR which leads to a skewed apple to apple comparison.
 - k. The applicants have determined the dumping margin for only a limited number of PCNs compared to the PCNs used for calculation of normal value.
 - l. The normal value determined by the applicants is highly inflated since the prices of certain products such as Back Lit520 imported from Korea RP are costlier than similar products Back Lit510 imported from China PR.

- m. In case of constructed normal value, the same must be determined based on the cost of production of the most efficient domestic producer to ensure that the normal value is not artificially inflated due to inefficiency.
- n. Heytex is the 100% fully owned subsidiary of German Company Heytex, Germany. There is no interference by the government of China in operation of the company.
- o. Since the dumping margin for Heytex was below de minimis in first sunset review, investigation with regard to it should have been terminated and it should not have been included in present review.
- p. Haining Hengchuang Coated Fabric Co. Limited has not filed a response as it did not export the subject goods during the period of investigation.

G.2. Submissions of the domestic industry

38. The domestic industry has submitted as follows with regard to the normal value, export price and dumping margin.
- a. The market economy claim of Heytex should not be accepted, as it has procured raw material from the local suppliers of China. This is because raw material is supplied in Chinese market at subsidized price and is often supplied by the Government of China.
 - b. The market economy claim of the producers was rejected on the same basis in the original and first sunset review investigations.
 - c. Contrary to the claims of the Heytex, utilities are provided by the Government of China at subsidised rates, as noted by the Designated Authority in anti-subsidy investigations against China.
 - d. China PR should be treated as a non-market economy in accordance with Article 15(a)(i) of China's Accession Protocol, and the normal value should be determined in terms of Annexure I, Rule 7 of the Rules.
 - e. China PR cannot be considered a market economy since provisions of Article 15(a)(i) continue to remain in force, despite the provisions of Article 15(a)(ii) having expired on 11th December 2016. Further, the Authority has considered China PR as non-market economy in all recent investigations.
 - f. The reliance on the case of EC – Fasteners is not appropriate, as the issue before the Appellate Body was not specifically whether the entire provisions of Article 15(a) or only the provisions of Article 15(a)(ii) shall lapse on the expiry of 15 years.
 - g. Applying the principles laid down in Kuitun Jinjiang Chemical Industry Co. Ltd. vs. Union of India, normal value should be determined based on imports from Korea RP to India, having regard to the volume of imports and that the imports are undumped.
 - h. Contrary to the contention of the respondents, the domestic industry is not required to show that Korea RP is at the same level of development as China PR considering the decision of CESTAT in Kuitun Jinjiang Chemical Industry Co. Ltd. v. Union of India.
 - i. The domestic industry had clearly stated its claim for considering Korea RP as a surrogate country for determination of normal value in the petition, providing sufficient opportunity to other interested parties to comment on the same.
 - j. The Authority is not required to record a finding on appropriateness of Korea RP as a surrogate country since the domestic industry has not suggested cost or price in Korea RP for determination of normal value.
 - k. The PCNs imported from Korea RP includes all PCNs imported from China PR and thus, the product types are comparable. The domestic industry has referred to normal value of only those PCNs which have been imported from China PR for determination of dumping margin.

- l. Dumping margin for Back Lit 510 has been claimed based on normal value and export price for the same PCN and not for Back Lit 520.
- m. The price of imports from any country selected as a surrogate would always be higher or lower compared to prices from the subject country and thus, the claim that Korea RP should not be considered as surrogate country due to high prices and volume is irrelevant.
- n. High volume of imports from Korea RP implies that the volume and price is more representative of the prices of the subject goods.
- o. Anti-dumping duties imposed by Brazil against Korean producers in June 2016 have already expired and the fact that no expiry review has been initiated implies that Korean producers are no longer dumping in Brazil.
- p. Even if the prices of exports from Korea RP to India are dumped, it only means that the normal value would be suppressed. Therefore, no prejudice is caused to exporters by this.
- q. Even if constructed normal value is considered, the actual cost of production should be considered and not the optimum cost of production.
- r. De minimis dumping margin in first sunset review does not result in termination of investigation against a particular producer as Rule 14(c) is not applicable to sunset reviews. Further, the Authority did not terminate the investigation against Heytex. The Authority has, as a practice, included exporters in review despite assigning them nil duties in past investigations. Reliance has been placed on the decision of CESTAT in Robin Resources v. Designated Authority.
- s. Since Haining Hengchuang has not filed an exporter questionnaire response, they must be subject to residual duties.
- t. Export price has been determined based in the CIF price which has been adjusted for ocean freight, marine insurance, port expenses, inland freight and commission to derive net export price.
- u. Dumping margin for the subject country is positive and significant.

G.3. Examination by the Authority

39. The Authority sent questionnaires to the known producers / exporters from the subject country, advising them to provide information in the form and manner prescribed by the Authority. The following producer have filed response to the exporters questionnaire:
 - a. Heytex Technical Textiles (Zhangjiagang) Company Limited

G.3.1. Determination of normal value

Examination of Market Economy Treatment claim by Heytex Technical Textiles (Zhangjiagang) Company Limited

40. The Authority has examined the market economy treatment claim made by Heytex Technical Textiles (Zhangjiagang) Company Limited. The responding producer has stated that they are a 100% owns subsidiary of a German company and are not related to any Chinese entity. Further, they have also stated that they have procured raw materials for manufacture of the product under consideration from unaffiliated Chinese suppliers at arm's length price. However, the producer has failed to establish that the cost of major inputs substantially reflect market prices. Accordingly, upon examination of the present claim as well as taking into consideration the previous findings, the Authority holds that in absence of any substantial evidence submitted in order to support the claim of market economy treatment as well as any new information that would require the Authority to change its findings in the previous investigations, the Authority has decided not to grant market economy status to Heytex Technical Textiles (Zhangjiagang) Company Limited.

Normal value for China PR

41. Since Heytex Technical Textiles (Zhangjiagang) Company Limited has not been granted market economy treatment, the normal value for China PR is required to be determined in accordance with para 7 of Annexure I of the Rules which reads as under:

“In case of imports from non-market economy countries, normal value shall be determined on the basis of the price or constructed value in the market economy third country, or the price from such a third country to other countries, including India or where it is not possible, or on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted if necessary, to include a reasonable profit margin. An appropriate market economy third country shall be selected by the designated authority in a reasonable manner, keeping in view the level of development of the country concerned and the product in question, and due account shall be taken of any reliable information made available at the time of selection. Accounts shall be taken within time limits, where appropriate, of the investigation made in any similar matter in respect of any other market economy third country. The parties to the investigation shall be informed without any unreasonable delay the aforesaid selection of the market economy third country and shall be given a reasonable period of time to offer their comments.”

42. At the application stage, the applicants had claimed Korea RP as the appropriate market economy third country. The applicants have claimed that the product under consideration is exported from Korea RP, Vietnam and Thailand. The applicants have further stated that while imports from Vietnam and Thailand are negligible, the volume of imports from Korea RP are significant and thus, would be appropriate for comparison.
43. The Authority notes that under the provisions of para (7) of Annexure – I, the normal value may be determined on the basis of price or constructed value in a market economy third country, or the price of exports from such a third country to other countries, including India. However, when such basis is not possible, only then the Authority can determine normal value on any other reasonable basis, including the price paid or payable in India. This has also been observed by the Hon’ble Supreme Court in the case of *Shenyang Mastsushita S. Battery Co. Ltd. vs. Exide Industries Ltd.*, as under.

“7.By this notification a separate procedure was prescribed for determining the normal value of non-market economies. Paragraph 7 to Annexure I now provides for the determination of the normal value with reference to the price paid by a third country with a market economy to India of a like product. If such a third country is selected, the Designated Authority has to inform the exporters of the selection and grant them a reasonable period to offer their comments. It is only if this procedure is not possible that the Designated Authority can act on any other ‘reasonable basis’. In other words, the Designated Authority must exhaust the first method before moving to the alternative procedure.”

The Supreme Court has held that the Authority may move to the alternative procedures, only when it has exhausted the first method, that is, price or constructed value in market economy third country, or price of exports from such a third country to other countries, including India.

44. In the present case, there is no information with regard to price of the goods or constructed value in Korea RP. The applicants have, accordingly, claimed normal value on the basis of price of exports from Korea RP to India. In this regard, the Authority notes the findings of the Hon’ble CESTAT in the case of *Kuitun Jinjiang Chemical Industry Co. Ltd. vs. Union of India*, wherein it was held that when normal value is determined based on exports from a market economy third country, the relevant criteria for determining appropriate third country is volume of exports from the country and that the country should not be dumping during the period of investigation.

“48. The producer / exporter is also not justified in asserting that Qatar could not have been taken as a surrogate country as the level of development is not similar to that of China. The level of development would be relevant only if the domestic sale price or cost of production of a market economy third country is adopted since the level of development affects the price and

cost. The price in international trade is a function of demand and supply in the international market and it is not affected by the level of development of the supplier country. The price to India is, therefore, the price meant for consumption in the Indian market. When the second option under paragraph 7 is exercised for determination of the normal value, what is relevant is the volume of exports and the country concerned should not be dumping during the period of investigation, since these parameters will affect the price comparability in the Indian market.”

45. With regards to the claim of other interested parties that no opportunity was granted to make comments on the selection of Korea RP as an appropriate market economy third country, it is noted that in the initiation notification issued by the Authority, selection of Korea RP as an appropriate third country for the purpose of determination of normal value was made known to all interested parties and comments on the same were invited by the Authority. Thus, such claim of the other interested parties is unfounded and without any basis.
46. With regards to the contention that Korea RP is not an appropriate market economy third country due to larger variety of imports from Korea RP compared to subject imports, the Authority notes that while the applicants had proposed a PCN methodology, the same was opposed by the exporters on the grounds that the same is not required. The Authority has not found it appropriate to consider a PCN methodology in the present case. That being the case, the Authority does not find merit in the contention that the product basket for China PR is different than the product basket for Korea RP.
47. The Authority notes that there are significant imports from Korea RP, and the imports from the Korea RP cannot be considered as dumped. Further, since other products are also covered under the same codes, and it not possible to accurately identify the volume and value of exports of product under consideration from Korea RP to third countries, the normal value cannot be determined based on the price of exports from Korea RP to other countries. Accordingly, the Authority finds it appropriate to determine the normal value based on the price of exports from Korea RP to India. For this purpose, the Authority has considered the CIF price as reported in the DGCI&S data for imports from Korea RP. The price has been adjusted for ocean freight, marine insurance, commission, bank charges, port expenses and inland freight on the basis of facts available to arrive at the ex-factory price. The normal value so determined is mentioned in the dumping margin table.

G.3.2. Determination of Export Price

Export price for Heytex Technical Textiles (Zhangjiangang) Company Limited

48. M/s Heytex Technical Textile (Zhangjaingang) Company Limited has exported *** MT of the subject goods directly to unrelated customer in India during POI. The exporter has claimed adjustments on account of inland transports, port expenses, Credit cost, Bank charges, Ocean Freight and Insurance wherever applicable which has been accepted by the Authority. The net export price determined accordingly has been mentioned in the dumping margin table below.

Export price non-cooperating producers/exporters from China PR

49. The export price for all other producers and exporters that have not participated in the present investigation has been determined on the basis of facts available.

G.3.3. Determination of Dumping Margin

50. Considering the normal value and export price for the subject goods, the dumping margin for the subject goods from the subject country is proposed to be determined as follows:

SN	Name of Producer	Normal Value	Export Price	Dumping Margin	Dumping Margin	Dumping Margin
		(USD/MT)	(USD/MT)	(USD/MT)	(%)	(Range)
China PR						
1	Heytex Technical Textile	***	***	***	***	5-15

	(Zhangjaingang) Company Limited					
3	Non-cooperative / residual exporters	***	***	***	***	20-30

H. EXAMINATION OF INJURY AND CAUSAL LINK

H.1. Submissions by the other interested parties

51. The other interested parties have submitted as follows with regards to injury and causal link.

- a. The domestic industry is not suffering material injury in the present investigation.
- b. It is the consistent practice of the Authority to consider all import transactions for price undercutting determination and not to exclude transactions having negative margins, as in the case of Viscose Filament Yarn from China PR.
- c. The applicants have admitted that the main cause of injury to the domestic industry is Covid-19 and not the negligible imports. The demand which has declined due to the pandemic will likely resume once the pandemic ends.
- d. Subject imports have declined in absolute and relative terms and were negligible during the period of investigation irrespective of the demand in the country due to the absence of any export orientation of Chinese producers. The market share of other imports is higher than the market share of the subject country. However, the volume of all imports is very low to impact the applicants.
- e. Upon exclusion of the effects of Covid-19 pandemic, the profitability of the domestic industry has increased as seen from the data of the applicants and the ICRA reports in 2018-19 and 2019-20 for Pioneer.
- f. The rise in interest / finance cost of the domestic industry is due to increase in capacity and capital expenditure by Pioneer in 2019-19.
- g. The establishment of causal link is required even in a sunset review as Rule 11 is mutatis mutandis applicable to the sunset review investigations and it has been the practice of the Authority to examine such link, as in the case of NBR from Korea RP.
- h. There is no causal link in the present case as the volume of imports is negligible, the market share of the imports is 0% and the price undercutting is negative and any injury to the domestic industry is due to Covid-19 pandemic.
- i. The applicants have failed provide any substantiated reasons which would justify the apprehension of likelihood of increase in the volume of imports upon cessation of duties.
- j. Despite imposition of negligible duties on Heytex, it has been unable to sell the subject goods in India due to the aggressively low prices offered by domestic producers.
- k. The applicants have failed to disclose source relied on to determine excess capacity and inventories which raises questions on its reliability.
- l. The producers in China PR do not hold significant inventories and rather sell all products in domestic or third country markets and thus, there is no likelihood of dumping.
- m. No evidence has been given with regard to price attractiveness of India.
- n. The domestic industry has used clandestine methods to obtain the confidential details of prices of the exporters from China PR and the same should be disregarded.
- o. Third country dumping is not a criterion used by the Authority for determination of likelihood of continuation or recurrence of injury.

- p. The domestic industry has not provided details of communications with customers based on which dumping of the subject goods in third countries has been determined and in the absence of such information, the submission must be rejected. Further, no reasonable conclusions can be drawn on the basis of few communications which are not even actual transactions.
- q. The Indian industry has significant excess capacity to the extent of almost 65% of the demand in the country and thus, there is no likelihood of injury in case of discontinuation of duties.
- r. Environmental bans on the product under consideration have affected demand in both India and China PR and it cannot be implied that decline in demand in China PR would result in increase in exports to India.
- s. Due to imposition of duties for more than 11 years, the Chinese producers / exporters have lost market share and all incentive to export to India, implying lack of any price attractiveness of Indian market.
- t. Decline in performance due to Covid-19 pandemic cannot be ground for seeking continuation of duties as the effect of the pandemic are likely diminish over time.

H.2. Submissions by the domestic industry

52. The domestic industry has made the following submissions with regard to injury and causal link.
- a. Due to the anti-dumping duty in force, the subject imports have not caused injury to the domestic industry. The demand for the product under consideration declined due to Covid-19 and due to this the profitability of the domestic industry declined in the period of investigation.
 - b. The volume of imports in absolute terms and in relation to production and consumption have declined over the period. The capacity, production and sales increased during injury period but declined in the period of investigation.
 - c. The price undercutting is positive but due to duties in force, and negligible volume of imports, there is no price suppression or depression.
 - d. The profits, cash profits and return on investments of the domestic industry showed a healthy growth and have declined only in the period of investigation.
 - e. There is a need to evaluate transaction-wise price undercutting in the present case as same PCNs have been imported at significantly different prices during the period of investigation.
 - f. The contention that Appellate Body report cannot be relied upon with regard to transaction-wise price undercutting is not appropriate. Anti-dumping investigations in India cannot be conducted in a manner inconsistent with the provisions of Anti-dumping Agreement and findings of the WTO, as has been held in *Commissioner of Customs, Bangalore v. G.M. Exports* and in *Saint Gobain India Private Limited v. Union of India*.
 - g. Volume of transactions where price undercutting is positive and their impact on the domestic industry need to be examined. While negligible volume of low-priced transactions may lead to a conclusion of no injury in terms of price undercutting, in case of a significant volume of low-priced transactions, average price undercutting being negative cannot lead to a conclusion that there is no injury in terms of price undercutting.
 - h. Contrary to the claims of other interested parties, injury margin can be determined based only on injurious transactions as per the CESTAT decision in *Kothari Sugars & Chemicals Limited v. Designated Authority* and *Honest Enterprises Limited v. Designated Authority*.
 - i. In accordance with the decision of Appellate Body in *United States – OCTG (Mexico)*, there is no requirement to establish causal link between likely dumping and likely injury.
 - j. Despite increase in capacity, the cost including depreciation have remained stable implying that such expansion has not impacted the performance of the domestic industry.

- k. In order to exclude injury due to Covid-19, the domestic industry has submitted adjusted data to exclude the effects of the lockdown. For such adjustments, fixed cost per unit is calculated by assuming there had been no shutdown and the lower fixed cost has been used to determine the total cost of production and profitability for the period.
- l. While the domestic industry has expanded into export markets, their dependence on domestic market has not reduced.
- m. Since there is no injury to the domestic industry in the present case, there is no requirement to examine causal link. In past cases as well, such as fully drawn yarn from China PR and caustic soda from China PR and Korea RP, the Authority conducted only a non-attribution analysis.
- n. While the present injury to the domestic industry may be due to other factors, the major concern is not regarding such injury, rather the injury likely to be caused in the event of cessation duties. Further, none of the interested parties have submitted that would not resort to aggressive pricing and exports in significant volumes.
- o. In case of absence of duties, if the domestic industry is forced to compete with the price of imports, it is likely to incur losses and face negative returns.
- p. Considering the idle capacities of the producers in the subject country, in the absence of duties, the imports are likely to take over the demand in the country. If the domestic industry does not reduce its prices to compete, it would have to shut down its operations.
- q. The decline in imports as a result of duties shows that the exporters are unable to find a market in India unless they dump the subject goods.
- r. The exporters in the subject country have a tendency to engage in dumping as they have history of dumping into India, and there is continued dumping in the present period as well.
- s. The producers in China PR are also dumping the subject goods to the third countries as well. The dumping margin, price undercutting and injury margin for exports to third countries is significant.
- t. The producers in China PR have surplus capacities, higher than the demand in the country. The capacity above demand is 5.4 lakh MT, as against a demand of only 1 lakh MT in India.
- u. The producers in China PR are highly export oriented.
- v. The demand in the subject country is declining due to restrictions on use of plastics in various provinces. The downstream demand was further impacted due to Covid-19.
- w. The producers in the subject country have significant idle capacities, to the tune of 24%, which are likely to be used for exports to India, in case of cessation of duties. Normal business sense dictates that producers would always try to maximize output. This is because the additional sales would go towards recovering fixed costs and improving profits.
- x. Even if the producers in the subject country utilize an additional 5% of their capacity, the resultant volumes would be higher than the demand in India.
- y. The contention that the producers in China PR have merely 24% idle capacities is misleading as such capacities amounting to 5.4 lakh MT against the Indian demand of 1 lakh would injure the domestic industry.
- z. The claim of Haining Hengchuang Coated Fabric Co. Limited that they are operating at 76% capacity utilization cannot be accepted in absence of the duly filed questionnaire response. Further, the claims of only one exporter are not relevant for establishing absence of any likelihood.
- aa. The producers in the subject country are holding significant inventories, of 40,000 MT.
- bb. The information submitted in the questionnaire response by the responding exporters clearly demonstrates increase in inventories.

- cc. The export of the subject goods from the subject country declined due to Covid-19. Once the effects of Covid-19 begin to decline, such exports are likely to increase and return to previous level. In the event of cessation of duties, it is likely that a major share of such increased exports are made to India.
- dd. The response of Heytex shows that while its capacity has increased, its production and capacity utilization is the lowest in the period of investigation. Further, inventories of the exporter has increased, while exports to third countries have declined.
- ee. The domestic industry is already in a weak position and its performance has declined due to impact of Covid-19 pandemic. In the event of cessation of duties, there is a likelihood that the dumped imports are likely wreak havoc on the industry and take away the limited market which is presently available to the domestic industry.
- ff. Many states have banned the use of the subject goods in India which is likely to impact the demand for the subject goods and in the event of cessation of duties, such limited market is likely to be taken away by the exporters.

H.3. Examination by the Authority

53. The Authority has examined the arguments and counter arguments of the interested parties with regard to injury to the domestic industry. The injury analysis made by the Authority hereunder addresses the various submissions made by the interested parties.

I. Assessment of demand / apparent consumption

54. For the purpose of the present investigation, the Authority has defined demand or apparent consumption of the product concerned in India as the sum of domestic sales of the domestic industry and other Indian producers and imports from all sources. The demand so assessed is given in the table below.

Particulars	Unit	2017-18	2018-19	2019-20	POI
Sales of the domestic industry	MT	42,816	44,468	37,461	23,824
Trend	Indexed	100	104	87	56
Sales of supporters and other domestic producers	MT	87,008	99,352	1,09,189	75,167
Trend	Indexed	100	114	125	86
Subject imports	MT	2,329	836	341	202
Other imports	MT	7,846	5,758	7,185	4,444
Demand	MT	1,40,000	1,50,415	1,54,176	1,03,637

55. It is seen that the demand for the subject goods has increased till 2019-20 and declined thereafter in the period of investigation.

II. Volume effect of the dumped imports

56. With regard to the volume of the dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in dumped imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India. For the purpose of injury analysis, the Authority has relied on the transaction wise import data procured from DGCI&S. The import volumes of the subject goods from the subject country and share of the dumped import during the injury investigation period are as follows:

Particulars	Unit	2017-18	2018-19	2019-20	POI
Subject imports	MT	2,329	836	341	202
Other imports	MT	7,846	5,758	7,185	4,444
Total	MT	10,175	6,594	7,527	4,647
Imports in relation to					
Domestic production	%	1.50%	0.54%	0.21%	0.19%
Consumption	%	1.66%	0.56%	0.22%	0.20%
Total Imports	%	23%	13%	5%	4%

57. The Authority notes that the volume of imports of the product under consideration from the subject country declined from the base year to the period of investigation, both in absolute and relative terms. In relation to consumption and production in India, subject imports recorded a similar trend from the base year to the period of investigation.

III. Price effect of the dumped imports

58. In terms of Annexure II (ii) of the Rules, with regard to the effect of the dumped imports on prices, the Authority is required to consider whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. In this regard, a comparison has been made between the landed price of imports from the subject country with the net sales realization of the domestic industry for the subject goods.

a. Price undercutting

59. To determine price undercutting, a comparison has been made between the landed value of the product and the average selling price of the domestic industry, net of all rebates and taxes, at the same level of trade.

Particulars	Price undercutting (%)
Landed Value	1,26,601
Net Sales Realisation	***
Price Undercutting	***
Price undercutting %	Negative

60. It is noted that price undercutting is negative for the subject country in the period of investigation.

b. Price suppression/depression

61. In order to determine whether the effect of imports is to depress prices to a significant degree or prevent price increases which otherwise would have occurred, the information given by the domestic industry for the changes in the costs and prices over the injury period has been compared with the landed value.

Particulars	Unit	2017-18	2018-19	2019-20	POI
Cost of sales	Rs./MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	101	101	105
Selling price	Rs./MT	***	***	***	***

Trend	Indexed	100	100	96	95
Landed price	Rs./MT	1,01,689	1,11,756	1,26,394	1,26,601
Trend	Indexed	100	110	124	124

62. It is seen that cost of sales increased in 2018-19, remained almost constant in 2019-20 and increased in the period of investigation. While the selling price of the domestic industry has declined over the injury period, the landed price of imports has increased. The domestic industry has itself conceded that its cost was higher during the period of investigation due to plant shutdown as a result of Covid-19.

IV. Economic parameters of the domestic industry

63. Annexure II to the Rules provide that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments. Various injury parameters relating to the domestic industry are discussed below.

a. Capacity, production, capacity utilization and sales

64. The performance of the domestic industry with regards to capacity, production, capacity utilization and sales is as follows:

Particulars	Unit	2017-18	2018-19	2019-20	POI
Capacity	MT	93,600	1,23,600	1,23,600	1,23,600
Trend	Indexed	100	132	132	132
Production	MT	49,355	51,856	46,587	29,136
Trend	Indexed	100	105	94	59
Capacity utilization	%	53	50	46	40
Trend	Indexed	100	94	88	76
Domestic sales	MT	42,816	44,468	37,461	23,824
Trend	Indexed	100	104	87	56

65. The Authority notes that:

- The capacity of the domestic industry increased over the period.
- Production and sales increased in 2018-19, declined in 2019-20 and thereafter, steeply in the period of investigation. The applicants have claimed that such decline can be attributed to the effects of Covid-19 pandemic.
- The capacity utilization has declined over the injury period.

b. Market share

66. Market share of the domestic industry and other Indian producers is as below.

Particulars	Unit	2017-18	2018-19	2019-20	POI
Domestic industry	%	31%	30%	24%	23%
Trend	Indexed	100	97	79	75

Other producers	%	62%	66%	71%	73%
Trend	Indexed	100	106	114	117
Subject imports	%	2%	1%	0.22%	0.20%
Trend	Indexed	100	97	79	75
Other imports	%	6%	4%	5%	4%
Trend	Indexed	100	68	83	77

67. It is seen that the market share of the domestic industry has reduced throughout the injury period. However, the market share of other Indian producers as a whole has increased, while the market share of subject imports has declined.

c. Inventories

68. Inventories with the domestic industry over the injury period are as below:

Particulars	Unit	2017-18	2018-19	2019-20	POI
Opening inventory	MT	1,316	2,445	2,694	4,074
Closing inventory	MT	2,445	2,694	3,956	3,564
Average inventory	MT	1,881	2,570	3,325	3,819
Trend	Indexed	100	137	177	203

69. It is seen that the inventories of the domestic industry increased over the injury period, indicating accumulation of inventories.

d. Profitability, cash profits and return on capital employed

70. Profitability, return on investment and cash profits of the domestic industry over the injury period is as follows:

Particulars	Unit	2017-18	2018-19	2019-20	POI
Cost of sales	Rs./MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	101	101	105
Selling price	Rs./MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	100	96	95
Profit/(loss)	Rs./MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	88	54	5
Cash profits	Rs./MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	91	56	19
Return on capital employed	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	52	38	15

71. The Authority notes that the profits per unit, cash profits and return on capital employed declined throughout the injury period. However, the volume of imports is too low to compel the domestic industry to sell at lower profits. The domestic industry has conceded that this is a result of Covid-19.

e. Employment, wages and productivity

72. The Authority has examined the information relating to employment, wages and productivity, as given below.

Particulars	Unit	2017-18	2018-19	2019-20	POI
No of employees	Nos	298	464	455	402
Trend	Indexed	100	156	153	135
Productivity per day	MT/Day	137	144	129	81
Trend	Indexed	100	105	94	59
Productivity per employee	MT/Nos	166	112	102	72
Trend	Indexed	100	67	62	44
Wages	Rs. Lacs	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	112	109	88
Wages per unit	Rs./MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	107	115	149

73. It is seen that number of employees of the domestic industry increased till 2018-19 but declined thereafter. Further, the productivity of the domestic industry has declined over the injury period. The wages increased over the injury period.

f. Growth

74. The trend of volume and profit parameters of the domestic industry are as under:

Particulars	Unit	2017-18	2018-19	2019-20	POI
Capacity	%	-	32%	0	0
Production	%	-	5%	(10)%	(37)%
Domestic sales	%	-	4%	(16)%	(36)%
Profit/(loss) per unit	%	-	(9)%	(48)%	(94)%
Cash profit	%	-	(9)%	(38)%	(66)%
Return on capital employed	%	-	(48)%	(26)%	(60)%

75. It is noted that both the volume and profitability parameters of the domestic industry has witnessed negative growth in the period of investigation. The applicants have claimed that such decline in the period of investigation is due to the impact of Covid-19 pandemic.

g. Ability to raise capital investment

76. The Authority notes that the ability of the domestic industry to raise capital investment has not been affected due to subject imports.

h. Factors affecting prices

77. The Authority notes that the volume of imports during the period of investigation was insignificant, and therefore, did not create a strain on the prices of the domestic industry. Selling price of the domestic industry has not been affected by the subject imports.

i. Magnitude of dumping

78. It is noted that the subject goods are being dumped into India despite anti-dumping duties and the dumping margin is positive and significant.

V. Conclusions on injury

79. From the above, it is evident that while the domestic industry has suffered a decline in performance, such decline is not due to the subject imports, which are negligible in volume.

I. LIKELIHOOD OF RECURRENCE OF DUMPING AND INJURY

80. The present investigation being a sunset review investigation, the fact that the whether domestic industry is not suffering injury or not is not relevant to determine whether the duties may be continued or not. In a sunset review investigation, the Authority is required to analyze whether revocation of a measure is likely to result in continuation or recurrence of injury to the domestic industry, contrary to the determination of injury in an original investigation

81. The applicants have claimed that the following factors demonstrate that the cessation of duty is likely to lead to recurrence of dumping and injury.

a. Decline in imports due to present duties

82. It is noted that volume of imports has declined significantly over the injury period upon imposition of anti-dumping duties which demonstrates that the exporters have been unable to sell the goods in the Indian markets at dumped prices. In the event of expiration of duties, dumping would make the subject imports more attractive and the volume of dumped imports is likely to increase and cause injury to the domestic industry.

b. Significantly low-priced imports

83. It is noted that the volume of imports from the subject country have declined significantly over the injury period due to the presence of anti-dumping duties. However, upon a transaction-wise analysis of such imports, it can be seen that the imports have been made at significantly varying prices with certain imports being imported at prices below the selling price and cost of production of the domestic industry.

c. Continued dumping and injury margin

84. There is continued and significant dumping of the subject goods from the subject country.

d. Third country dumping

85. The Authority notes that in addition to dumping in India, the producers / exporters in the subject country are also dumping the subject goods in third countries. The applicants have provided information with regard to prices at which the subject goods are being offered by the producers / exporters in third countries. Based on the information available on record, it can be seen that the prices offered by the Chinese producers to customers in third countries are significantly below the domestic selling prices.

Country of export	Chinese price	Normal value	Dumping margin	Landed value	Non-injurious price	Injury margin
UOM	\$/MT	\$/MT	%	Rs./MT	Rs./MT	%
Average	***	***	25-35%	1,00,241	***	25-35%

e. Significant excess capacities for the production of the subject goods

86. The exporters in the subject country have significant surplus capacities compared to the demand in China PR. Such excess unutilized capacities have increased over the period. Further, one-third of the

capacity in the subject country is intended for exports, which shows that the imports are likely to increase in the event of cessation of duty.

Volume in lakh MT

Particulars	2020
Capacity	22.4
Domestic demand	14.9
Exportable capacity	7.5
Exportable capacity	33%
Output	17.0
Unutilized capacity	5.4
Unutilized capacity	24%
Unutilized capacity in relation to Indian demand	521%

f. High degree of export orientation of exporters in the subject country

87. It is noted that the producers in the subject country are highly export oriented, as can be seen from the table below. In the event of expiry of duties, producers in China PR are likely to export the subject goods at a much higher rate.

Producer / exporter	Stated export orientation
Guangzhou Tome Advertisement Material Co., Ltd.	91%-100%
Haining Fengtai Compound New Materials Co., Ltd.	71%-80%
Haining Hongliang New Material Co., Ltd.	61%-70%
Hebei Hongding Plastic Manufacturing Co., Ltd.	31%-40%
Jiangyin Nanwei Plastic Co., Limited	51%-60%
Shanghai Global Sign Display & Sign System Co., Ltd.	91%-100%
Shanghai Unisign Industrial Material Co., Limited	91%-100%
Zhejiang Dejia New Material Co., Limited	61%-70%
Zhejiang Huifeng New Materials Corp., Ltd.	72%
Zhejiang MSD Warp Knitting & Coating Co., Ltd.	90%

g. Decline in demand from downstream industries

88. The Authority also notes that in addition to the above, the demand in the subject country has also declined, as is visible from the declining sales of the producers in the subject country. In the event of cessation of duties, the producers in the subject country are likely to resort to dumping in India in light of the declining demand in their own domestic market.

Volumes in lakh MT

Particulars	2017	2018	2019	2020
Domestic sales quantity	15.5	16.3	17.4	16.6

h. Significant inventories held by the producers in China PR

89. It is noted that the producers in the subject country hold significant capacities since the production of 17 lakh MT in the subject country exceeds the domestic sales of 16.6 lakh MT in the country. Such inventories amount to 40% of the total demand in the country, as can be seen below.

Volume in lakh MT

Particulars	2020
Output	17.0
Sales	16.6
Inventories	0.4
Demand in India	1.0
Inventories in relation to demand	40%

i. Decline in exports from the subject country due to Covid-19

90. China PR is one of the largest exporters of the subject goods with highest exports being made in 2019. However, the volume of exports from China PR has declined in 2020 due to the impact of the Covid-19 pandemic. It is noted that such export volume is likely to increase once the effects of the pandemic decline and in the event of discontinuation of present duties, such exports may also be diverted to India.

Particulars	2017	2018	2019	2020
Exports from China PR (<i>lakh MT</i>)	17.97	18.52	20.24	18.62

j. Data filed by the responding producer

91. In addition to the above, the Authority also notes, based on the information submitted by the responding producer M/s Heytex Technical Textiles (Zhangjiagang) Co. Ltd which is given below:

Particulars	Unit	2017	2018	2019	POI (Oct 19-Sep 20)
Installed Capacity	Indexed	100	100	140	140
Production Quantity*	Indexed	100	81	109	80
Capacity Utilisation Percentage	Indexed	100	81	78	57
Inventory	Indexed	100	584	680	876
Export to Third Countries	Indexed	100	70	76	41

92. It is noted that, the capacities with the producers have increased, its production and capacity utilization have declined. On the other hand, inventories have increased significantly as well as

inventory holding period of the producer has increased significantly. The data filed by the producer specifically shows that the capacity utilization of the producer is extremely low, leaving it with significant underutilized capacities. The exports to third countries of the producers have also declined.

J. MAGNITUDE OF INJURY MARGIN

93. The non-injurious price of the subject goods produced by the domestic industry as determined by the Authority in terms of Annexure III to the Rules has been compared with the landed value of the exports from the subject country for determination of injury margin during the period of investigation and the injury margin so worked out is as under:

S.N.	Name of producers	Non-injurious price	Landed price	Injury margin	Injury margin	Injury margin
		(Rs/MT)	(Rs/MT)	(Rs/MT)	(%)	(Range)
China PR						
1	Heytex Technical Textiles (Zhangjiagang) Company Limited	***	***	***	***	Negative
2	Non-cooperative / residual exporters	***	***	***	***	Negative

K. CONCLUSION ON INJURY AND LIKELIHOOD OF CONTINUATION OR RECURRENCE OF DUMPING AND INJURY

94. The domestic industry has suffered a decline in performance due to the effects of Covid-19 pandemic. With regard to likelihood of dumping and recurrence of injury, the Authority notes as under:
- The volume of imports of subject goods from China PR has declined significantly both in absolute and relative terms. The imports of subject goods from China PR has been less than 1% of the Indian demand and Indian production from 2018-19 onwards.
 - To establish the likelihood of continuation/recurrence of injury, the domestic industry has furnished 'Report of Special Research and Investment Feasibility Assessment on China Polyvinyl Chloride Flexible Film/Sheet Market 2021-2025'. However, the name of the author/agency which has prepared this report has not been mentioned in the report. The data source for the report has been indicated as 'the project team statistical collation' but there is no reference to original source of data. The reliability and authenticity of this report therefore is suspect and thus no conclusion can be arrived at regarding likelihood analysis.
 - Even though there is continued dumping of the subject goods from China PR, sufficient independent evidence corroborating the likelihood of continuation/recurrence of injury to the domestic industry in the event of revocation of duty is not available

L. POST DISCLOSURE COMMENTS

Submissions of the other interested parties

95. Other interested parties have reiterated their submissions with regard to determination of normal value, injury and causal link and likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury. Additionally, the following submissions have been made:

- a. There are 19 producers in the country and considering the production of such producers, the share of the petitioning producers in the total domestic production would not account for “a major proportion”.
- b. It is the practice of the Designated Authority to discontinue duties where such duties have served their purpose, as held in Barium Carbonate.
- c. It is admitted that that there exists no demand-supply gap in the country with the total Indian production exceeding the total demand in the country.
- d. The likelihood of similarity between prices from Korea RP and China PR is very unlikely given the stark price difference between the products, which clearly suggests difference in quality and the premium grade of PVC flex film produced and exported from Korea RP.
- e. There is absence of causal link because there is no material injury in the first place. The subject imports are negligible, and their market share is 0% of the demand in India. Price undercutting is negative. There is absence of price suppression or depression. The performance of all economic factors is stellar.
- f. The Authority itself has not found causal link between alleged injury suffering by the domestic industry and the subject imports.
- g. The decline in imports from China PR is due to decline in domestic demand and increased competition in the Indian market. This is evident from the decline in demand in imports from other countries as well.
- h. Chinese producers are already supplying to customers in third countries wherein the demand for the subject goods is steady.
- i. There is no continued dumping of the subject goods in the present period of investigation, since the normal value determined based on the price of exports from Korea RP has led to determination of skewed dumping margin. Further, there is no continued injury, evident from the negative injury margin determined by the Authority.
- j. Third country dumping is not a factor ever considered by the Authority for likelihood analysis and is irrelevant to the present case as well.
- k. Significant inventory or export orientation does not necessarily mean that the product would be exported to India, once duty is removed. Exporters in China PR may have the option of selling the same in the domestic market and / or exporting to third country export markets
- l. Factors such as declining exports due to Covid-19 cannot be ground for likelihood of injury.
- m. If the impact of the pandemic is excluded from the present injury analysis, it would be seen that the volume and profitability parameters of the domestic industry have shown growth and there was no injury caused.
- n. The Authority has not sought or analyzed post-POI data as has been the consistent practice of the Authority in sunset review investigations.
- o. The scope of the product under consideration should be defined as “PVC Flex Film”, also known as PVC Flex Banners, PVC Flex Sheets for advertising signage, billboards and PVC Flex Tarpaulins” which is the same as the original investigation.
- p. The relevant information provided by the supporters is limited to capacity, production and sales figures which has also not been examined by the Authority.
- q. Normal value under para 7 can be determined based on price of exports from a third country to other countries and not only one country, as has been considered in the present case.
- r. Effect of factors relating to Covid-19, inter-se competition, over-supply, restrictions on sales of plastic and increased fixed cost should be segregated from the injury analysis.

- s. The Authority has not examined the decline in exports by Heytex in the last 11-12 years despite Nil duties.
- t. Transaction-wise analysis of imports to examine price differences is immaterial in the present case in light of the negligible subject imports which can have no impact on the performance of the domestic industry.
- u. Decline in exports to other countries and increased inventories of Heytex are miniscule compared to the domestic capacity, production, sales and inventories.

Submissions of the domestic industry

96. The domestic industry has emphasized its earlier submissions with regard to likelihood of recurrence of injury and public interest, and in addition has submitted as follows in its comments to the Disclosure Statement.
- a. While the demand for the subject goods is expected to be stable in the coming years, it is apprehended to decline in the extended future and thus, the domestic industry is need of extended protection.
 - b. Demand for the subject goods has increased during the tenure of the duty, declining in the period of investigation only due to the impact of Covid-19 pandemic.
 - c. Imposition of duties would allow the domestic industry to continue its growth, earn healthy profits and generate employment
 - d. In absence of participation by the users, there is no evidence of adverse impact on the users. Further, the impact of the duties on the end-users would be negligible i.e. 0.40% to 0.84%.
 - e. Since the subject goods have a shelf life of only 90 days and since the imports from China PR take 45-50 days to reach the consumers, procuring the goods from the domestic industry would be in the interest of the consumers as it would reduce inventory holding and the cost for maintaining such inventories.
 - f. The Indian industry has made massive investments to the tune of Rs. 2,000 crores indicating their willingness to contribute to the growth of the country.
 - g. The Indian industry employs 10,000 people directly and indirectly and if the duties are allowed to expire, the Indian industry would be forced to shut operations causing loss of livelihood for its employees.
 - h. The reliance on imports of the subject goods has shrunk from 90% to 10% due the present duties. This is in line with the Aatmanirbhar Bharat mission of the Hon'ble Prime Minister.

Examination by the Authority

97. The Authority notes that some of the submissions by the domestic industry and other interested parties are repetitive in nature. These submissions have already been examined at appropriate places in the Final Findings. Further, the Authority has examined the additional submissions of the interested parties as under:
98. The arguments on the scope of product under consideration have been addressed by the Authority. It is confirmed that the scope of product under consideration is the same as that in previous investigation.
99. The interested parties have contended that the information concerning production, sales and capacities of supporters have not been examined by the Authority. The Authority notes that as per the provisions of the Customs Tariff Act, 1975 read with Anti-Dumping Rules, the Authority is required to examine injury only in respect of petitioners. Besides, when the petitioners themselves have not claimed injury, a conclusion cannot be reached that the domestic industry has suffered material injury, even if performance of other non-petitioning producers shows decline.

100. With regard to the arguments concerning determination of normal value based on imports from Korea RP, the same have already been examined hereinabove. The interested parties have not brought forth any new information to establish that the normal value determined is inappropriate. Regarding the argument that the difference in prices of imports from China PR and Korea RP suggests that the quality of the two is different, it is noted that no evidence has been put forth by the interested parties to demonstrate differences in quality. Merely because the prices are different does not imply difference in the quality.
101. Regarding the claim that the normal value cannot be determined on the basis of price of exports from a market economy third country to an individual country, the Authority notes that the provisions of para 7 allow determination of normal value based on exports from a market economy third country to other countries, including India. In the present case, it was not possible to determine the normal value based on exports to all countries, as the product does not have a dedicated code. The Authority, in the past also has determined normal value based on the price of exports from a market economy third country to India. This approach has been affirmed by the Tribunal, in the case of Kuitun Jinjiang Chemical Industry Co. Ltd. vs. Designated Authority as well.
102. The interested parties have contended that the injury caused due to other factors such as Covid-19 pandemic, inter-se competition, restrictions on sales of plastic and increased fixed cost should be segregated. In this regard, the Authority notes that the domestic industry itself has admitted that the injury has not been caused due to subject imports and therefore there is no need of segregating injury caused by other factors.
103. With regard to the consideration of post-POI data, the Authority notes that none of the interested parties have brought forth any information to suggest that the position during post-POI is different from that prevailing during the period of investigation. Therefore, the Authority did not find any need for consideration of post-POI data.

M. CONCLUSION

104. Having regard to the contentions raised, information provided, submissions made and facts available before the Authority as recorded in these findings and on the basis of the determination of dumping and consequent injury to the domestic industry made hereinabove, the Authority concludes that:
 - a. The volume of imports of subject goods from China PR has declined significantly both in absolute and relative terms. The imports of subject goods from China PR has been less than 1% of the Indian demand and Indian production from 2018-19 onwards.
 - b. The Authority notes that the decline in the performance of the domestic industry, therefore, is not attributable to the dumped imports, as admitted by the domestic industry itself too.
 - c. The reliability and authenticity of the 'Report of Special Research and Investment Feasibility Assessment on China Polyvinyl Chloride Flexible Film/Sheet Market 2021-2025' relied upon by the domestic industry to establish the likelihood of continuation/recurrence of injury is suspect because neither the name of the author/ publishing agency which has prepared this report has been mentioned nor is there any reference to the original source of data cited in the report. Therefore, any conclusion with regard to likelihood of continuation/recurrence of dumping and injury cannot be made on the basis of this report.
 - d. Even though there is continued dumping of the subject goods from China PR, the likelihood of continuation/recurrence of injury to the domestic industry in the event of revocation of duty could not be conclusively established due to lack of sufficient independent corroborative evidence.
 - e. Therefore, based on examination of information on record, it is concluded that there is no justification for recommending continuation of anti-dumping duty in the present investigation.

N. RECOMMENDATION

105. In view of above, the Authority considers it appropriate to recommend withdrawal of antidumping duty on import of subject goods from the subject country recommended vide Notification No.

15/13/2015-DGAD dated 30th June, 2016 and enforced vide Customs Notification No. 42/2016-Customs (ADD) dated 8th August 2016 and further extended vide Customs notification No 38/2021-Customs (ADD) dated 30th June 2021 till 31st January 2022.

O. FUTRHER PROCEDURE

106. An appeal against the order of the Central Government arising out of these findings shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the relevant provisions of the Act.

ANANT SWARUP, Designated Authority